खण्ड ९ — अंक २५
१८ दिसम्बर, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (XIV Session)

(खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग १ वाद-विवाद खण्ड ९—१२ से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक २१—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ से १०७९, १०८२, १०८३, १०८७ से १०९०, १०९५, १०९७, १०९९, ११०५, ११०८, १११९, १११२, १११८ से ११२१, १०८१, १०९४, ११०१ और ११०७ — १०६५–८८

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ — १०८८–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८०, १०८४ से १०८६, १०९१ से १०९३, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०९, १११०, १११३ से १११५, १११७ और ११२२ से ११२४ — १०९६–११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५४ से ८९१ — ११०४–१९

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११२०–२२**

अंक २२—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ से ११३०, ११३३ से ११३८, ११४१ से ११४५, ११४७, ११५०, ११५१ और ११५३ से ११५८ — ११२३–४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८ और ९ — ११४७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११३१, ११३२, ११३९, ११४०, ११४६, ११४८, ११४९, ११५२, ११५९ और ११६१ से ११६८ — ११५०–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९१२ ... ... — ११५५–६२

तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि — ११६३

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११६४–६६**

अंक २३—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से ११७५, ११७८ से ११८१, ११८४, ११८६, ११८९ से ११९४ और ११९६ से १२०० ... — ११६७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६, ११७७, ११८२, ११८३, ११८५, ११८७ ११८८, ११९५, १२०१ से १२२१ और ८९५ .... — ११८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९१३ से ९७१ ... — ११९७–१२२१

दैनिक संक्षेपिका — **१२२२–२५**

अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

दैनिक संक्षेपिका **१२८१–८४**

अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

दैनिक संक्षेपिका ... **१३५१–५४**

अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

दैनिक संक्षेपिका **१४३८–४३**

अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ — १४४५–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ — १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ — १४७५–१५०५

दैनिक संक्षेपिका — **१५०६–१०**

अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० — १५११–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... — १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ — १५४३–६९

दैनिक संक्षेपिका ... — **१५६७–७०**

अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ — १५७१–७३

दैनिक संक्षेपिका — **१५७४**

सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत ... — **१५७५–७७**

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नीवेली लिगनाइट खान

†*१२७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **नीवेली** की लिगनाइट खान की प्रारम्भिक अवस्था में काम आने वाले प्रचलित और विशिष्ट उपकरण **का विस्तृत** विवरण और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये मेसर्स पॉवेल डफरिन टेकनीकल सर्विसेज़ **लिमिटेड** को अभी तक कुल कितनी रकम दी गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : नीवेली की लिगनाइट खान की प्रारम्भिक **अवस्था** में काम आने वाले प्रचलित और विशिष्ट उपकरण के विस्तृत विवरण तैयार करने के लिये **मेसर्स पॉवेल** डफरिन टेकनीकल सर्विसेज़ लिमिटेड को १२,५०० पौंड (बारह हजार पांच सौ पौंड) की **फीस दी** गई है। इसके अलावा उनके द्वारा भेजी गई परियोजना रिपोर्ट के लिये २०,००० पौंड (बीस हजार **पौंड**) की और अधिक फीस मंजूर की गई है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मेसर्स पॉवेल डफरिन उस समवाय के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे जो हमने नीवेली में लिगनाइट के विकास के लिये हाल ही में बनाया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह मामला विचाराधीन है।

†**श्री बोस** : उस समवाय द्वारा आयात किए गए विभिन्न उपकरण का अनुमानित खर्च **क्या** है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पॉवेल डफरिन टेकनीकल सर्विसेज, लिमिटेड से कुछ भी नहीं मंगाया गया। वे केवल प्रविधिक सहायक हैं। सारे विश्व से निविदायें मंगाकर ५·५ करोड़ की लागत की मशीनरी के लिये आर्डर दे दिये गए हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

निम्न आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना

†*१२७६. { श्री भागवत झा आजाद[+] :
श्री वेलायुधन :
डा० सत्यवादी : }

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १९५६ के अन्त तक निम्न आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना के अधीन गृह निर्माण के लिये ऋण का लाभ कितने राज्यों ने उठाया है; और

(ख) १९५६–५७ के लिये निर्धारित राशि में से कितनी रकम वितरित की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) निम्न आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना का लाभ सभी राज्यों ने उठाया है ।

(ख) ६७३·८४ लाख रुपयों की निर्धारित रकम में से नवम्बर १९५६ के अन्त तक १९५·२६ लाख रुपयों की रकम वितरित कर दी गई है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : निम्न आय वर्ग समूह की आवास सुविधाओं में उस ऋण के वितरण के फलस्वरूप कहां तक सुधार हुआ है ? क्या इसका कोई मूल्यांकन हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : लगभग ४०,००० घर बनाये जाने की आशा है । प्रत्येक घर के बनाये जाने की प्रगति के बारे में कोई ब्योरेवार सूचना नहीं मिली क्योंकि ये सभी मकान गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा खुद ही बनवाये जा रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या ऐसे भी कोई राज्य हैं, जिन्होंने अपनी निर्धारित रकम खर्च करने के पश्चात् ऐसे घर बनाने के लिये और अधिक ऋण मांगा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ठीक है ।

†**श्री वेलायुधन** : केरल राज्य के लिये कितने घर निश्चित किये जा रहे हैं और क्या यह सच है कि वहां बनाये गए कुछ घर अभी भी खाली हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को इससे औद्योगिक आवास योजना का भ्रम हो रहा है । जहां तक निम्न आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना का सम्बन्ध है, मैं यह कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई घर खाली रह सकता है क्योंकि जिस व्यक्ति को भी ऋण मिलेगा वह अपना खुद का घर बनवायेगा ।

मैं इस योजना के अधीन किसी घर के खाली रहने की कल्पना नहीं कर सकता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : ऐसा बताया गया है कि ६ करोड़ रुपये में से केवल २ करोड़ रुपया खर्च हुआ है । क्या इस प्रकार का कम खर्च ऋण देने की कार्य व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण होने अथवा अन्य कारणों के फलस्वरूप है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, नहीं । वास्तव में घर के निर्माण की प्रगति के अनुसार ही ऋण दिया जाता है और यह वास्तव में लोगों को घर निर्माण करने के लिये प्रेरक तथा उत्तेजक का कार्य करता है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि ऐसे मकान अधिकतर शहरी क्षेत्रों में बनाये जा रहे हैं और देहाती क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि इस ऋण का बहुत बड़ा भाग शहरी क्षेत्रों के भावी गृह निर्माताओं को दिया गया है । राज्य सरकारें इस नतीजे पर आईं कि शहरी क्षेत्रों में आवास स्थिति देहाती क्षेत्रों की तुलना में अधिक कठिन है । अतएव उन्होंने ऋण के लिये शहरी क्षेत्रों के आवेदकों पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या केन्द्रीय सरकार के निम्न वर्ग लिपिक और चपरासी जो यहां काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना में शामिल किये गये हैं और क्या ऋण के रूप में मांगी गई रकम उन्हें दी गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी उन्हीं शर्तों पर इन पेशगी ऋणों का फ़ायदा उठा सकते हैं जो दूसरों की तुलना में उनके लिये भी कम फायदेमन्द नहीं है ।

गोआ

†*१२७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
श्री कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** भारत की पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय हितों की देखरेख के लिये मिस्री दूतावास को पुर्तगाल सरकार द्वारा सुविधायें न देने के सम्बन्ध में दिनांक १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०८० के उत्तर के सम्बन्धि में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या पुर्तगाल सरकार से उस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है जो भारत ने उसे भेजा था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : जी, हां । भारत सरकार को नई दिल्ली स्थित ब्राजिल के दूतावास से तारीख ३ दिसम्बर, १९५६ का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पुर्तगाल सरकार ने नई दिल्ली स्थित मिस्री दूतावास के प्रतिनिधियों को भारत की पुर्तगाली बस्तियों में जाने के लिये सुविधायें देने की तत्परता दिखाई है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अभी तक सुविधाओं के न रहते हुए भारतीय हितों की देखभाल कैसे होती थी ?

†**श्री अनिल कु० चंदा** : पुर्तगाली बस्तियों में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं हैं परन्तु एक इसाई धर्म प्रचारक फादर कारेनो हैं जो गोआ के बंदियों के कल्याण की ओर सामान्यतः ध्यान देते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : ये सुविधायें भारत सरकार द्वारा कितनी जल्दी उपयोग में लाई जायेंगी ?

†**श्री अनिल कु० चंदा** : मिस्री दूतावास के प्रथम सचिव फरवरी के माह में गोआ गये थे । इसके बाद हमने दूसरी बार उन्हें भेजने का प्रबन्ध किया परन्तु स्वीकृति अभी फिलहाल ही मिली है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि इस वर्ष के प्रारम्भ में जब पुर्तगाली सरकार ने गोआ में भारतीय बंदियों को देखने के लिये मिस्री दूतावास को सुविधाएं देने के लिये नाहीं कर दी, तब सरकार ने इंटरनेशनल रेडक्रास से गोआ जाने और बंदियों की कुशलता की खबर देने की प्रार्थना की थी, परन्तु चूंकि उन्हें ऐसा करने में कुछ कठिनाई थी अतएव उन्होंने इंकार कर दिया; उसके पश्चात् सरकार ने भारत के रेडक्रास को गोआ में कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिये और बंदियों की कुशलता का समाचार

†मूल अंग्रेजी में ।

देने के लिये कहा और यदि ऐसी बात है तो क्या उन्होंने कुछ रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट का सार क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चंदा :** भारतीय रेडक्रास, जनेवा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास और पुर्तगाली रेड-क्रास में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है ।

†**श्री कामत** : भारतीय रेडक्रास की क्या रिपोर्ट है ?

†**श्री अनिल क० चन्दा** : मरा विचार ह कि अभी भी इन अभिकरणों में पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या सरकार को इस सभा क प्रतिष्ठित सदस्य श्री त्रि० कु० चौधरी के सम्बन्ध म कोई सूचना मिली है कि गोआ जेल में उनकी हालत कैसी है ?

†**श्री अनिल कु० चंदा** : श्री त्रि० कु० चौधरी के विषय में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हमने सभा को वह सारी जानकारी दे दी है जो हमें उनके बारे में मिली थी ।

विस्थापित व्यक्तियों की नगरियां और बस्तियाँ

†*१२८०. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैतनिक सलाहकार (उद्योग) की नियुक्ति के बाद विस्थापित व्यक्तियों की नगरियों और बस्तियों में और अन्य स्थानों पर जहां बहुत से शरणार्थी हैं, दर्मियाने, छोटे पैमाने के और बड़े पमाने क उद्योगों को विकसित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की ह ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). अवैतनिक सलाहकार (उद्योग) २७ सितम्बर, १९५६ को नियुक्त किया गया था । वह पहले बंगलोर गया था और वहां उसने सरकारी कारखानों में २०० विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया था । इसके बाद वह अक्तूबर १९५६ के मध्य में निजी तौर पर जर्मनी गया था, जहां से वह कुछ दिन पूर्व लौटा है ।

†**श्री गिडवानी :** क्या मैं यह समझ लूं कि वह निजी तौर पर गया था और वह सरकार का स्थायी कर्मचारी नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैंने कहा है कि वह अवैतनिक सलाहकार है और वह जर्मनी में निजी तौर पर गया था ।

†**श्री गिडवानी :** अवैतनिक सलाहकार के रूप में उसके क्या कृत्य हैं ? अवैतनिक रूप से वह कितनी देर काम करता है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** विस्थापित व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार देने के लिये हम शरणार्थी वस्तियों में उद्योग शुरू करने के मामले में, उसके अनुभव से लाभ उटा रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, उन्हें लाभप्रद काम देने की समस्या बहुत गम्भीर है ।

श्री विभूति मिश्र : बेटिया में जहां करीब कोई २७,००० रिफ्यूजीज़ को बसाया गया है कौन सी इंडस्ट्री चलाने की बात गवर्नमेंट सोच रही है ताकि इधर-उधर जो लोग भटक रहे हैं, उनको काम मिल सके ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं खुद बटिया गया था और वहां जाकर मैंने कोशिश की कि कोई न कोई दस्तकारी लग जाये । इस मामले में मैंने डा० श्री कृष्ण सिंह से जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और मुनीमी साहब से, जो वहां के रिहैबिलटेशन के वज़ीर हैं, बात की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि वह कौन-सी इंडस्ट्री वहां लगाने जा रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने कहा है कि पिछले महीने मैं वहां गया था। अब हम देखेंगे कि वहां पर कौ-नसी इंडस्ट्री लग सकती है—शुगर मिल लग सकती है या स्पिनिंग मिल लग सकती है। वहां पर रा-मटीरियल की एवेलेबिलिटी और मार्केटेबिलिटी वगैरह सब बातों को ध्यान में रख कर इस बारे में फैसला किया जायेगा, लेकिन हमारा इरादा जरूर है कि वहां पर कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज़ लगाई जानी चाहिये।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय की ओर से टाउनशिप में इंडस्ट्रीज़ को चलाने की जो स्कीम है, उसको हम कितने समय के बाद जारी होते देख सकेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक इंडस्ट्रीज़ लगाने का ताल्लुक है, उसके लिये हमने पांच-साला योजना में साढ़े ग्यारह, बारह, तेरह करोड़ रुपये रखे हैं। हमारा इरादा है कि जितनी जल्दी हो सके, इन कालोनीज़ में इंडस्ट्रीज लगाई जायें, ताकि वहां पर जो रेफ़यूजी भाई रहते हों, उनको रोज़गार मुहैया हो सके।

†**श्री ब० कु० दास :** क्या यह अवैतनिक सलाहकार पूर्वी भाग की ओर ध्यान देगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जी, हां। सम्भवत: पूर्वी भाग की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि वहां समस्या पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गम्भीर है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या इस अवैतनिक सलाहकार के अनुभव के फलस्वरूप, इन व्यक्तियों को लाभप्रद काम देने के लिये कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो क्या उन व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया गया है, जिन्हें काम दिया जायेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जब मैंने उत्तर दिया था, तो सम्भवत: माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया ....

†**श्री भागवत झा आजाद :** मैं पूरा ध्यान दे रहा था ...

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा कोई विवाद नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री का कहना है कि उन्होंने उत्तर दिया है और सम्भव है माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित न हुआ हो।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इसका उत्तर दिया ही नहीं गया। आप कार्यवाही देख सकते हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैंने अपने उत्तर में कहा था कि नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् वह दक्षिण में गया था और उसने २०० विस्थापित व्यक्तियों को काम देने की एक योजना तैयार की। वापसी पर, वह निजी तौर पर जर्मनी गया था, और भारत में कुछ दिन पूर्व ही लौटा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या अवैतनिक सलाहकार की नियुक्ति के बाद उन दर्मियाने, छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थापित किये जाने हैं, योजनायें चालू हो गई हैं और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** अवैतनिक सलाहकार की नियुक्ति के बारे में मैंने बार-बार कहा है कि उसे उद्योग स्थापित करने में हमारी सहायता करने का समय नहीं मिला, किन्तु जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें एक विस्तृत विवरण भेज दूंगा जिसमें यह बताया गया होगा कि हमने इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में कितनी प्रगति की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले पर बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्रीलंका और मलाया से आये भारतीय राष्ट्रजनों का पुनर्वास

†*१२८१. **श्री अय्युण्णि :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मलयालियों की संख्या क्या है, जो श्रीलंका या मलाया में नागरिकता अधिकार न दिये जाने के कारण अब तक केरल लौट आये हैं, और

(ख) उनके पुनर्वास के लिये केरल राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) श्रीलंका के बारे में, ठीक-ठीक आंकड़े नहीं दिये जा सकते, क्योंकि लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के अधिकांश व्यक्ति, जो भारत वापस आने के प्रयोजन से भारतीय यात्रा पत्रों के लिये प्रार्थनापत्र देते हैं, यह बताने में संकोच करते हैं और श्रीलंका की नागरिकता के लिये उनके प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं। लोग स्वेच्छा से या श्रीलंका सरकार द्वारा 'छोड़ जाओ' के नोटिस दिये जाने पर वापस आ रहे हैं। केरल राज्य में वापस आने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग ३,००० है।

मलाया के सम्बन्ध में, अभी तक भारत सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया, जिसमें किसी भारतीय को इस कारण मलाया छोड़ने के लिये कहा गया हो कि वह संघ का, या ब्रिटेन का और उपनिवेश नागरिक नहीं है या राज्य का राष्ट्रजन के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है।

प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनकी मातृभाषा के अनुसार आंकड़े इकट्ठे करना सम्भव नहीं है।

(ख) चूंकि उनमें से अधिकांश अपनी कमाई के साथ भारत लौट आते हैं और अपने-अपने जिलों में जाकर बसते हैं, इसलिये उनका पुनर्वास कोई समस्या नहीं है और उनके पुनर्वास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही यह आवश्यक समझी गई है।

†**श्री अय्युण्णि :** क्या भारत लौटने वाले व्यक्ति वहां बहुत देर रहे थे या थोड़ी देर ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं यह नहीं कह सकता, क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न श्रीलंका से वापस आने वाले व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास के बारे में था। केरल सरकार ने हमें यह नहीं बताया कि उनके बारे में कोई समस्या है।

†**श्री थानु पिल्ले :** माननीय मंत्री ने कहा है कि ये लोग अपनी कमाई साथ लेकर आते हैं, इसलिये पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता। इस बात का क्या प्रमाण है कि श्रीलंका से जो भी व्यक्ति आ रहा है उस के पास अपने पुनर्वास के लिये बहुत सा धन होता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैंने यह कभी नहीं कहा कि वह बहुत सा रुपया लेकर आते हैं। उनकी कमाई चाहे कितनी हो उन्हें उसे भारत आते समय साथ ले आने दिया जाता है।

†**श्री थानु पिल्ले :** क्या उनमें ऐसे लोग नहीं हैं, जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती और जो भारत की सड़कों पर भिखारियों के रूप में रहते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैंने अपने उत्तर में कहा है कि हमें सम्बन्धित राज्य से यह जानकारी नहीं मिली कि उनके बारे में कोई समस्या है।

†**श्री वीरस्वामी :** क्या यह सच नहीं है कि श्रीलंका और मलाया से निकाल जाने वाले लोग लगभग सभी दक्षिण भारत विशेषकर केरल और तामिलनाड के हैं, और केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या पर विचार नहीं किया और पीड़ित लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई.....

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानकारी लेने की बजाये, जानकारी दे रहे हैं।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : वास्तव में माननीय सदस्य ने एक आरोप लगाया है।

†**श्री वीरस्वामी** : सरकार से सहायता न मिलने के कारण कितने लोग पीड़ित हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक प्रश्न में कितने प्रश्न हैं ? मैं इन सब प्रश्नों को जो एक ही प्रश्न में जोड़ दिये गये हैं, समझ नहीं सका। माननीय सदस्यों को प्रश्न काल से लाभ उठा कर टिप्पणियां नहीं करनी चाहियें। वे एक सीधा प्रश्न पूछें और सीधा उत्तर लें।

†**श्री वीरस्वामी** : मैंने सीधा प्रश्न पूछा था और सीधा उत्तर चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनसे प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना सीधा नहीं है। अब श्री थामस अपना प्रश्न पूछें।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या उपमंत्री ने यह कहा है कि केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ? यह प्रश्न सदन में प्रश्न काल में और त्रावनकोर-कोचीन उद्घोषणा की चर्चा के समय उठाया गया था। क्या श्रीलंका से शरणार्थियों के आने से कोई समस्या पैदा हो गई है और क्या केन्द्रीय सरकार किसी योजना में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये तैयार है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं केवल अपने इस उत्तर को दुहरा सकता हूं कि राज्य सरकार की राय में, उनके पुनर्वास की कोई समस्या नहीं है, यदि सम्बन्धित सरकार ही हमें ऐसा न कहे, तो हम स्वयं कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं ?

गांव के डाक घर

*१२८३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री १६ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में डाक की सुविधायें बढ़ाने के लिये नये डाकघर खोलने की शर्तों को शिथिल करने के प्रश्न के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं।

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). आशा है कि आदेश शीघ्र ही जारी हो जायेंगे।

इस विषय में एक विवरण, जिसमें प्रस्तावित आगामी नीति का उल्लेख है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

(घ) इन नई नीति के आर्थिक प्रभाव की जांच की जा रही थी।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि अभी भी दो हजार की जनसंख्या नया डाकखाना खुलने के लिये अनिवार्य है। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि पर्वतीय इलाकों में या रेगिस्तानी और सुनसान इलाकों में दो हजार की शर्त पूरा करना कठिन हो जाता है ? क्या सरकार ऐसे इलाकों के लिये इस शर्त को ढीला करने पर विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : इसीलिये इन क्षेत्रों की दो मील की अवधि को बढ़ा कर चार मील की अवधि कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि चार मील की अवधि करने से पोस्टमैनों का काम इतना बढ़ जायेगा कि उनको अपना काम करना कठिन होगा ? क्या इस दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न पर विचार किया गया है ?

श्री राज बहादुर : यह अनुमान लगाया गया था कि चार मील की अवधि में जो काम होगा वह एक हरकारे के लिये काफी होगा। अगर आगे ऐसा अनुभव हुआ कि यह काम ज्यादा है तो एक से ज्यादा हरकारा भी रखा जा सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में यह बताया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत बहुत से शाखा डाकखानों को उप-डाकखाना बनाया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिये जो शर्तें रखी गई थीं क्या उनमें ढिलाई की जायेगी और किस प्रकार इन डाकखानों को खोला जायेगा ?

श्री राज बहादुर : यह अनुभव किया जा रहा है कि इन डाकखानों पर चिट्ठियों के आने जाने का और मनीआर्डरों का काम बहुत बढ़ता जाता है। इसलिये भी इनको उप-डाकखानों में बदला जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : आपने यह नहीं बतलाया कि वे शर्तें क्या हैं ?

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं उत्तर नहीं समझ सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें और जो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : मैं मूल प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपने बहुत देर से कहा है। सब अनुपूरक प्रश्नों का स्पष्टीकरण अब अंग्रेजी में नहीं किया जा सकता।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : मैं केवल मूल उत्तर जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब नहीं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : २००० की सीमा में कितने मामलों में छूट दी गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं कह सकता। मेरे विचार में हमने कुछ मामलों में जिनमें थाना, ताल्लुक या मुख्यालय का प्रश्न है, छूट दी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को मैं सुझाव दूंगा कि उनमें से जो भी हिन्दी न समझ सकें, उन्हें हिन्दी में उत्तर दिये जाने के बाद तुरन्त उठ कर प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दिये जाने की मांग करनी चाहिये। तब मैं अनुमति दे सकता हूं। चार-पांच प्रश्नों के पूछे जाने के बाद यदि कोई सदस्य कहता है कि पहले प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाये, तो मैं अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : अगली बार मैं ऐसा करूंगा। मैं केवल मूल प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बार भी उन्हें संतुष्ट रहना चाहिये।

पं० ह्रा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि अधिक पोस्ट आफिस खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितने पोस्ट आफिस खोले जायें उनमें कम से कम चिट्ठियां ठीक समय पर वितरित हो सकें और मनीआर्डर ठीक समय पर दिये जायें ? आजकल नये पोस्ट आफिसों में चिट्ठियां दो-दो तीन-तीन दिन देर से मिलती हैं।

श्री राज बहादुर : मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि इसका ध्यान रखा जाता है और इसकी काफी निगरानी भी की जाती है। और यह भी सत्य है कि जितनी देर से पहले गांवों में चिट्ठियां पहुंचती

†मूल अंग्रेजी में ।

थीं उससे कहीं कम देर में अब पहुंचती हैं और हजारों लाखों गांवों में जिनमें कि पहले चिट्ठियां कभी पहुंचती ही नहीं थीं उनमें भी अब चिट्ठियां पहुंचती हैं।

श्री फीरोज गांधी : इन डाकखानों को खोलने के लिये जो दरखास्तें दी जाती हैं उन पर विचार होने में वर्षों बीत जाते हैं और डाकखाने नहीं खुलते। क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : गंगा गंज का डाकखाना जिसकी ओर शायद माननीय सदस्य इशारा कर रहे हैं शीघ्र ही खुल जायेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या यह सत्य है कि जब चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं तो उसके टिकट निकाल लिये जाते हैं और उनको बैरंग भेज दिया जाता है।

श्री राज बहादुर : ऐसा कहीं-कहीं हो सकता है। लेकिन डाकखाने का इससे सम्बन्ध नहीं है। दूसरे लोग भी टिकट निकाल सकते हैं।

थामस किस्म के इस्पात का आयात

†*१२८४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा प्रयोग के लिये थामस किस्म का इस्पात आयात किया गया है और यदि हां, तो कितना;

(ख) उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये यह आयात किया गया था, यह किस हद तक उपयुक्त पाया गया है; और

(ग) इस किस्म का इस्पात बड़ी मात्रा में आयात के लिये उपलब्ध है और क्या इससे देश में इस्पात स्थिति में सुधार हो जायेगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां। १९५४, १९५५ और १९५६ की अवधि में १,११,९८० टन थामस किस्म के इस्पात के लिये आर्डर दिये गये हैं।

(ख) उस टेकनिकल मिशन ने, जिसने थामस किस्म के इस्पात का प्रयोग करने वाले देशों का दौरा किया है, यह कहा है कि रेलवे में प्रयोग करने के लिये थामस किस्म का इस्पात उपयुक्त होगा।

(ग) बाहर से बहुत सा इस्पात मंगवाने में कठिनाई है। भारतीय रेलों द्वारा थामस किस्म का इस्पात स्वीकार कर लेने से अधिक इस्पात मिल सकेगा और स्थिति में भी उस हद तक सुधार होगा।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस किस्म का इस्पात यहां भी पैदा किया जा सकता है ?

†**श्री म० म० शाह** : इस मामले की जांच की गई है और मालूम हुआ है कि यह पैदा किया जा सकता है। वास्तव में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इसे कई वर्ष पैदा करती रही थी, किन्तु चूंकि यह कुछ घटिया किस्म का था, इसलिये हम खुली-भट्टी किस्म और अन्य किस्में तैयार करने लगे हैं।

†**श्री बोस** : क्या सरकार ने विश्लेषण करके यह मालूम किया है कि मजबूती, टिकाऊपन और रासायनिक बनावट के पहलुओं से थामस किस्म के इस्पात और अन्य साधारण इस्पात में वास्तविक अन्तर क्या है ?

†**श्री म० म० शाह** : जी, हां।

†**श्री स० चं० सामन्त** : जब हम थामस किस्म का इस्पात स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अन्य किस्मों के मूल्य बढ़ रहे थे। अब जबकि हमने यह किस्म स्वीकार कर ली है, क्या अन्य किस्मों के मूल्य कुछ हद तक कम हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में।

†**श्री म० म० शाह** : थामस किस्म का इस्पात, दूसरी किस्म के इस्पात से लगभग १० डालर या ५० रुपये सस्ता है। किन्तु चूंकि विश्व के विभिन्न देशों ने, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, थामस किस्म का इस्पात खरीदना शुरू कर दिया है, इसलिये इसका मूल्य भी बढ़ रहा है। इस्पात की अन्य किस्मों के मूल्य में कोई खास कमी नहीं हुई।

पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल

†*१२८५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल के अधीन वृहद् क्षेत्रों में तार तथा टेलीफोन लाइनों के निर्माण पर उड़ीसा परिमंडल का नियंत्रण एवं व्यवस्था रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दोहरे नियंत्रण के फलस्वरूप निर्माण में बाधा हो रही है; और

(ग) क्या सरकार इन बातों पर पुनर्विलोकन एवं इनका पुनर्गठन कर निर्माण कार्य में गति प्रदान करने का विचार रखती है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, नहीं। तार की लाइनों के दो सैक्शन अर्थात् (१) रेलवे के साथ-साथ बिजली से लक्षन्नाथ रोड और (२) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के कंटाई सब-डिवीजन में सड़क के साथ, इगरा से भगवानपुर, को टेकनीकल नियंत्रण एवं निर्वहन की सुविधा से उड़ीसा डाक तथा तार परिमंडल के इंजीनीयरिंग क्षेत्राधिकार में रखे गये हैं। तदनुसार इन सैक्शनों में तार तथा टेलीफोन लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित निर्माण कार्य उड़ीसा परिमंडल द्वारा किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पुनगठित राज्यों की सीमाओं के अनुसार सम्बन्धित परिमंडलों के क्षेत्राधिकारों का पुनर्गठन तथा पुनरीक्षण करने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने नकारात्मक उत्तर दिया था। क्या खेडग्री में तारघर खोलने की स्वीकृति दो वर्ष पूर्व दी गई थी और उड़ीसा परिमंडल और पश्चिम बंगाल परिमंडल में समन्वय न होने के कारण ही इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे इस मामले की निश्चित जानकारी नहीं है किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे दूं कि सम्पर्क के अभाव अथवा अन्य किसी कारण से इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होगी किन्तु इसका कारण अधिकांशतः स्टोर्स की कमी है जिसके अनेक कारण हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस प्रकार का कोई पुनर्गठन किया जायेगा कि जो क्षेत्र जहां विद्यमान हैं उन्हें उसी परिमंडल में सम्मिलित कर दिया जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : वर्तमान म हमारी नीति यह है कि जहां कहीं भी दोहरा स्टेशन हों वहां इन डिवीजनों का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया जाता है। इस मामले में, हिजली में एक स्टेशन है। अतः दो उप-सेक्शन अथवा सक्शन वहां एक विशेष स्थल पर समाप्त कर दिये जायेंगे। विशद परीक्षण के समय इस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या इस प्रश्न पर कभी विचार किया गया है कि यदि उड़ीसा परिमंडल के भागों को पश्चिम बंगाल परिमंडल में मिला दिया जाये तो कार्यक्षमता एवं मितव्ययता बढ़ जायेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री राज बहादुर** : जैसा मैंने पहले कहा था, जहां कहीं भी दोहरा स्टेशन हो, हम निर्वहन एवं टेक्नीकल नियंत्रण के प्रयोजनहेतु इसे बन्द कर देते हैं । हिजली और लक्षन्नाथ मार्ग के बीच केवल २६ मील और इगरा से भगवानपुर के बीच ४८ मील का अन्तर है । दूसरे परिमंडलों में भी ऐसी स्थितियां हैं, यह केवल पश्चिम बंगाल परिमंडल में ही नहीं है । अन्य परिमंडलों के उप-सैक्शनों की बहुत सी लाइनों का क्षेत्राधिकार दूसरे परिमंडलों में भी है ।

चश्मे के कांच बनाने का कारखाना

†*१२८७. { **श्री रा० प्र० गर्ग** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री वोडयार :
श्री विभूति मिश्र :

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किये जाने वाले चश्मे के कांच बनाने का प्रस्तावित कारखाने का स्थान;

(ख) क्या कारखाने के लिये टेक्नीकल काम करने वाले व्यक्ति देश में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इस कारखाने में काम करने के लिये किन्हीं टेक्नीशियनों को विशेष प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या;

(ङ) क्या कोई विदेश इस कारखाने की स्थापना में सहायता दे रहा है; और

(च) यदि हां, तो किन शर्तों और निबन्धनों पर ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) कुछ टेक्नीशियनों को विदेश में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(च) शर्तों और निबन्धनों के बारे में अभी बात-चीत करना है ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : कारखाने की प्रस्तावित व्यय और उसका उत्पादन सामर्थ्य क्या है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विचार है कि कारखाने का वार्षिक उत्पादन सामर्थ्य ५० टन चश्मे के कांच और २५० टन नेत्ररोगोपयोगी कांच बनाने का हो ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच है कि माननीय उत्पादन मंत्री जब पिछली बार रूस गये थे तो उन्हें सहायता का प्रस्ताव मिला था और यदि हां, तो रूस का निश्चित प्रस्ताव क्या है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि उत्पादन मंत्री ने अपनी पिछली मास्को यात्रा के समय मास्को के समीप स्थित चश्मे के कांच का कारखाना देखा था । शर्तों और निबन्धनों के सम्बन्ध में बात-चीत करने के लिये चार दिन पूर्व एक रूसी दल हमारे देश में आया ह । रूस द्वारा दिये गये दीर्घकालीन ऋण की लगभग १,७५,००० रुपये की राशि योजना सम्बन्धी व्यय में सम्मिलित है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या विशेषज्ञ समिति इस कारखाने के सम्बन्ध में प्राथमिक वार्ता के पश्चात् उसके स्थान और अन्य ब्यौरे के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : जो दल यहां आया है वह इस देश में चश्मे के कांच बनाने की लागत का अध्ययन करेगा और यहां हमारे विशेषज्ञों के साथ विस्तृत बातों पर चर्चा करेगा । इस मामले में एक कठिनाई यह है कि चश्मे का कांच बनाने का काम विश्व की इनी-गिनी फैक्टरियों के पास ही है, अतः इस दिशा में हमें विशेष जानकारी नहीं हैं । हमें साधारण स्थिति से यह कार्य आरम्भ करना है । फिर इस पर चर्चा कर योजना तैयार करनी पड़ेगी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इसका ख्याल रखेगी कि यह आप्टिकल ग्लास फैक्टरी एक ऐसे ऐरिया में लगाई जाये जो बहुत ही बैकवर्ड हो ताकि गांव वालों को उससे कुछ लाभ हो सके ?

श्री सतीश चन्द्र : यह फैक्टरी तो ऐसी जगह लगानी पड़ेगी जो ऐरिया कि इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप्ड हो क्योंकि उसमें काफी टेक्नीकल सवाल पैदा होंगे और सरकार के इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरियां और दूसरे इस तरह के कारखाने ज्यादातर, जहां तक मैं समझता हूं, कलकत्ते के रीजन में हैं और यह वहीं जायेगी ऐसा मेरा अन्दाज़ है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या विदेशों में प्रशिक्षणहेतु कुछ लोगों का चुनाव किया गया है और वे किन-किन देशों को भेजे जायेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मूल उत्तर में मैंने बता दिया है कि इस अवस्था में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या सरकार ने रूसियों की निर्माण पद्धतियों और उनके कारखाने में निर्मित कांचों की आस्ट्रिया और जर्मनी के विश्वविख्यात कांचों से तुलना की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने केवल पश्चिम जर्मनी का एक चश्मे के कांच का कारखाना देखा था । मेरा विचार है कि वे इस देश में चश्मे के कांच बनाने के कारखाने में हाथ बटांने के लिये तैयार नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दल यहां आया हुआ है । हमें उनके विचार प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करना चाहिये । अगला प्रश्न :

क्रय तथा विकास बोर्ड

†*१२८८. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामग्री क्रय समिति की सिफारिश के अनुसार एक क्रय तथा विकास बोर्ड की स्थापना का निश्चय कर लिया है;

(ख) इसकी रचना तथा कार्य क्या-क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) जी, नहीं । इसके स्थान पर सरकार ने केन्द्रीय क्रय संगठन को—विशेषकर सरकार की आयात की जाने वाली सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु देशी उद्योगों के विकास के निर्देश में परामर्श देने के लिये एक स्थायी समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२]**

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रय में विलम्ब का कारण एक यह भी है कि सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के हाथों में क्रय सम्बन्धी कार्य केन्द्रित कर दिये

†मूल अंग्रेजी में ।

गये हैं ? यदि यह सच है तो यह स्थायी समिति विभिन्न विभागों की कठिनाइयों को किस सीमा तक दूर कर सकेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : किसी भी विशेष क्रय समिति के बारे में यथार्थ उन्नति स्वयं क्रय संगठन का प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहेगा। जैसा माननीय सदस्या को सभा पटल पर रखे गये विस्तृत विवरण से मालूम होगा, स्थायी समिति नीति सम्बन्धी सामान्य विषयों तथा अन्य बातों के बारे में क्रय संगठन और सरकार को परामर्श देगी।

†**श्री वेलायुधन**: क्या विदेशों को जाने वाले क्रय सम्बन्धी मिशन इसके अधीन रहेंगे और क्या यह भी सच है कि अनेक अधिकारी इन क्रय-मिशनों में जाने की अभिलाषा रखते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा विश्वास है कि सदन में और बाहर भी लोग विदेश जाने के अवसर की टोह में रहते हैं।

†**श्री वेलायुधन** : मैं विदेशों में जाने वाले क्रय-मिशन का निर्देश कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कहते हैं कि इस मामले में ही नहीं प्रत्युत अन्य मामलों में भी लोग बाहर जाना पसंद करते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : लन्दन और वाशिंगटन स्थित विदेश क्रय मिशनों में बारी-बारी से नियुक्तियां की जाती हैं। इन्हें वहां प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है और पश्चात् ये लौट आते हैं। यह पद्धति जारी रहती है।

राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना

†*१२८९. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी**+ :
डा० सत्यवादी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन बनाये गये घरों की संख्या के विषय में कोई सूचना मिली है; और

(ख) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अन्तर्गत अन्तिम लक्ष्य पूरा हो गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) जी, हां। राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन मंजूर किये गये घरों के निर्माण की प्रगति को बतलाने वाली रिपोर्टें नियमित अंतरावधियों में प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अधीन घरों के निर्माण के लिये विशेष रूप से निर्धारित २५ करोड़ रुपयों की रकम में से ७८,०२९ मकानों के निर्माण के लिये (ऋण और राज्य सहायता दोनों के रूप में) २२·३२ करोड़ रुपयों की रकम मंजूर की गई थी। योजना अवधि में ४३,८३१ घरों का निर्माण पूरा हो चुका था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य सहायता प्राप्त घरों के बन जाने के बाद उन क्षेत्रों में आवास स्थिति कहां तक सुधर गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : स्थिति का सुधरना अवश्यम्भावी है। जहां तक प्रतिशत का प्रश्न है, यह तो अपना-अपना अन्दाजा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** कोयला खानों में आवास समस्या किस हद तक हल की गई है क्योंकि वहां से हमेशा शिकायतें आती रहती हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कार्य श्रम मंत्रालय कर रहा है । उन्होंने कुछ मकानों को बनाने का जिम्मा ले लिया है । यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह शत-प्रतिशत हल हो गई है; परन्तु सुधार के लक्षण तो दृष्टिगोचर हैं ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़ :** आंध्र राज्य को दिये गये ऋण से उस राज्य में कितने मकान बनाये गए हैं ?

†**एक माननीय सदस्य :** वहां कोई उद्योग नहीं हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** आंध्र राज्य में कुछ नए क्षेत्र जोड़े गये हैं । मुझे जानकारी एकत्रित करने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़ :** मैं आंध्र और हैदराबाद राज्य में बनाए गए मकानों की संख्या जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें दोनों के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं पुरानी चीजों की अपेक्षा नई चीजों पर अधिक ध्यान देता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय सभा-सचिव ने कहा है कि ७८,००० घरों में से ४३,००० मकान बना दिए गए हैं, परन्तु इस औद्योगिक आवास योजना क लिये निर्धारित २५ करोड़ रुपयों में से मेरी राय में २२ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि इन घरों का कुल खर्च मूल अनुमानित खर्च की अपेक्षा बहुत अधिक रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी नहीं, यह निष्कर्ष ठीक नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** आँकड़ों से ऐसा पता लगता है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उनसे पता नहीं लगता, यह केवल आंकड़ों का गलत निर्वचन है ।

†**श्री सारंगधर दास :** उड़ीसा को कितनी रकम निर्धारित की गई है, वहां कितने मकान बनाए गए हैं और क्या उड़ीसा के लिये निश्चित किया गया अंतिम लक्ष्य पूरा हो चुका है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** किसी राज्य विशेष के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ समा :** आसाम के चाय उद्योग से सम्बन्धित आवास योजना के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसका उत्तर भी वही है जो मैं पहले दे चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कह चुक हैं कि उन्हें किसी राज्य विशेष के बारे में जानकारी देने के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** आवास स्थिति कहां तक ठीक हो गई है, इसके उत्तर में मंत्री ने कहा है कि इसके बारे में अपना-अपना अन्दाजा है । अब जब कि २५ करोड़ रुपयों में से २२ करोड़ खर्च हो चुके हैं, क्या मंत्रालय के पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे वास्तविक प्रतिशतता मालूम हो सके ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वास्तविक प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है, परन्तु मैं बनाए गए घरों की संख्या पहल ही बता चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इंजनों का आयात

†*१२९०. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की टाटा आइरन और स्टील कम्पनी ने इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से सात औद्योगिक इंजन मंगाये हैं;

(ख) यदि मंगाये हैं, तो इन इंजनों का मूल्य क्या है; और

(ग) ये इंजन किस प्रकार के हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) न्यूयार्क में जहाज तक पहुंचा कर ६९६,९५५·०० डालर ।

(ग) डीज़ल इलेक्ट्रिक किस्म के ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** ये इंजन किस प्रयोजन से मंगाये जा रहे हैं ?

†**श्री म० म० शाह :** ये टाटा आइरन और स्टील कम्पनी ने अपने भीतरी आवागमन और शंटिंग के प्रयोजन के लिये मंगवाए हैं ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** औद्योगिक इंजनों को देश में बनाने के लिये क्या सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री म० म० शाह :** जी, हाँ । परन्तु इस प्रकार के नहीं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या ६६,००० डालर की लागत वाले इन औद्योगिक इंजनों की ढोने की शक्ति उतनी ही होगी जितनी कि भारत में बनाये गए वाष्प शक्ति वाले (डब्लू० पी०) इंजनों की होती है ?

†**श्री म० म० शाह :** दोनों की कोई तुलना नहीं । यह इंजन नए डीज़ल इलैक्ट्रिक प्रकार का है जो डीजल आइल से स्वयं शक्ति पैदा कर लेता है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** मेरा प्रश्न इससे भिन्न था । आयात किये गये इन इंजनों की खींचने की शक्ति कितने हार्स पावर होगी ?

†**श्री म० म० शाह :** चार इंजन ८० टन वाले हैं; दो इंजन १५० टन वाले हैं और एक इंजन २५ टन वाला है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या यह सच है कि इंजन बनाने वाले हमारे कारखानों से उत्पादन सीमित करने और उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन न करने को कहा गया है ?

†**श्री म० म० शाह :** संबन्धित मशीनरी का सामर्थ्य ही उत्पादन सीमित कर सकता है ।

जापान को भारतीय प्रतिनिधिमंडल

†*१२९१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
डा० राम सुभंग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा : }

क्या **वाणिज्य तथा उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह शासकीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो भारत की कच्ची धातु को जापान भेजे जाने के सम्बन्ध में बात-चीत करने के लिये जापान गया था, भारत वापिस आ गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि आ गया है, तो इस वार्ता का क्या नतीजा हुआ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय हुआ है, तो वह क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). १९५७-५८ से १९६१-६२ तक की अवधि में कच्चे लोहे की खरीद और बिक्री के लिये जापान और भारत में एक समझौता हो चुका है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह लेनदेन दो सरकारों के बीच होगा अथवा सरकार और गैर-सरकारी अभिकरण के बीच होगा ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मुझे इस समय पता है, यह हमारी ओर से राज्य व्यापार निगम और जापान की ओर से खरीदारों के एक समूह के बीच हुआ है ।

†**श्री कामत** : प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने में जनता का पैसा बरबाद करने के पहले क्या नई दिल्ली के जापानी दूतावास से इस मामले पर बात-चीत करने की संभावना पर विचार किया गया था?

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा हो कि माननीय सदस्य "जनता का पैसा बरबाद करने" शब्दों को हटा दें ।

†**श्री कामत** : अस्तु, मैं जनता का पैसा "खर्च करना" कहूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को उत्तर सुनने के पहिले ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिय और यह निर्णय नहीं करना चाहिये कि यह बरबादी है या अन्य प्रकार का खर्च है ।

†**श्री करमरकर** : मुझे खेद है कि इस प्रश्न के विषय में उन्हें गलत धारणा हो गयी है क्योंकि प्रतिनिधिमंडल एक सम्मेलन के लिये जापान गया था और उसी काम के साथ-साथ उन्होंने यह समझौता बिना किसी अतिरिक्त खर्च के कर लिया ।

†**श्री कामत** : क्या कोई खर्च नहीं हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे दूसरे प्रयोजन से गए थे; उन्होंने यह अचानक कर लिया, अतएव कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : चूंकि जापान हमारे कच्चे लोहे का स्थायी खरीदार है, क्या भारत में जापान द्वारा एक लोहा गलाने के संयंत्र को स्थापित करने और तैयार हुए माल का एक भाग जापान को निर्यात करने तथा शेष भाग भारत में घरेलू उपयोग के लिये रहने देने की सम्भावना पर विचार नहीं किया गया ?

†**श्री करमरकर** : यह एक सुझाव है जिसे मैं सम्बन्धित सूत्रों तक पहुंचा दूंगा ।

†**श्री श्रीनारायणदास** : इस लेनदेन के समझौते की क्या शर्तें हैं ?

†**श्री करमरकर** : वह अन्य शर्तों से सह सम्बन्धित नहीं है । परन्तु हम जापान से ऐसी आशा रखते हैं कि हम जो कुछ चाहें वह हमें दे ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या जापान ने कुछ समय पहिले ऐसा एक प्रस्ताव रखा था ?

†**श्री करमरकर** : मुझे यह स्पष्ट कर लेने दीजिये कि यह विशेष समझौता हमारी ओर से राज्य व्यापार निगम और दूसरी ओर से गैर-सरकारी खरीदारों के बीच हुआ है । अतएव भारत और जापान के बीच हुए समझौते को दो राज्यों की दृष्टि से देखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सारंगधर दास :** क्या कुछ जापानी कम्पनियां उड़ीसा से कच्चा लोहा आयात करने के बदले में पार द्वीप बंदरगाह बनाने का विचार कर रही हैं ?

†**श्री करमरकर** : मेरा विचार है कि उड़ीसा की परिवहन स्थिति में मदद करने के लिये गत वर्ष कुछ बात-चीत शुरू हुई थी, परन्तु अब वह आगे नहीं बढ़ी ।

तेल सम्भरण

†*१२९३. **श्री काजरोल्कर** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेज नहर के संकट से उस देश के तेल सम्भरण पर किस हद तक असर पड़ा है;

(ख) क्या इस देश में स्थापित शोधनशालाओं को मिलने वाली अपरिष्कृत तेल की पूर्ति बनी हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो शोधनशालाओं को उनकी पूरी क्षमता से कार्य करते रहने के लिए सरकार कौन-से वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने का इरादा रखती है; और

(घ) सभी प्रकार की परिस्थितियों में देश की तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पर्याप्त संग्रह बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). पैट्रोलियम और उसके अन्य उत्पादनों की सम्भरण स्थिति में कोई ह्रास नहीं हुआ परन्तु स्थिति पर समय-समय पर पुनः विचार किया जाता है ।

(ग) और (घ). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री काजरोल्कर** : स्वेज नहर के नौवहन के लिये कब तक दोबारा खुल जाने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मुझे खेद है, मैं माननीय सदस्य को इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता ।

†**श्री काजरोल्कर** : विद्यमान कच्चे तेल के स्टॉक के कब तक चलने की आशा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं जानता कि "विद्यमान स्टॉक" से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है—जैसे कि यह कहीं पड़ा हो । हम कच्चा तेल ईरान, सऊदी अरब तथा अन्य देशों से मंगाते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : पैट्रोलियम तथा कच्चे तेल का स्टॉक इस समय देश में कितना है और इस समय के उपभोग के हिसाब से इससे देश का कब तक काम चल सकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, किन्तु उन्हें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या आने वाले चुनावों में पेट्रोल के राशन की संभावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : क्या यह सुझाव किसी कायंवाही के लिये है ? यदि है, तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

†**श्री कामत** : क्या ऐसा कोई भय है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोई भय नहीं होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने प्रातः के समाचारपत्र में देखा होगा कि इंग्लैंड में पैट्रोल के राशन की प्रस्थापना है । स्वेज़, इंग्लैंड और भारत के बीच होने के कारण सदस्यों को यह भय होना

†मूल अंग्रेजी में ।

स्वाभाविक ही है कि चुनावों में क्या होगा। इसलिये वे इस बात को जानने में आतुर हैं कि क्या चुनावों के दिनों में पैट्रोल की कमी होगी या राशन होगा। केवल माननीय मंत्री ही इस बात का उत्तर दे सकते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोई भय नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये कोई भय नहीं होना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि स्वेज कैनाल के द्वारा हर साल कितना तेल आता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कहां को आता है ? स्वेज कैनाल के रास्ते तो यूरोप को जाता है क्योंकि सोर्स तो ज्यादातर पर्शिया और सऊदी अरब हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां सीधे आता है।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†*१२९५. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान के "संक्रमण लेखा क्षेत्र" में सम्मिलित होने से भारत से वहां निर्यात किये जाने वाले माल पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो सरकार ने उस मामले में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५४ से हमारे निर्यात में कुछ कमी हुई है किन्तु यह कहना कठिन है कि यह कमी अफगानिस्तान के 'सक्रमण लेखा क्षेत्र' में सम्मिलित होने से हुई है।

(ख) अफगानिस्तान को अधिक निर्यात करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री हेमराज** : क्या यह सच है कि अफगानिस्तान के संक्रमण लेखा क्षेत्र में सम्मिलित होने से कांगड़ा घाटी की हरी चाय का निर्यात घट गया है ?

†**श्री करमरकर** : जैसा कि मैंने कहा है कि यह कहना कठिन है कि हरी चाय के निर्यात में कमी या दूसरी चीजों के निर्यात में कमी अफगानिस्तान के संक्रमण लेखा क्षेत्र में सम्मिलित होने से हुई है। किन्तु यह सत्य है कि जहां तक अफगानिस्तान को हमारे निर्यात का सम्बन्ध है, हरी चाय के निर्यात में कमी हुई है। हम उस समस्या पर विचार कर रहे हैं कि यह प्रबन्ध करने के लिये समस्त संभव उपाय कर रहे हैं कि हरी चाय का निर्यात बढ़ाया जा सके।

†**श्री हेमराज** : जो कार्यवाही सरकार इस सम्बन्ध में करना चाहती है वह कब तक पूरी हो जायेगी ताकि अमृतसर में पड़े स्टॉक खत्म किये जा सकें ?

†**श्री करमरकर** : हमारी जानकारी के अनुसार, जिसे ठीक भी किया जा सकता है---अफगानिस्तान को हमारी हरी चाय के निर्यात में एक बड़ी कठिनाई यह है कि जापान हमसे इस मामले में बड़ी प्रतियोगिता कर रहा है। इसलिये यदि अमृतसर के व्यापारी हमारी चाय को कम मूल्यों पर देने को तैयार हों तो यही एक हल हो सकता है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दियासलाई का निर्माण

†*१२९६. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रोमोद्योग बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आसाम में दियासलाई बनाने के लिये कितने कुटीर उद्योग केन्द्रों के खोले जाने का विचार है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : आसाम में चालू वित्तीय वर्ष में "घ" श्रेणी के दियासलाई के पांच कारखाने खोले जाने का विचार है ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : आसाम में दियासलाई बनाने के लिये कच्चा माल पर्याप्त है, तो क्या सरकार के लिये यह अच्छा न होगा कि अधिक केन्द्र आरम्भ किये जायें ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं समझता हूं कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भी उसी प्रकार से सोच रहा है कि स्थानीय और सस्ते उपलब्ध माल का प्रयोग किया जाये ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : प्रति केन्द्र कुल आवंटन कितना होगा ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : अनुदानों के रूप में कुछ आवंटन ३,६०० रुपया होगा और ऋण के रूप में, ५,४०० रुपया होगा ।

†**श्री सु० चं० देव** : वे उद्योग कहां-कहां लगाये जायेंगे ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : आसाम में । मैं स्थानों के बारे में कुछ नहीं बता सकता ।

रासायनिक उद्योग

†*१२९७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के तेल शोधन कारखाने के उत्पादों के उपयोग के लिये रासायनिक उद्योगों के स्थापित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजनायें क्या हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार सहायक रासायनिक उद्योगों में प्रयोग के लिये तेल के कोई उत्पाद उपलब्ध नहीं होंगे । जहां तक कारखाने के गैसों का सम्बन्ध है, फालतू गैसें उनके अपने शोधन कारखाने में ही प्रयुक्त की जा रही हैं और इन गैसों को रासायनिक उद्योगों में प्रयोग करने की कोई योजना अभी तक बनाई नहीं गई है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : तेल समवाय की ओर से कहा गया है कि जब तक इनके फालतू उत्पादों को सरकार या गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता तब तक देश में तेल या तैल-उत्पादों की कीमत कम नहीं हो सकती । यदि यह बात ठीक है तो सरकार इन उप-उत्पादों के प्रयोग करने के लिये कौन-सी विशेष योजनायें बना रही है ?

†**श्री म० म० शाह** : वास्तव में स्थिति इसके बिलकुल उलट है । सरकार शोधन कारखानों के साथ इस सम्बन्ध में बात-चीत करती रही है कि गैसों को रासायनिक उद्योग के लिये प्रयोग किया जाये । जैसा कि सभा को पता है स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कम्पनी तथा बर्मा शैल से देर तक बात-चीत हुई है और वे योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दे सके । गैसों को उर्वरकों के प्रयोग में लाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : ट्राम्बे में इन फालतू गैसों के प्रयोग करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए क्या विशाखापत्तनम में स्थापित किये जा रहे तेल शोधन कारखाने के लिये कोई अग्रिम योजना है ?

†**श्री म० म० शाह** : ट्राम्बे में उन्हें रासायनिक उद्योग के लिये प्रयोग नहीं किया-जा रहा । उन्हें अपने ईंधन के काम में जला दिया जाता है । सरकार की यह कोशिश है कि एक केन्द्रीय उर्वरक संयंत्र द्वारा जो प्रतिवर्ष ४ लाख टन उर्वरक तैयार करे उन्हें ट्राम्बे में प्रयोग किया जाये ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : सरकार तथा इन दो समवायों के बीच यह समझौता करने में कि इन गैसों को रासायनिक उद्योगों के लिये उपलब्ध कराया जा सके, क्या बाधायें हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : तेल शोधन कारखाने तथा सरकार में लम्बा पत्र-व्यवहार तथा बात-चीत हुई है और उनकी मुख्य कठिनाई यह है कि वे कीमत को ईंधन के तेल तथा अन्य ईंधनों की कीमत की तुलना में तापीय मूल्य के आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं । सरकार उनकी बात मानने के लिये एक सीमा तक जा सकती है । किन्तु अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि उर्वरक कारखाने को यह गैस किस कीमत पर दी जा सकती है ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने कभी इस बात का अनुमान लगाया है कि इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेट की कार्यवाहियां किस सीमा तक स्वदेशी रासायनिक उद्योगों के विकास में रुकावट डाल रही हैं और यदि हां, तो सरकार इस रुकावट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री म० म० शाह** : श्रीमान्, यह प्रश्न क्रम-पत्र पर के प्रश्न से नहीं उठता । किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज की इस देश की कार्यवाहियां किसी भी प्रकार देशी रासायनिक उद्योगों के विकास के मार्ग में नहीं आतीं ।

†**श्री कामत** : मुझे ऐसी ही आशा है ।

हिन्द-चीन में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आयोग

***१२९९. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द-चीन में भेजे गये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आयोग के उस देश में और कितने समय तक रहने का अनुमान है; और

(ख) यह आयोग आजकल किस प्रकार के काम में लगा हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि हिन्द-चीन में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आयोग कब तक रहेगा ।

(ख) वियतनाम में आयोग, विभाजन रेखा तथा असैन्यीकृत क्षेत्र की देखरेख तथा बाहर से युद्ध सामग्री तथा लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण रखने का काम करता रहा है । कम्बोडिया में आयोग का मुख्य काम युद्ध सामग्री तथा लोगों की देखरेख करना है और कम्बोडिया सरकार की इस घोषणा की क्रियान्विति में सहायता देना है कि सैनिक गुटबन्दियों में सम्मिलित न हुआ जाये तथा विदेशी सैनिक अड्डों की अनुमति न दी जाये । लाओस में आयोग युद्ध विराम के काम में लगा हुआ है और दोनों दलों अर्थात रायल लाओशियन सरकार तथा वैयिट लाओ सेनाओं को राजनैतिक समझौता करने में सहायता दे रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री खू० चं० सोधिया : मैं जानना चाहता हूं कि इस फोर्स की कुल तादाद कितनी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे उसके लिये पृथक् सूचना चाहिये ।

श्री खू० चं० सोधिया : इस फोर्स पर कुल कितने रुपये सालाना खर्च होते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : समस्त स्थानीय व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ निधि से पूरे किये जाते हैं । हम केवल ऐसे वेतन और भत्ते देते हैं, जो भारत में दिये जाते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या दक्षिण वियतनाम सरकार अन्ततः इस बात पर सहमत है कि १९५४ के जेनेवा करार को विशेषतया दक्षिण तथा उत्तर में चुनाव कराने के बारे में क्रियान्वित किया जाये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : उन्होंने केवल अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आयोग से प्रभावपूर्ण सहयोग करने के लिये सहमति दी है किन्तु उन्होंने जेनेवा करार की कानूनी जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है ।

†**श्री कामत** : दक्षिण तथा उत्तर वियतनाम में चुनावों के बारे में ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : वियतनाम तथा उत्तर की सरकारों के बीच अभी तक कोई विचार-विमश नहीं हुआ है ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†*१३०१. { **श्री धुसिया** : +
श्री बं० ना० करील :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिये विमान से यात्रा करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ?

†**उत्पादन मंत्री क सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुब)** : (क) खादी बोर्ड का सभापति विमान यात्रा कर सकता है । बोर्ड के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विमान यात्रा के मामले सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेज दिये जाते हैं और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर स्वीकृति दी जाती है ।

(ख) बोर्ड के सदस्य बिना वेतन काम करते हैं और कई बार उनके पास समय कम होता है अथवा बैठक के स्थान से दूर होते हैं ।

†**श्री धुसिया** : १९५६ में इस समय तक बोर्ड के प्रतिनिधियों ने कितनी बैठकों में भाग लिया और उन्हें कितनी बार विमानों द्वारा यात्रा करनी पड़ी ?

†**श्री रा० गि० दुब** : बहुत-सी बैठकों में बोर्ड के कुछ सदस्यों द्वारा भाग लिया गया······

†**श्री धुसिया** : मैं बैठकों की ठीक संख्या जानना चाहता हूं ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं जानकारी दे सकता हूं किन्तु यह लम्बी सूची है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सभा-सचिव को बैठकों का हिसाब लगाना पड़ेगा ।

†**श्री धुसिया** : माननीय मित्र कह रहे हैं कि कई बैठकें हुई हैं । मैं ठीक-ठीक संख्या जानना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक-ठीक संख्या वह नहीं बता सकते ।

†**श्री कामत** : किन कारणों से सरकार ने बोर्ड के सभापति को मुफ्त विमान यात्रा की अनुमति दी ? क्या यही बात दूसरे बोर्डों के सभापतियों पर भी लागू होती है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : केवल इसी कारण कि बोर्ड के सभापति को भारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार यात्रा करने के लिये यह सुविधा दी गई ।

†**श्री कामत** : क्या सभा इससे यह समझे कि इसी बोर्ड के सभापति की जिम्मेदारियां भारी हैं और इस देश में किसी भी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी इतनी भारी नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सभा-सचिव एक विभाग के एक विशेष भाग के प्रभारी हैं । उनसे समस्त आयोगों तथा बोर्डों के बारे में पूछने से क्या लाभ है ?

†**श्री कामत** : एक औचित्य प्रश्न है । मेरी प्रार्थना है कि यदि माननीय सभा-सचिव इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो कोई और मंत्री महोदय इसका उत्तर दे दें ;

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । यह बात नहीं है कि यह प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते । सभा-सचिव ईश्वर नहीं हैं कि सर्वज्ञ हों । वह एक विभाग विशेष के एक भाग के प्रभारी हैं । माननीय सदस्य जब चाहें प्रश्न की सूचना दे सकते हैं । ऐसा नहीं है कि सरकार के सभी सदस्य उत्तर देने के लिये उपस्थित हों । प्रश्नों क उत्तरों के लिये विशेष मंत्रालयों और विभागों के लिये दिन निश्चित हैं । इसलिये माननीय सदस्य प्रश्न की पूर्वसूचना दे सकते हैं ।

†**श्री कामत** : इस सभापति की क्या भारी जिम्मेदारियां हैं जिनके कारण उन्हें यह विशेष सुविधा दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही कह चुके हैं कि इतना बड़ा देश है और एक ही ऐसा बोर्ड है । इसके सभापति कछुए की चाल से चलें तो उनका काम नहीं चल सकता ।

†**श्री कामत** : उस सभापति का नाम क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द)** : श्री वैकुण्ठलाल लल्लूभाई मेहता । वे बिना वेतन के काम करते हैं और उन्हें देश क एक भाग से दूसरे भाग में जाना पड़ता है । मेरा विचार है कि सभा को उनके प्रति उदारता से काम लेना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम

†*१३०२. + **सरदार अकरपुरी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश विशेषज्ञ, मि० ब्लैकिस्टन को राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने वाली ढलाई की भट्टियों और तापकुट्टनशालाओं का डिज़ाइन बनाने के लिये, प्रविधिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य किस प्रकार के हैं ?

† ल अंग्रेजी में ।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). मिस्टर जान ब्लैकिस्टन राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम की ढलाई की भट्टी तापकुट्टनशाला परियोजना के लिये प्रविधिक परामर्शदाता नियुक्त किए अए हैं। सरकार अन्य बातों में भी उनसे परामर्श लेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री वेलायुँधन** : क्या अनुपूरक प्रश्न कोई नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा नहीं गया है।

हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में अमेरिकी वस्त्र विशेषज्ञों की राय

†*१३०३ { **श्री शिवनंजप्पा** : **श्री भोखा भाई** : **डा० राम सुभग सिंह** :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिकी वस्त्र विशेषज्ञों जिन्होंने भारत के प्रसिद्ध हथकरघा केन्द्रों का दौरा किया था के विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : सरकार दल के पूर्ण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इन विशेषज्ञों के दौरे के परिणामस्वरूप क्या भारतीय हथकरघा उत्पादों के लिये अमेरिका में बाजार अच्छा हो जायेगा।

†**श्री करमरकर** : मेरा विचार है कि उन्होंने अपने प्रारम्भिक प्रतिवेदन में कुछ सुझाव दिये हैं; तथा हम आशा है कि हमारे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप निर्यात बढ़ेगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दल की इस सिफारिश के आधार पर कि निर्यात के लिये भेजे जाने वाले भारतीय हथकरघा उत्पादों की किस्म में सुधार होना चाहिये, क्या सरकार भविष्य में हथकरघा निर्यात सेवा निगम स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : इतने शीघ्र यह नहीं बताया जा सकता। जैसा कि मैंने बताया अन्तिम प्रतिवदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके मिल जाने के पश्चात्, उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये सभी आवश्यक उपायों पर हम सावधानी से विचार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

जबलपुर प्रशिक्षण क्रेन्द्र के एक पदाधिकारी द्वारा आत्महत्या

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ज० एस० मातद, स्थानापन्न सह-इंजीनियर, वायरलैस, जबलपुर प्रशिक्षण कन्द्र ने कुछ दिन पूव आत्महत्या की थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार; (**हंसी**) यह हंसने का मामला नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जारी रखें। यह एक गम्भीर मामला है। प्रश्न प्रस्तुत करने के ढंग से हंसी आ गई। इसमें कोई हानि नहीं है। मैं प्रश्न की अनुमति दे चुका हूं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। वह जारी रखें।

†**श्री कामत** : (ग) क्या उन्होंने एक पत्र अथवा वक्तव्य छोड़ा है जिसमें केन्द्र के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तथा जांच की मांग की गई है और यह भय प्रकट किया गया है कि सम्भव है मामला दबा दिया जाय;

(घ) यदि हां, तो जांच की जा रही है अथवा की जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) ३-१२-१९५६ को। उनका शव कुएं में पाया गया।

(ग) ऐसा कहा जाता है कि मृत व्यक्ति ने एक वक्तव्य छोड़ा है जिसमें एक अधीनस्थ पदाधिकारी (अधीक्षक) के द्वारा पीड़ित किये जाने का आरोप लगाया गया है और यह कहा गया है कि प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी तार का खण्ड इंजीनियर इस मामले में जान बूझ कर चुप है।

(घ) एक विभागीय जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कामत** : जांच कौन कर रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : पी० एम० जी० नागपुर सर्कल को जांच करने के लिये कहा गया है।

†**श्री कामत** : क्या सरकार के पास उसका वकतव्य जिसका शीर्षक "जीवन समाप्त करने से पूर्व मेरा अन्तिम वक्तव्य" और वह पत्र है जो उसने अपनी पत्नी को लिखा है ?

†**श्री राज बहादुर** : मृत व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कथित दस्तावेज पुलिस के कब्जे में हैं। जांच करने वाले पदाधिकारी तथा अपर मुख्य इंजीनियर को कहा गया है कि वह इन दस्तावेजों को पुलिस से ले लें।

†**श्री कामत** : क्या मैं आशा कर सकता हूं कि इस जांच में शीघ्रता की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरी यह इच्छा है कि जांच शीघ्र होनी चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह जांच पी० एम० जी० नागपुर सर्कल को क्यों सौंपी गई है जब कि दोनों अधनिस्थ कर्मचारी एक ही सर्कल के हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह गलत है। अभागा मृत-व्यक्ति प्रशिक्षण केन्द्र में था जिस पर पी० एम० जी० नागपुर का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह दोनों सम्बन्धित पदाधिकारी अभी पुराने पदों पर हैं अथवा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ? अथवा उनका निलम्बन कर दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : वह जहां थे, वहीं हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पत्रों में तथा वक्तव्य में कथित आरोपों को डाक तथा तार के महानिदेशक को भेजा गया था और क्या आत्महत्या के पूर्व उन पर कोई कार्यवाही की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री राज बहादुर** : इन दोनों दस्तावेजों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस घटना से पूर्व खण्ड इंजीनियर के द्वारा पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मातादे ने कोई लिखित अभ्यावेदन नहीं भेजा था। इस प्रकार के मामलों में दुखी व्यक्ति जो उपाय करता है उनमें से एक भी उन्होंने नहीं किया था।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री महोदय यह नहीं समझते हैं कि उन्होंने खण्ड इंजीनियर तार को अभ्यावेदन भेजे हों जो आगे न भेजे गये हों ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने बताया इन मामलों की जांच होनी है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात कहना मेरे लिये उचित नहीं होगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मामले की गंभीरता के कारण, यह सम्बन्धित पदाधिकारी किसी अन्य क्षेत्र को स्थानान्तरित क्यों नहीं कर दिये गए जिससे कि ब्यौरेवार जानकारी दबाई न जा सके ?

†**श्री राज बहादुर** : दस्तावेजों के आधार पर ही जांच होगी। उनका परीक्षण किया जायेगा। इस बात की जांच की जायेगी कि उनमें कही गयी बातें सच हैं या नहीं। वक्तव्य के आरोप इस प्रकार के हैं जो कभी भी हो सकते हैं। अभागे पदाधिकारी की मानसिक स्थिति कैसी भी रही हो हमें इसका ध्यान रखना है कि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं, उनके विरुद्ध पहले ही कार्यवाही करने से कहीं जांच अथवा जांच के परिणामों पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ जाये।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११.** { **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** :+
श्री म० कु० मैत्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी २९ नवम्बर, १९५६ से भूख हड़ताल पर हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौ कर्मचारी बन्दी बना लिये गये हैं;

(ग) भूख हड़ताल के तात्कालिक कारण क्या हैं; और

(घ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी, हां। पनचेट बांध के लगभग नौ कर्मचारी तीन-तीन के दल में भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने भूख हड़ताल अब तोड़ दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३]**

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या निगम ने छंटनी से पूर्व वैकल्पिक रोजगार देना स्वीकार कर लिया था या नहीं और काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये व्यक्तियों की श्रेणी की नामावलि में शीघ्र वृद्धि करना स्वीकार कर लिया था या नहीं। क्या मैं यह समझूं कि समझौता करते समय ये दोनों बातें स्वीकार कर ली गई थीं ?

†**श्री नन्दा** : समझौता प्राथमिक रूप से उन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के हिताहित क सम्बन्ध में था। और मांगों के बारे में समय-समय पर जांच की गई थी तथा कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रजी में।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं यह समझूं कि इन कर्मचारियों द्वारा की गई मांगों पर उचित रूप से विचार कर लिया गया था तथा समझौता के परिणामस्वरूप कर्मचारी संतुष्ट हो गये हैं ?

†**श्री नन्दा** : मैं प्रत्येक कर्मचारी के बारे में यह नहीं कह सकता कि वह संतुष्ट हो गया है। व्यक्तिगत रूप से मैं संतुष्ट हूं कि प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर विचार कर लिया है तथा कार्यवाही कर ली है।

†**श्री म० कु० मैत्र** : गत सितम्बर में माननीय योजना मंत्री ने कृपा करके बताया था कि वह पश्चिमी बंगाल सरकार से दामोदर घाटी निगम के इन २,००० कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये कह रहे हैं। अब तक पश्चिमी बंगाल सरकार ने इनमें से कितने कर्मचारी रख लिये हैं ?

†**श्री नन्दा** : मेरी जानकारी के अनुसार ४०० शेष रह गये थे। उसके पश्चात् रेलवे से रोजगार देने का प्रस्ताव मिल गया था। कुछ अधिसूचनाओं के अनुसार अभ्यर्थियों से भेंट की गयी थी तथा मेरा विश्वास है कि अब तक छंटनी किये गये पर्याप्त कर्मचारी रखे जा चुके होंगे। शेष ४०० के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

†**श्री क० कु० बसु** : उत्तर में आज की स्थिति नहीं बताई गई है। अभी तक बहुत सी शिकायतें हैं जो निबटाई नहीं गई हैं। कर्मचारियों तथा दामोदर घाटी निगम के प्रबन्धकों के झगड़े, जिनमें से वैकल्पिक रोजगार दिलाना भी एक है, अन्तिम रूप से कब निबटाये जायेंगे ?

†**श्री नन्दा** : जिनकी छंटनी की गई है, उनमें से बहुत से व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने में पर्याप्त प्रगति की गई है। कुछ दिन पूर्व की घटनाओं के ब्योरों में मैं जाना नहीं चाहता। यदि कर्मचारी संस्था तथा कर्मचारीयों ने सहयोग से काम किया होता तो इनको पुनः काम मिलने के सम्बन्ध में अधिक अच्छे परिणाम होते। मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता, परन्तु मैं विश्वास करता हूं कि इसमें अधिक देर नहीं लगेगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उन अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या क्या है, जो दामोदर घाटी निगम का कार्य पूर्ण होने पर बेकार हो गये तथा उनमें से कितने पुनः नियुक्त कर लिये गए ?

†**श्री नन्दा** : यह लगभग २,००० थे। मैं सही आंकड़े नहीं बता सकता हूं तथा जैसा कि मैंने कहा लगभग ४०० शेष हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पोर्बिलिया कोयला खान

†***१२७४. श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल कोयला समवाय की पोर्बिलिया कोयला खान तब से फिर खोल दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(ग) कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) दीशेरगढ़ सार में, जो बंद कर दिया गया था, काम अभी तक फिर चालू नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चंडीगढ़ हवाई अड्डा

†*१२७८. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां से देश के किन-किन प्रमुख स्थानों को विमान आएं जायेंगे ; और

(ग) विमान सेवा कब से चालू होगी ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इस योजना पर विचार कर रहा है कि दिल्ली अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर सेवा, शुक्रवार को बाहर जाने और सोमवार को अन्दर आने के लिये, बरास्ता चंडीगढ़ चलाकर, ताकि इन दिनों में अमृतसर को छोड़ दिया जाये, चंडीगढ़ से हवाई सम्बन्ध स्थापित किया जाये । इस प्रकार की सेवा से, दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर से चंडीगढ़ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा । दिल्ली से चलने वाली अन्य विमान सेवाओं के जरिये वह शेष भारत से भी जोड़ दिया जायेगा ।

(ग) आशा है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन जनवरी १९५७ समाप्त होने के पहले ही चंडीगढ़ को विमान सेवा से सम्बद्ध कर देगा ।

गोआ

†*१२७९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में पुर्तगाल मठ के प्रमुख अधिकारी श्री परशुराम आचार्य और उनके अन्य दो साथियों को पुलिस ने सितम्बर, १९५६ के अंतिम सप्ताह में यातना देकर मार डाला; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४]**

लद्दाख में चीनी राष्ट्रजन

†*१२८२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चीनी राष्ट्रजनों का एक दल अभी हाल अवैध रूप में लद्दाख चला गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस दल में कितने व्यक्ति थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). ५ अगस्त, १९५६ को यारकंद को नौ व्यापारियों का एक दल, बिना उचित दृष्टांक के पासपोर्ट के लेह में घुस गया और वहां से सामान ले आया। एक खास मामले के तौर पर उन्हें अपना माल बेचने और भारतीय माल खरीदने दिया गया और बाद में वे एक रक्षक के साथ सीमा के उस पार भेज दिये गये।

तिहाड़ में विस्थापितों के मकान

*१२८६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिहाड़ ग्राम, दिल्ली में रहने वाले विस्थापितों के बहुत से मकान हाल में हुई भारी वर्षा के कारण गिर गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें रहने के लिये अन्य मकान दिये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) कुछ मकान १९५५ की मानसून में और कुछ इस साल की मानसून में गिर गये थे।

(ख) जी, हां। जिनके मकान १९५५ में गिरे थे, उन्हें तिहाड़ कालोनी में २६९ ए-टाइप टेनीमेंट्स (मकान) आरजी तौर पर दिये गये थे। इस साल उसी कालोनी में तिहाड़ गांव के उन व्यक्तियों ने ५३ टेनीमेंट्स पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया था जिनके मकान सम्भवतः पिछली मानसून में गिर गये थे।

सीमा-घटना

†*१२९२. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** नवम्बर १९५३ में पूर्निया (जो अब पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया है) सीमा के निकट पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय राष्ट्र-जन को गोली मार दिये जाने के सम्बन्ध में, ९ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस घटना के बारे में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा की गयी संयुक्त जांच के फलस्वरूप प्रस्तुत निणयों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने तब से भारत सरकार को अपना निश्चय सूचित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निश्चय किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जी, नहीं। पाकिस्तान सरकार ने उस घटना के बारे में अपना निश्चय अभी तक सूचित नहीं किया है। कराची स्थित भारतीय दूतावास उनसे उत्तर की मांग कर रहा है।

खादी-ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†*१२९४. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में, खादी की फुटकर बिक्री में सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और भवन ने उसका किस प्रकार उपयोग किया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुब)** : १९५५–५६ में खादी बिक्री के लिये खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को निम्न धनराशियां दी गई हैं :

(१) उपभोक्ता को फी रुपये तीन आने छूट दिये जाने के कारण २,२२,०९८ रुपये।

(२) भवन को दी गयी ६ पाई प्रति रुपया की सहायता के कारण २८,८१२ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह भी बता देना चाहिये कि उस वर्ष के लेखे अभी तक अंतिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं और उनमें परिवर्तन हो सकता है ।

चलचित्र

†*१२९८. **डा० ज० न० पारिख** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रंगीन चलचित्रों की बहुत अधिक उपयोगिता और अधिक लागत को देखते हुए देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये, दूसरी पंचवर्षीय योजना में रंगीन चलचित्रों के लिये एक सुसज्जित स्टूडियो बनाने का सरकार का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : रंगीन चलचित्र तैयार करने के लिये अलग से किसी स्टूडियो की जरूरत नहीं होती और देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में चलचित्रों का संस्थापन स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है । प्रस्थापना यह है कि चलचित्र विभाग एक परिष्करण प्रयोगशाला--जिसमें अपनी जरूरत के लिये रंगीन बनाने का कार्य सम्मिलित हो--- और एक चलचित्र-सेवा केन्द्र स्थापित किया जाये जो उद्योग को विशिष्ट सामान की चीजें किराये पर दिला सके ।

मेसर्स ओयरलिकन्स लिमिटेड के साथ करार

†*१३००. **डा० रामा राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ओयरलिकन्स लिमिटेड के साथ उनके करार में सुधार करने की बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो नये करार की क्या शर्तें हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]**

केन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र, बहरामपुर

†*१३०४. **श्री हीं० ना० मुकर्जी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र, बहरामपुर पश्चिम बंगाल की कार्यप्रणाली में सुधार करने का कोई कार्यक्रम है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : बहरामपुर में केन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र और कालिम्पोंग में उसके उप केन्द्र के पुनर्गठन और विस्तार के लिये ३९·२७ लाख रुपये की धनराशि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखी गयी है । विस्तृत कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

भारतीय फलों का निर्यात

†*१३०५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में भारतीय फलों की कोई मांग है; और

(ख) क्या भारतीय आम और अमरूद का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) अधिकतर पड़ोसी देशों को कुछ निर्यात किया जा रहा है।

(ख) भारतीय आम की विदेशों में बिक्री की एक योजना विचाराधीन है और ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं। अमरूद के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

युगोस्लाविया से इस्पात

***१३०६. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत यूगोस्लाविया से एक करोड़ रुपये का इस्पात खरीद रहा है, जिसमें से ११,००० टन इस्पात स्वयं सरकार खरीद रही है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : साधारण व्यापारिक सूत्रों के जरिये यूगोस्लाविया से १ जनवरी से ३० नवम्बर १९५६ तक ८८·६ लाख रु० का इस्पात भारत ने आयात किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ७६ लाख रु० का करीब १०,५००० टन इस्पात आयात करने का सौदा भी किया है।

हुगली जिला नगरीय बस्तियां

†***१३०७. श्री तुषार चटर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि हुगली जिला (पश्चिम बंगाल) के विस्थापित व्यक्तियों की नगरीय बस्तियों में लाभप्रद रोजगार की समस्या बहुत अधिक गंभीर हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह समस्या सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) (१) कपसदंगा-मियारबर में लोहा और इस्पात का कारखाना चालू करने, (२) चन्द्र नगर में कांच का कारखाना और इस्पात के सन्दूक बनाने का कारखाना चालू करने, और (३) रिशरा में लक्ष्मीनारायण काटन मिल और जे० के० इस्पात कारखाने में सीधे काम दिलाने की परियोजनाओं की कहां तक प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) सरकार जानती है कि कुछ शरणार्थी बस्तियों में लाभप्रद रोजगार की समस्या बहुत गंभीर है। उसे कोई जानकारी नहीं है कि हुगली जिले में विस्थापित व्यक्तियों की सभी नगरीय बस्तियों में समस्या बहुत अधिक गंभीर हो गयी है।

(ख) उन बस्तियों में, जहां समस्या गंभीर है, सामान्य पुनर्वास लाभ देने के अतिरिक्त, उद्योग भी स्थापित करने का विचार है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६]**

चीन के साथ व्यापार

***१३०९. श्री रनदमन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ के प्रथम १० महीनों में भारत और चीन के बीच व्यापार में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जिन वस्तुओं के व्यापार में यह वृद्धि हुई है उनका परिमाण और मूल्य कितना-कितना है; और

(ग) वर्तमान व्यापारिक समझौते को और बढ़ाने के लिये क्या दोनों देशों के बीच कोई बातचीत चल रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां। लेकिन चीन से हमारे आयात के सम्बन्ध में हो।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ग) जी, हां।

भारत पर आक्रमण करने की कथित योजना

†*१३१०. **श्री मु० ला० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गोआ और अधिकृत काश्मीर से २७ दिसम्बर, १९५६ को भारत पर चहुंमुखी आक्रमण की एक योजना की ओर, जो पाकिस्तानी उर्दू दैनिक "पयाम" में प्रकाशित हुई थी, दिलाया गया है; और

(ख) सरकार को इस विषय में क्या मालूम है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां।

(ख) समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसके अतिरिक्त सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

खानों का निरीक्षण

†*१३११. **श्री चट्टोपाध्याय :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुख्य निरीक्षक ने निरीक्षक कर्मचारियों को यह आदेश जारी किया है कि दूसरी और तीसरी पारी में वे अधिक निरीक्षण किया करें; और

(ख) यदि हां, तो १९५५ की तुलना में १९५६ में कितने प्रतिशत निरीक्षण किये गये ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि आदेश अभी हाल में ही जारी किये गये हैं, प्रगति इसके पश्चात् ही मालूम हो सकेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि

†*१३१२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री १० मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि की अंश-दान दर ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ाकर ८ १/३ प्रतिशत कर देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसको कब लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) विषय अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

ऋतु-विज्ञान में प्रशिक्षण

†*१३१३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋतु-विज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये सरकार ने कुछ पदाधिकारियों को आस्ट्रेलिया भेजने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब वहां भेजा जायेगा ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). ऋतु-विज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किसी पदाधिकारी की वहां प्रतिनियुक्ति करने का विचार नहीं है परन्तु वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने एक रेडियो भौतिकीविद को आस्ट्रेलिया में वर्षा और मेघ भौतिकी में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया है और परिषद् का आवश्यक प्रबन्ध पूरे हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षण के लिये एक अन्य पदाधिकारी को वहां भेजने का विचार है ।

भारत-जापान व्यापार करार

†*१३१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान करार की शर्तें जो २७ अप्रैल, १९५६ को समाप्त हो गई थीं, और अधिक समय के लिये बढ़ा दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है और यदि किया गया है तो वह क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य भारत और जापान में हुई शान्ति सन्धि के अनुच्छेद २ के परमानुगृहीत राष्ट्रों वाले खण्ड का उल्लेख कर रहे हैं । यदि हां, तो उसके उपबन्धों का काल ३१ मार्च १९५७ तक बढ़ा दिया गया है ।

काश्मीर में पाकिस्तान के हमले

†*१३१५. **श्री गिडवानी** :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा से भारत की ओर जनवरी, १९५६ से अगस्त, १९५६ तक कितनी बार हमला किया;

(ख) इन हमलों से कितनी जानें गयीं और कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई; और

(ग) क्या इन हमलों के पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हमले नहीं किये गये थे वरन् संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षकों को "युद्ध-विराम सम्बन्धी उल्लंघनों" की श्रेणी के अधीन कुछ छोटी-मोटी घटनाओं की सूचना दी गयी थी ।

(ख) जान और माल का कुछ भी नुक्सान नहीं पहुंचा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रंग पदार्थ

†*१३१६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जितने रंग पदार्थों की आवश्यकता होती है उनका कितने प्रतिशत विदेश से आयात किया जाता है;

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रंग पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से देश रंग पदार्थों के बारे में आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) लगभग ८५ प्रतिशत ।

(ख) तथा (ग). इस उद्योग का विकास करने में दिलचस्पी रखने वाले पक्षों के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार करने का विचार है । वर्तमान योजनाओं के अनुसार द्वितीय योजना काल के अन्त तक रंग पदार्थों की ६० प्रतिशत से लेकर ७० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति देश के उत्पादन से हो जाया करेगी ।

औद्योगिक कार्यों के लिये अणु शक्ति

†*१३१७. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक कार्यों के लिये अणु शक्ति तैयार करने की योजना बनाई जा चुकी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता औद्योगिक विकास के लिये विद्युत् तैयार करना है जिसको प्राथमिकता दी जा रही है । अतः भारत का प्रयत्न मुख्यतः इसी ओर रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में भारत में अणु शक्ति से कुछ विद्युत् उपलब्ध हो जाय । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में एक अथवा अधिक अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने की आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है । भारतीय अणु शक्ति कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिससे भारत को अणु सम्बन्धी कच्चे माल के लिये अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े ।

गृह-निर्माण के लिये ऋण

†*१३१८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-निर्माण के लिये सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने के बारे में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इस कार्य के लिये ऋण देने में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सानेकट्टा नमक निर्माणशाला

†*१३१९. **श्री काजरोल्कर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कनारा जिले के सानेकट्टा नमक निर्माणशाला में उपोत्पादों की निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यताओं की अब तक कोई जांच की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या सानेकट्टा में कास्टिक सोडा उद्योग की स्थापना करने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) तथा (ख). जी, नहीं।

मेवे का आयात

†*१३२० **डा० ज० ना० पारिख** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान से मेवा आयात करने के बारे में हाल ही में आयात अभ्यंश पद्धति जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अभ्यंश पद्धति के कारण देश में मेवा महंगा हो गया है;

(घ) यदि हां तो कहां तक; और

(ङ) स्थिति को ठीक करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी बातें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मंडी की सेंधा नमक खानें

†*१३२१. **श्री हेम राज** : क्या **उत्पादन मंत्री** ३० नवम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडी की सेंधा नमक खानों में छिद्रणकार्य बन्द कर देने के क्या कारण हैं ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : मंडी में इस बात का निश्चय करने के लिये कि वहां सेंधा नमक के निक्षेप हैं, छिद्रण कार्यों से यह पता लगा कि खानों का विकास वैज्ञानिक आधार पर करना उचित होगा क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में निक्षेप हैं। जून, १९५५ के बाद और अधिक छिद्रण कार्य करना उचित नहीं समझा गया।

नाभिकीय विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण

†*१३२२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वैज्ञानिकों को नाभिकीय विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा रिएक्टर प्रौद्योगिकीय में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : अणु शक्ति कार्यक्रम की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अणु शक्ति विभाग रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग, धातु शोधन विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र में प्रति वर्ष २५० स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक स्कूल का प्रबन्ध कर रहा है। ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थापन में लगभग ३०० वैज्ञानिक और इंजीनियर कार्य करते हैं तथा १९५८ में यह संख्या बढ़कर ८०० हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत-पाकिस्तान सीमा का अंकन

†*१३२३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ मार्च, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पूर्वी बंगाल के बीच भारत-पाकिस्तान की भूमि और नदी सीमा पर पक्के खम्भे लगाने का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). पूर्वी पाकिस्तान और भारतीय राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा जो पहले बिहार में थी और जिसका विलयन अब पश्चिमी बंगाल में हो गया है, लगभग १४० मील लम्बी है जिसमें से लगभग ४६ मील लम्बी भू-सीमा है तथा शेष विभिन्न नदियों की है। अब तक ३१ मील लम्बी भू-सीमा को खम्बे लगा कर अंकित किया जा चुका है। शेष सीमा का अंकन भी हो रहा है ।

चूंकि सीमा अंकन एक संयुक्त कार्य है इस कारण यह कार्य अधिकांशतः पाकिस्तान प्राधिकारियों के सहयोग पर निर्भर करता है तथा सीमा अंकन के दौरान में होने वाले झगड़ों का निबटारा भी पाकिस्तान प्राधिकारियों के सहयोग पर निर्भर करता है ।

मोटर गाड़ियों आदि का आयात

*१३२४. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ और वर्ष १९५६ के आरम्भ के १० महीनों में मोटर गाड़ियों, स्टेशन-वैगनों और जीप गाड़ियों को यात्रियों के निजी सामान के रूप में लाने के लिये कुल कितने-कितने लाइसेंस दिये गये थे; और

(ख) इस प्रकार के लाइसेंस देना बन्द कर देने के क्या कारण हैं ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ख) मोटर गाड़ियों का देशीय उत्पादन बढ़ जाने तथा विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत के कारण लाइसेंस देना बंद किया गया है ।

रेडियो सेटों का निर्माण

†*१३२५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में रेडियो बनाने की क्षमता में वृद्धि करने की योजना पर स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). द्वितीय योजना काल में प्रति वर्ष ३,००,००० रेडियो सेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है । विद्यमान क्षमता के बारे में गत जून में सरकार

†मूल अंग्रेजी में ।

द्वारा की गई पुनर्गणना से पता लगा था कि प्रतिवर्ष ६३,००० और अधिक रेडियो बनाने के लिये गुंजाइश है। तब से ५२,००० रेडियो और अधिक बनाने वाली ५ योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

†*१३२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलोर में उत्पादन बढ़ाने के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) इसके लिये कितनी अतिरिक्त पूंजी लगाई जायेगी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) विषय विचाराधीन है।

(ख) इस कार्य के लिये कितनी अतिरिक्त पूंजी लगानी होगी इसका अनुमान लगाना इस प्रक्रम पर सम्भव नहीं है।

चल सम्पत्ति सम्बन्धी भारत पाकिस्तान करार

†*१३२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक चल सम्पत्ति सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान करार का कार्यकरण कैसा रहा है; और

(ख) इसकी कार्यान्विति में यदि कोई कठिनाई है तो वह क्या है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). भारत सरकार चल सम्पत्ति करार के प्रवर्तन की प्रगति से संतुष्ट नहीं है। चल सम्पत्तियों के आदान-प्रदान से पूर्व बहुत से विवरणों का आदान-प्रदान किया जाना था।

जबकि भारत के पास परस्पर सहमत समय अनुसूची के अनुसार समस्त अपेक्षित विवरण तैयार थे, पाकिस्तान सरकार आदान-प्रदान की तिथियों को स्थगित करती रही है। इसके फलस्वरूप पाकिस्तान से भारत को डाक के बचत बैंक लेखों, डाक प्रमाणपत्रों, व्यापारिक वस्तुओं, लाकरों की मूल्यवान वस्तुओं, बैंकों के लेखों, न्यायालय के निक्षेपों, और विक्रय आगमों के हस्तान्तरण रुक गये हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि चल सम्पत्ति करार की प्रवर्तन समिति की बैठक में, जोकि २२ से २४ नवम्बर, १९५६ को होने वाली थी, सभी लम्बित विवरणों का आदान-प्रदान कर दिया जाये। इस बैठक को पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना पर स्थगित करना पड़ा। अब उसने सुझाव दिया है कि यह बैठक कराची में जनवरी, १९५७ में हो। आशा की जाती है कि शेष सभी विवरणों का आदान-प्रदान इस बैठक में हो जायेगा।

लखनऊ के बड़े डाकघर में धन की हानि

*१३२८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९५६ में लखनऊ के बड़े डाकघर (जनरल पोस्ट आफिस) का एक पोस्टल क्लर्क बहुत बड़ी रकम लेकर पाकिस्तान भाग गया है;

(ख) यदि हां, तो वह रकम कितनी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मास पूर्व वहीं का एक टेलीफोन इन्स्पेक्टर भी इतनी ही रकम लेकर पाकिस्तान भाग गया था;

(घ) यदि हां तो, इन दोनों कर्मचारियों से रुपये वसूल करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में एसे कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिये क्या कोई उपाय सोचे गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह ठीक है कि लखनऊ के बड़े डाक-घर (जी० पी०ओ०) के एक मुस्लिम पोस्टल क्लर्क ने जून १९५६ में बड़ी रकम का गबन किया। यह शक किया जाता है कि वह गबन करने के बाद पाकिस्तान चला गया, परन्तु इस बात की पुष्टि, न तो पुलिस द्वारा और न ज़िले के अधिकारियों द्वारा ही प्राप्त हुई है।

(ख) अब तक लगभग १२,००० रुपयों की हानि का पता चला है।

(ग) जी, नहीं। यह मुस्लिम टेलीफ़ोन इन्स्पैक्टर दो महीने की छुट्टी पर पाकिस्तान गया और अन्त में उसने त्याग-पत्र दे दिया। उसके जिम्मे ८४ रुपये की एक रकम, जो कि बाढ़ के सम्बन्ध में उसे पेशगी दी गई थी, बाक़ी है।

(घ) भाग (क) के विषय में पुलिस तथा विभाग द्वारा जांच की जा रही है। भाग (ग) के बारे में बाढ़ सम्बन्धी पेशगी दी हुई रकम इस कर्मचारी के बाकी वेतन में से समंजन की जा रही है।

(ङ) यह विषय विचाराधीन है।

इस्पात का आयात

†*१३२९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेज संकट के कारण इस्पात का संभरण रुक गया है; और

(ख) क्या जुलाई और सितम्बर, १९५६ के बीच जिन प्रदायों के आने की आशा थी वे भारतीय पत्तनों पर पहुंच चुके हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) माल के आशा अंतरीप के रास्ते से भेजे जाने के कारण देश में लोहा और इस्पात पहुंचने में कुछ देरी हुई है।

(ख) ३९६,८७० टन की जिस मात्रा के आने की आशा थी उसमें से २२७,७३१ टन पहुंच गया है। कम माल आने का आंशिक कारण नौवहन स्थान की कमी होना भी है।

गेंदालाल मिल्ज जलगांव

†*१३३०. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन अभिकथनों की ओर दिलाया गया है कि बम्बई राज्य में जलगांव को गेंदालाल मिल अगस्त, १९५४ से अकारण ही बन्द हो गई है और प्रबन्ध व्यवस्था ने कतिपय कदाचारों का आश्रय लिया था; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९]**

रंग पदार्थ

†१०३३. **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपरी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री ९ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर्वश्री ए० सी० एन० ए० (मेंटासेटिनी) मिलान, इटली से रंग पदार्थों के माध्यमिकों के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रतिवेदन किस प्रकार का है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन भारत में रंग पदार्थों के उद्योगों द्वारा अपेक्षित विभिन्न प्रकार के माध्यमिकों के नियमित विकास के क्षेत्र के प्राथमिक अध्ययन के सम्बन्ध में है । इसमें उन माध्यमिकों की एक सूची दी गई है जो कि एक युक्ति-युक्त आधार पर बनाये जा सकते हैं । परन्तु विशेषज्ञों ने स्वयं यह कहा है कि व्यवहार्यत: अन्य महत्वपूर्ण कारणों और परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक होगा ।

सन् १९६० तक के लिये रंग पदार्थों की मांग का अन्तिम प्राक्कलन उस विवरण में दिया गया है जो सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]** दूसरे विवरण में उन प्राथमिक काबर्निक माध्यमिकों की सूची दी गई है जिनके केन्द्रीय संयंत्र अथवा संयंत्रों में बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]**

उद्योगों का विकास

†**१०३४. श्री राम कृष्ण** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में जांच करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों के कितने शिष्टमंडल इस वर्ष भारत में आये;

(ख) ऐसे कितने शिष्टमंडलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ग) ऐसे शिष्टमंडलों द्वारा पृथक्-पृथक् रूप से प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन किस प्रकार के हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

रांगा

†**१०३५. श्री राम कृष्ण** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) इस समय भारत में कुल कितने रांगे की आवश्यकता है;

(ख) देश में कितने रांगे का उत्पादन होता है; और

(ग) कितना विदेशों से आयात किया जाता है, और उसका मूल्य कितना है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) ४,००० से ५,००० टन प्रति वर्ष ।

(ख) देश में शुद्ध रांगे का उत्पादन नहीं होता है । तो भी रांगे के टुकड़ों से निम्न कोटि के रांगे का उत्पादन किया जाता है और १९५३ से उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये जाते है :

वर्ष	**उत्पादन टन**
१९५३	२०·९
१९५४	३६·९१
१९५५	४१·४४
१९५६ ... (अगस्त तक)	२६·५४

(ग) सन् १९५४-५५ से १९५६-५७ तक न तैयार किये गये रांगे (खंडों, ढोंकों, छड़ों और टुकड़ों) और तैयार किये गये रांगे के आयात आंकड़ों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२]**

---

†मूल अंग्रजी में ।

पांडीचेरी का विकास

†१०३६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांडीचेरी के विकास की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार योजना की प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांडीचेरी राज्य की विकास योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इन योजनाओं की एक ब्योरेवार सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–५९८/५६**]

चीन क साथ व्यापार

†१०३७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह उताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और तिब्बत सहित चीन के बीच व्यापार सम्बन्धी प्रबन्धों पर कोई चर्चा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वे किस स्थिति पर है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। इस विषय को वर्ष के अन्त से पूर्व अन्तिम रूप दे दिये जाने की आशा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्कशाप

†१०३८. **श्री अचलू** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन वर्कशापों के नाम क्या हैं, और उन में से प्रत्येक में कितने कर्मकार सेवायुक्त हैं;

(ख) इन में से कौन से वर्कशाप कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हैं; और

(ग) शेष वर्कशाप को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३**]

खादी और ग्राम उद्योग

†१०३९. **श्री भीखा भाई** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में खादी और ग्राम उद्योग से सम्बन्धित कार्यों को आरम्भ करने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां तो प्रस्थापनायें किस प्रकार की हैं; और

(ग) क्या औद्योगिक गतिविधियां आरम्भ करने के लिये कोई लक्ष्य तिथि निश्चित की गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र** :) (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये और आदिमजाति अर्थव्यवस्था योजना के अधीन कुटीर उद्योग कार्यक्रमों के द्वारा अनसूचित आदिमजातियों क कल्याण के लिये १·१८ करोड रुपये की एक धनराशि का उपबन्ध किया गया है। इस योजना में खादी और ग्राम उद्योग कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त.

†मूल अंग्रेजी में।

खादी और ग्राम उद्योगों के विकास की वह योजनायें जोकि या तो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और या अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा अपनी मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सीधी कार्यान्वित की जाती हैं, मुख्यत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी हुई जातियों को लाभ पहुंचाती हैं। कतिपय मामलों में, जैसे कि चमड़ा और चमड़ा रंगने के उद्योगों, चीनी के बर्तन बनाने और बुनाई उद्योगों से, परम्परागत वृत्तियों के कारण, मुख्यत: अनुसूचित और और पिछड़ी हुई जातियों को ही लाभ पहुंचता है।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग में बुलडोज़रों के ड्राईवर

†१०४०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कुल बुलडोज़र ड्राईवरों को जो इस समय ४० रुपये प्रतिमास दिये जाते हैं, उनके स्थान पर ७४ रुपये प्रति मास दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी यह वेतन वृद्धि मनीपुर के अन्य कर्मचारियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव से ४ जनवरी, १९५० से होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). बुलडोज़र ड्राईवरों सहित विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों के वेतनक्रमों के अभिनवीकरण के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

मनीपुर में युद्ध हताहत क्षतिपूर्तियां

†१०४१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मित्र राष्ट्रों और शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध में मनीपुर राज्य के कुल कितने असैनिक व्यक्ति मारे गये थे;

(ख) मारे गये व्यक्तियों के कितने परिवारों को क्षतिपूर्ति दी गई थी;

(ग) प्रति व्यक्ति को कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई थी और कितनी देर तक क्षतिपूर्ति दी जाती रहेगी;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रकार मारे गये व्यक्तियों के बहुत से परिवारों को क्षतिपूर्ति नहीं दी गई थी और उनके मामलों की ओर राज्य सरकार और भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) मुख्य आयुक्त, मनीपुर ने सूचित किया है कि युद्ध-क्षति योजना १९४२ के अधीन विशेष चोटों के कारण मारे गये व्यक्तियों को ११४ क्षतिपूर्तियां दी गई बताई जाती हैं।

(ग) युद्ध-क्षति योजना के उपबन्धों के अधीन, ८ रुपये प्रति मास का निवृत्ति वेतन मृत्यु हो जाने की अवस्था में (४ रुपये की अस्थायी वृद्धि सहित) परिवार के एक पात्र सदस्य को और प्रति वैद्य बच्चे को २ या ३ रुपये का बाल-भत्ता (२ रुपये की अस्थायी वृद्धि सहित) दिया जाना था। परिवार निवृत्ति वेतन

†मूल अंग्रेजी में।

तब तक दिया जाता है जब तक कि हितग्राही योजना के अधीन अधिकारी रहता है, परन्तु बच्चों के भत्ते सामान्यत: इस स्थिति में बन्द कर दिये जाते हैं :

(१) पुरुष की आयु पन्द्रह वर्ष हो जाने पर; और

(२) स्त्री की आयु सोलह वर्ष हो जाने पर अथवा उसका विवाह हो जाने पर जो भी बाद में हो ।

(घ) और (ङ). हाल ही में भारत सरकार अथवा मनीपुर प्रशासन का ध्यान ऐसे किसी मामले की ओर नहीं दिलाया गया है ।

सीमेन्ट

†१०४२. **श्री अय्युणि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य का जब से सलाहकार ने शासन भार सम्भाला है, तब से लेकर १ नवम्बर, १९५६ तक जनता की ओर से कितने सीमेंट के लिये प्रार्थना की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने सीमेन्ट की स्वीकृति दी गई है;

(ग) सरकार केरल राज्य के लोगों की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार वहां की कमी को पूरा करने के लिये उस राज्य में सीमेन्ट फैक्टरियाँ स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विचार रखती है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). त्रावनकोर-कोचीन राज्य में १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक की अवधि में जनता की ओर से सीमेन्ट के लिये की गई कुल मांग १०९,५४० टन थी जिसमें से ५५,१७० टन सीमेंट आवंटित की गई है ।

(ग) सरकार ने सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिये मद्रास, आन्ध्र, मैसूर, पांडिचेरि आदि राज्यों क लिये कई प्रकार की योजनाओं के लिये मंजूरी दी है । ये योजनायें और देश के अन्य भागों की ऐसी ही नई योजनायें सारे देश में सीमेंट संभरण की स्थिति को क्रमश: सुधार देंगी, जिसमें केरल भी शामिल है ।

(घ) केरल राज्य में कोई भी नई सीमेंट फैक्टरी चलाने के सम्बन्ध में किसी भी सार्थ की ओर से कोई प्रस्थापना नहीं आई है ।

हथकरघे तथा मिल के कपड़े की बिक्री

†१०४३. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सबरूम नगर के व्यापारियों की और विशेष कर रानीगंज बाजार, जोकि छोटाकनील (त्रिपुरा) के नाम से प्रसिद्ध है, के व्यापारियों को १९५६ के लिये हथकरघे तथा मिल के कपड़े की बिक्री के लिये कोई लाइसैंस नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) १९५५ में कितने व्यक्तियों के पास ऐसे लाइसैन्स थे;

(घ) क्या सामान्य रूप से कपड़ा बेचने के लिये लाइसैन्स प्राप्त करने और विशेष कर दुर्गापूजा के दिनों के लिये विशेष अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों और भारत सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) बाज़ार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकार के लाइसैन्स जारी करना उचित नहीं समझा गया है।

(ग) १९५५ में त्रिपुरा सरकार द्वारा हथकरघे के कपड़े के लिये साठ लाइसैन्स और मिल के कपड़े के लिये ६७ लाइसैन्स दिये गये थे।

(घ) और (ङ). सबरूम नगर तथा रानीगंज बाजार के व्यापारियों द्वारा त्रिपुरा के जिलाधीश के पास दो अभ्यावेदन भेजे गये थे। अतः राज्य सरकार ने दुर्गापूजा के दिनों में कपड़े की मांग को पूरा करने के लिये सबरूम ज़िले के व्यापारियों को तीन अस्थायी परमिट जारी कर दिये थे।

कमलपुर में उपविभागीय पदाधिकारी का कार्यालय

†**१०४५. श्री दशरथ देव** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य के कमलपुर स्थान में उपविभागीय पदाधिकारी का कार्यालय अल्यूमीनियम का बना हुआ है और उसके परिणामस्वरूप वहां के कर्मचारियों को दिन के समय अत्यधिक गरमी के कारण काम करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कठिनाई को दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कार्यालय की छत अल्यूमीनियम की हैं, परन्तु काम करने के लिये कोई विशेष कठिनाई नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आकाशवाणी, नागपुर

१०४६. श्रीमती मनीमाता : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ और १९५६ में आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से छत्तीसगढ़ी भाषा के कितने कलाकारों के कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया और उनके क्या विषय थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : कलाकारों की संख्या १९५५ में १२ और १९५६ में (नवम्बर के अन्त तक) २२ थी। यह कार्यक्रम संगीत-रूपक, नाटक, वार्ता और चर्चा आदि के रूप में थे और उनके विषय थे क्षेत्र की संस्कृति और साहित्य, लोक गीत, नृत्य, लोक साहित्य, सामाजिक शिक्षण, स्वास्थ्य तथा खेती।

डाक सुविधायें (मध्य प्रदेश)

१०४७. श्री रा० चं० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत के मुरैना-भिण्ड जिले के किन-किन स्थानों पर तार, टेलीफोन और डाकघर ३१ मार्च, १९५६ तक नहीं खोले जा सके, यद्यपि उनके खोलने की योजना थी; और

(ख) वर्ष १९५६-५७ में मुरैना-भिण्ड जिले में इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य किये जाने वाले थे या किये जाने वाले हैं उनका विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)

		तार-घर	टेलीफोन-घर (अधिक दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर)	डाक-घर
(क)	१.	बिजयपुर	जोरा	मिरगपुर*
	२.	जोरा	सबलगढ़	मुरलीकपूरा*
	३.	सबलगढ़	शिवपुर	
	४.	शिवपुर		
	५.	लाहड़*		
(ख)	१.			भदौली*
	२.			धमकन*
	३.			पन्चो*
	४.			तिलावड़ी
	५.			देवगढ़
	६.			गोटा
	७.			जवरौल
	८.			नेकपुरा
	९.			राटौर कला
	१०.			अन्जार*
	११.			बरेड़ा सापी*
	१२.			सुन्दरपुरा
	१३.			साढा
	१४.			किशुपारा

*ये १९५६-५७ में खोले गये ।

शिक्षितों की बेरोजगारी (मध्य भारत)

१०४८. श्री रा० चं० शर्मा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में विलीन होने वाले मध्य भारत राज्य में पढ़े-लिखे बेकार लोगों की संख्या ३१ अक्तूबर, १९५६ को क्या थी ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डू भाई देसाई) : भुतपूर्व मध्य भारत राज्य में, पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या ३० सितम्बर, १९५६ को एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्जों के रजिस्ट्रों के अनुसार निम्नलिखित थी:–

मैट्रीकुलेट्स	१,१०७
इन्टरमीडियेट्स	३६३
ग्रेजुएट्स	२७५
कुल	१,७४५

उपरोक्त जानकारी १ जनवरी से आरम्भ होने वाली हर तिमाही के अन्त में इकट्ठी की जाती है, अतः ३१, अक्तूबर, १९५६ तक की संख्या प्राप्त नहीं है ।

अम्बर चरखा कार्यक्रम

†**१०४९. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने अम्बर चरखा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित मदों में कितनी प्रगति की है :

(१) विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक कार्यालयों तथा वाणिज्यिक सार्थों द्वारा कितने अम्बर चरखे तैयार किये गये हैं;

(२) उनके निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(३) कुल कितने व्यक्तियों को अम्बर चरखे का प्रशिक्षण दिया गया है;

(४) देश में कितने 'परिश्रमालय' खोले गये हैं उनके नाम क्या-क्या हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थापित किये गये हैं;

(५) देश में विशेष रूप से अम्बर चरखे के निर्माण के लिये (राज्यवार) कुल कितने सार्वजनिक कार्यालय खोले गये हैं;

(६) इन चरखों से लगभग कितना अम्बर धागा काता गया है; और

(७) अम्बर-धागे से खादी तथा हथकरघे के कपड़े के तैयार करने पर अभी तक पृथक्-पृथक् कुल कितना खर्च किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : ३०-११-१९५६ तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्थिति निम्नलिखित है :

(१)

विकेन्द्रीकृत कार्यालय ...		२३,५३७
वाणिज्यिक सार्थ	...	४,८५५
कुल		२८,३९२

(२) ३३,७१,४०० रुपये

(३)

	प्रशिक्षित	**प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति**
शिक्षक	१,०९४	१,२३६
धागे कातने वाले	७,३७१	१९,४१५
मिस्तरी	२५४	३८६
कुल	८,७१९	२१,०३७

(४) और (५). २४२ परिश्रमालय तथा ५६ सार्वजनिक। सूची सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(६) ७०,३१२ पौंड।

(७) यह खर्च व्यापार चलाने के लिये निर्धारित की गई आवर्ती पूंजी में से पूरा किया जाता है। वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†**१०५०. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से आधारभूत सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड देश में ग्रामोद्योगों सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन के लिये नये केन्द्र प्रारम्भ करता है;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामोद्योगों के लिये नये उत्पादन केन्द्र बम्बई राज्य में ही खोलने पर अधिक बल क्यों देता है और सारे देश में ही बराबरी के आधार पर नये केन्द्र क्यों नहीं खोले जाते;

(ग) खादी बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों के लिये कितने नये उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, वे कहां-कहां स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक केन्द्र में कौन-कौन सा उद्योग प्रारम्भ किया गया है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामोद्योगों के लिये कितने नये उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना है (यह भी बताइये कि प्रत्येक ग्रामोद्योग के लिये कितने केन्द्र होंगे) ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) ग्रामोद्योग वस्तुओं के उत्पादन के लिये नये केन्द्र स्थापित करते समय निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(१) रचनात्मक कार्य में व्यस्त ग्राम सेवकों तथा प्रशिक्षित और प्रवीण कर्मचारियों की उपलब्धता;

(२) कच्चे सामान की उपलब्धता तथा उत्पादन विस्तार का क्षेत्र;

(३) बिक्री सम्बन्धी सुविधायें

(ख) केन्द्र सम्पूर्ण देश में खोले जायेंगे, तथा केवल बम्बई में ही स्थित नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, और इसलिये माननीय सदस्य की आशंका सत्य नहीं है।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्रम पंचाट

†**१०५१. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के बारे में कुछ शंकायें होने के कारण श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, राज्य उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल में कुछ राज्यों में श्रम पंचाटों को लागू होने से रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और वे किन-किन राज्यों में हुए हैं ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी एकत्रित करने में जितना परिश्रम करना पड़ेगा, उसके परिणाम उसके अनुपात से लाभप्रद नहीं होंगे।

पटसन की मिलें

†**१०५२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पटसन की मिलों की कुल अप्रयुक्त क्षमता कितनी है; और

(ख) पटसन की मिलों को अपनी अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करने योग्य बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इस समय पटसन की मिलों में जितने चर्खे हैं उनका साढ़े-बारह प्रतिशत भाग जो लगभग ७,८४२ चर्खों के बराबर है और जिनकी लगभग क्षमता प्रति मास १२,००० टन पटसन की वतुओं की है, बेकार हैं।

(ख) बेकार पड़े चर्खों का प्रयोग पटसन की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करके किया जा सकता है। एक विवरण जिस में इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख है, सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

काफी के बागान

†**१०५३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल दक्षिण भारत में यूरोपवासियों और भारतीयों के स्वामित्व में अलग-अलग काफी बागान का कुल कितना क्षेत्र है; और

(ख) वास्तविक बागान का कुल क्षेत्रफल कितना है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५४–५५ में दक्षिण भारत में यूरोपवासियों और भारतीयों के स्वामित्व में काफी बागान के निम्न अनुमानित क्षेत्र थे––

यूरोप वासी	७,९१९ एकड़ ।
भारत वासी	२,४४,५५५ एकड़ ।

(ख) १९५४–५५ में भारत में काफी बागान का कुल क्षेत्रफल २,५२,६८६ एकड़ था ।

कांगड़ा, पंजाब में डाकघर

†**१०५४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला कांगड़ा (पंजाब) क सारे गांवों में, जिनकी जनसंख्या एक हज़ार या इससे अधिक है, डाकघर खोलने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : ज़िला कांगड़ा के एक हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में पहिले से ही डाकघर विद्यमान हैं ।

नमक का उत्पादन

†**१०५५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या नमक के अधिक उत्पादन के लिये नमक उत्पादकों ने योजनायें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९६०–६१ तक प्रति वर्ष दस करोड़ मन नमक के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार ने निम्न कार्यवाही करने का विनिश्चय किया है:––

गैर-सरकारी नमक के साधन

(१) गैर-सरकारी निर्माताओं को अधिक लाइसैन्स देना ।

(२) बंगाल और आसाम में, जहां वर्तमान उत्पादन बहुत कम है, नये साधनों की खोज करना ।

नमक के सरकारी साधन

(१) सांभर में अतिरिक्त गढ़े और रिसने वाली नहरें खोदकर आन्तर्भौम खारा पानी का प्रयोग करना ।

(२) सांभर झील पर अतिरिक्त कुंडों का निर्माण करना ।

(३) दूंग (मंडी) में कूपकों का बिठाना ।

(४) मैगल (मंडी) में संघनकों और स्फटकारियों का अधिक खारा पानी का प्रयोग करने के लिये विस्तार करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(५) गमा (मंडी) में नये कुंडों और भूमिगत नालियों का निर्माण करना ।

(ख) और (ग). आजकल ५४ गैर-सरकारी पार्टियों से नये लाइसैन्सों के लिये प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

भारत का विदेशी व्यापार

†१०५६. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष के सितम्बर मास के अन्त तक वस्तुओं के निर्यात में गत वर्ष के तत्स्थानी समय की अपेक्षा वृद्धि हुई है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : हां, श्रीमान् एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३६]**

एस्टेट आफिस

†१०५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा चलाई गई संगठन तथा प्रणाली सम्बन्धी प्रक्रिया एस्टेट आफिस में भी लागू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या अभिलेखों सम्बन्धी कार्य करने तथा उन्हें ठीक रखने के सम्बन्ध में फिर कोई समायोजन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या एस्टेट आफिस में 'संगठन तथा प्रणाली, यूनिट' के कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् । एस्टेट आफिस के नियतन भाग में 'संगठन तथा प्रणाली' प्रक्रिया लागू कर दी गई है ।

(ख) संगठन तथा प्रणाली 'यूनिट' कर्मचारियों की पूर्ण संख्या के साथ केवल दो मास पूर्व स्थापित हुआ था, और यह इसकी सफलताओं का अनुमान लगाने का समय नहीं है ।

(ग) पुराने अभिलेखों, आदि को हटा देने का प्रस्ताव एस्टेट आफिस के संगठन तथा प्रणाली 'यूनिट' के विचाराधीन है ।

(घ) यदि माननीय सदस्य प्रतिवेदन देखने की इच्छा प्रकट करें तो वह तैयार होने पर उन्हें दिखाया जा सकता है । यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाये ।

एस्टेट आफिस

†१०५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्टेट आफिस में क्वार्टरों के नियतन, किराये की वसूली और समायोजन, आदि सम्बन्धी अभिलेख उचित ढंग से नहीं रखे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) नहीं, श्रीमान्। अभिलेख उचित ढंग से रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोल मार्किट के क्वार्टर

†**१०५९. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल में हुई वर्षा के दिनों में गोल मार्किट के रहने के क्वार्टरों में वर्षा का पानी जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निश्चित निरोधक कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) इस समय क्वार्टरों के पुनर्निर्माण का प्रश्न किस स्थिति में है; और

(घ) कब तक अन्तिम विनिश्चय किये जाने की सम्भावना है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हां, श्रीमान्। अत्यधिक वर्षा होने के कारण मार्किट रोड के कुछ उन क्वार्टरों में पानी घुस गया था जो निचान पर बने हुए हैं।

(ख) जल निस्सारण व्यवस्था में सुधार करना तथा बाहरी मैदान में रोक का काम करने के लिये चिनाई की छोटी-छोटी आवश्यक दीवारें बनाना।

(ग) और (घ). यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस पर अन्तिम विनिश्चय होने में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

रानीगंज की कोयले की खानें

†**१०६०.** { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह : }

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की जोतीमोतुक शाखा लाइन के दोनों ओर आगे बढ़ती हुई भूमि के भीतर की अग्नि से रानीगंज की लगभग एक दर्जन कोयले की खानों के चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह आग कब और कैसे लगी थी; और

(ग) आग बुझाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) यद्यपि रानीगंज की कोयला खदानों में कुछ शान्त और प्रचण्ड भूमिगत अग्नियां हैं, परन्तु इस समय उनमें से कोई भी उस क्षेत्र की किसी खान के लिये खतरा नहीं बन रही है।

(ख) जोतीमोतुक शाखा लाइन के दोनों ओर की अग्नि पुरानी है जो लगभग २० वर्ष पूर्व लगी थी। इतने समय के बाद भी इसका उद्भव व इतिहास अविदित है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) सदैव यह सम्भव नहीं होता कि खान की अग्नि को पूर्णतया बुझा दिया जाये। प्रायः इसे दबाना पड़ता है। ऐसी अग्नि के विस्तार को रोकने के लिये ढकने और भूमि के भीतर पानी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। कोयला बोर्ड कुछ प्रत्यक्ष रक्षात्मक कार्यवाही करने के अतिरिक्त, कोयले की खानों की ऐसी अग्नियों को बुझाने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के लिये वित्तीय सहायता देता है।

वैज्ञानिक उपकरण

१०६१. श्री शिवनंजप्पा : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिये कितने राज्यों में संस्थापन हैं;

(ख) क्या ये संस्थापन देश की मांग पूरी कर सकते हैं; और

(ग) उनके विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-सी योजनायें मंजूर की गई हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) ९ राज्यों में अर्थात् दिल्ली, बम्बई, पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, केरल तथा आंध्र प्रदेश।

(ख) पूरी तरह नहीं कर सकते हैं।

(ग) अब तक निम्नलिखित योजनायें मंजूर हुई हैं :

(१) नैशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री, कलकत्ता (विकास योजना) इंजीनियरिंग तथा भूतत्वीय उपयोग के लिये अणुवीक्षण यंत्रों का निर्माण तथा चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी अणुवीक्षण यंत्रों के लिये देखने के शीशे। डाक्टरी थर्मामीटर, चिकित्सा सम्बन्धी जांच उपकरण और चश्मे के शीशे।

(२) गवर्नमेंट प्रीसाइजन इंसट्रूमेंट फैक्ट्री, लखनऊ की अणुवीक्षण यंत्रों के निर्माण के लिये (विकास योजना)

(३) साइंटिफिक ग्लास एपरेटस वर्क्स, मद्रास, विज्ञान सम्बन्धी शीशे की वस्तुओं के निर्माण के लिये।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये सहकारी समितियाँ

†१०६२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की कितनी सहकारी समितियां हैं;

(ख) क्या इन समितियों की कार्यकारी समिति में सरकारी अधिकारी है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सहकारी समिति में उनकी संख्या क्या है;

(घ) सरकारी अधिकारियों को ही अनिवार्य रूप से इन सहकारी समितियों का प्रधान चुनने का क्या कारण है;

(ङ) क्या इन समितियों में से किसी को वित्तीय सहयता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो कितनी समितियों को यह सहायता मिली है तथा १९५५–५६ में १९५६ के अन्त तक उनको कुल कितनी सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २८३

(ख) जी, हां, केवल तीन समितियों में ।

(ग) एक झील खुरांजा दूध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड में है तथा गीता तथा महिला भवन निर्माण सहकारी समिति में से प्रत्येक में दो अधिकारी हैं ।

(घ) सरकार के हितों की रक्षा करने के लिये ।

(ङ) जी, हां ।

(च) ३ गृहनिर्माण समितियों ने ३१-३-५५ तक १,७०,१०० रुपये की सहायता प्राप्त की है । १९५५–५६ के दौरान कोई सहायता नहीं दी गई तथा चालू वर्ष में भी अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है ।

पाकिस्तान में भारतीय जागीरदार

†**१०६३. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तथा राजस्थान के कुछ छोटे जागीरदारों को पाकिस्तान के पीठपुर गांव में, जो कि जोधपुर डिवीज़न के भारतीय सीमान्त से १२ मील दूर है, आधुनिक आयुधों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्रियाशीलता को रोकने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). हमारी जानकारी यह है कि कुछ छोटे जागीरदारों ने जिनमें वखसार (राजस्थान) के डाकू बलवंतसिंह के ४ या ५ साथी भी हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के पीठपुर गांव में आश्रय लिये हुए हैं । इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि वे पीठपुर में आधुनिक आयुधों में प्रशिक्षण ले रहे हैं । पाकिस्तानी प्राधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि वे इन व्यक्तियों को भारत वापस भेज दें ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†**१०६४.** { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने, तेली सहकारी समिति के विभिन्न स्तरों पर संगठन के लिये कुछ आदर्श उपविधियां परिचालित की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें भी शामिल हैं :

(१) सदस्यता पेशेवर तेलियों तक ही सीमित है;

(२) उक्त तेली सहकारी संगठन के सभापति और मंत्री खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के पदेन मनोनीत व्यक्ति होंगे;

(३) विभिन्न संगठनों के 'पदेन' सदस्यों की संख्या समिति के तिहाई सदस्यों से अधिक होगी ।

(ख) क्या पटना में हाल ही में हुए तेली सहकारी समिति के सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था का विरोध किया है; और

(ग) क्या प्रजातन्त्रात्मक विधि से आदर्श उपविधियां बनाने की कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग के द्वारा परिचालित उपविधियों के मसौदे के अनुसार, पेशेवर तेली तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले दोनों प्रकार के व्यक्ति ही प्रारम्भिक समिति के सदस्य हो सकते हैं। जहां तक सभापति तथा मंत्री के नाम-निर्देशन का सम्बन्ध है अभिप्राय यह है कि ये नियुक्तियां बोर्ड की अनुमोदक के अधीन हों। सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी एजेन्सियों के प्रतिनिधियों की संख्या, जिला तथा प्रादेशिक समितियों की प्रबन्धक समिति में ही एक तिहाई से अधिक रहेगी। प्रारम्भिक समितियों में ऐसा नहीं होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्मेलन में हुई चर्चाओं के प्रकाश में तथा राज्य सहकारी विभागों के परामर्श से उक्त आदर्श उपविधियों का उचित संशोधन कर दिया जायेगा।

बाईसिकलों और सिलाई की मशीनों का निर्माण

†१०६५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में, सहकारी क्षेत्र में बाईसिकलों और सिलाई की मशीनों के निर्माण की कोई संभावना है;

(ख) क्या राज्य में किसी कम्पनी ने उसके लिये आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। एक सहकारी संगठन ने बाईसिकलों के निर्माण के लिये आवेदन किया है।

(ग) आवेदन पत्र विचाराधीन है।

डाकघर (केरल राज्य)

†१०६६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवशेष अवधि में, केरल राज्य में कितने नये उप-डाकघर तथा शाखा डाकघर खोले जायेंगे; और

(ख) वे डाकघर कहां खोले जायेंगे ?

†**संचार मत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवशेष अवधि में अनुमानतः निम्नलिखित संख्या में डाकघर खोले जायेंगे :

उप-डाकघर	२०
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	६०४
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर जिन्हें डाकघर बनाया जायेगा	४१

(ख) डाकघरों, कार्यालयों के स्थानों, प्रस्तावों की अलग-अलग जांच करने के पश्चात् खण्ड के मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

औद्योगिक विवाद

†**१०६७. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक मद्रास राज्य तथा भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में, बागानों और कपड़े के कारखानों से सम्बन्धित कितने औद्योगिक विवाद पैदा हुए;

(ख) कुल कितने कारखाने अथवा श्रमिक इन विवादों में अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) विभिन्न विवादों की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडुभाई देसाई)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी पर्वतारोहण दल

१०६८. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** निम्नलिखित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५६ में अब तक हिमालय पर किन-किन विदेशी पर्वतारोहण दलों ने अभियान किये;

(ख) दलों ने हिमालय की किन-किन चोटियों और प्रदेशों को अपना लक्ष्य बनाया था;

(ग) उनके अभियानों के उद्देश्य क्या थे;

(घ) उन्हें अपने उद्देश्यों में कहां तक सफलता मिली;

(ङ) इनमें से प्रत्येक दल के साथ कितने-कितने भारतीयों को सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किया गया था; और

(च) इन दलों को किस प्रकार की सहायता और सुविधायें दी गई ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (च). १९५६ में कुल ८ अभियान दल हिमालय गये थे । इसके विवरण की एक सूची साथ लगी है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३**]

पारपत्र

†**१०६९. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कितने व्यक्तियों ने पूर्निया जिला (बिहार) से पूर्वी पाकिस्तान के लिये नये पारपत्रों तथा उनको बदलवाने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को नए पारपत्र दिये गये तथा कितने व्यक्तियों के पारपत्र बदले गये ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मधुमक्खी पालन केन्द्र

†**१०७०. श्री हेमराज** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में कांगड़ा ज़िले तथा हिमाचल प्रदेश में खोले गये मधु-मक्खी पालन केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसे कितने केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कांगड़ा में कोई केन्द्र नहीं खोला गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दो केन्द्र स्थापित किये गये थे।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कांगड़ा ज़िले में मधुमक्खियों के पालने का एक नमूने का केन्द्र तथा १० उपकेन्द्र स्थापित किये हैं और चालू वित्तीय वर्ष में उसका हिमाचल प्रदेश में पांच उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। शेष अवधि के लिये कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

खादी बोर्ड

†**१०७१. श्री नम्बियार** : क्या **उत्पादन** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में खादी बोर्ड द्वारा कितनी प्रदर्शनियों का तथा कहां-कहां पर आयोजन किया गया था;

(ख) उन प्रदर्शनियों पर बोर्ड द्वारा कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) १९५५–५६ में बोर्ड द्वारा कितनी गोष्ठियों और सम्मेलनों का तथा कहां-कहां पर आयोजन किया गया था; और

(घ) इन गोष्ठियों और सम्मेलनों पर कुल कितनी रकम ख़र्च हुई थी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). १९५५–५६ में निम्न स्थानों पर ५५ प्रदर्शनियां हुई थीं :

	स्थान				प्रदर्शनी का आकार
१.	अमृतसर	...	...	...	अखिल भारतीय प्रदर्शनी
२.	सूरत ...	...	...		दरम्यानी
३.	भुज ...				,,
४.	कुम्बाकोनम		...		,,
५.	अजमेर		...		छोटी प्रदर्शनी
६.	राजामुन्द्री		...		,,
७.	कुम्बाकोनम				दरम्यानी
८.	सबाशापल्ली				,,
९.	नन्दी ग्राम				,,
१०.	कलकत्ता				,,
११.	नवाड़ा ...		...		,,
१२.	वर्धा ...		...		,,
१३.	खामगांव				,,
१४.	ग्वालियर				,,
१५.	जैसलमेर	...			,,
१६.	अग्रताला				,,
१७.	त्रिचूर				,,
१८.	दातिया				,,
१९.	रेवा	...	...		,,

†मूल अंग्रेजी में।

	स्थान	प्रदर्शनी का आकार
२०.	पैप्सू राज्य ...	३ छोटी
२१.	सौराष्ट्र राज्य	५ ,,
२२.	अजागारा	,,
२३.	साहासायों	,,
२४.	बनारस ...	,,
२५.	इलाहाबाद ...	,,
२६.	नैनीताल	,,
२७.	मुहम्मदपुर	,,
२८.	गढ़मुक्तेश्वर	,,
२९.	एटावा	,,
३०.	पुरी	,,
३१.	सूरत	,,
३२.	जलगांव	,,
३३.	पूना नगर	,,
३४.	बम्बई नगर	,,
३५.	गुंडी	,,
३६.	बोरखादी	,,
३७.	तासगांव	,,
३८.	चरण	,,
३९.	सांगली	,,
४०.	तकंछा	,,
४१.	वधोदिया	,,
४२.	कविथा	,,
४३.	भोजावा	,,
४४.	दामनगर	,,
४५.	कुमथा	,,
४६.	रत्नागिरि	,,
४७.	कोटकामाटे	,,
४८.	वैश्वी	,,
४९.	बादलपुर	,,
५०.	पांधापुर	,,
५१.	कोपारगांव ...	,,
५२.	रावेली	,,
५३.	धारवार	,,
५४.	मुदाल्गी	,,
५५.	शामलाजी	,,

इन प्रदर्शनियों पर कुल ९,१३,१८६ रुपये खर्च हुए थे ।

(ग) तथा (घ) . निम्न स्थानों पर सात सम्मेलन हुए थे । खर्च की राशि प्रत्येक सम्मेलन के सामने दिखाई गई है :

	सम्मेलन का नाम	खर्च की राशि
१.	बर्तन बनाने वालों का अखिल भारतीय सम्मेलन, वर्धा	१,८७५ रुपये
२.	ताड़ का गुड़ बनाने वालों का सातवां सम्मेलन, पुश्कर	४,९७३ रुपये
३.	अमरावती में न खाने योग्य तेलों से साबुन बनाने के सम्बन्ध में सम्मेलन	३,१३३ रुपये
४.	पूना में राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डस का सम्मेलन	५,००० रुपये (लगभग)
५.	नडियाद में हाथ से चावल कूटने के सम्बन्ध में सम्मेलन	९९९ रु० १५ आने
६.	प्रकृष्ट क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन, अजागारा	(प्राप्य नहीं हैं)
७.	——"——साहासौं	५,००० रुपये (लगभग)
८.	मधुमक्खी पालक सम्मेलन—बंगलौर	३,००० रुपये

खादी बोर्ड द्वारा प्रदर्शित चलचित्र

†१०७२. **श्री नम्बियार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी बोर्ड द्वारा १९५५–५६ में किन विषयों पर चलचित्रों तथा लालटेन की स्लाइडों का प्रदर्शन किया गया था;

(ख) चल चित्रों तथा लालटेन की स्लाइडों का किन स्थानों पर प्रदर्शन किया गया था; और

(ग) इन प्रदर्शनों पर कुल कितनी रकम खर्च हुई थी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) ताड़ का गुड़ तथा ताड़ के गुड़ से बनी हुई वस्तुएं ।

(ख) १. भारतीय ताड़ गुड़ शिल्प भवन, दाहानू (बम्बई राज्य)

२. खजूर ताड़ गुड़ सम्बन्धी केन्द्रीय अग्रिम आदर्श प्रदर्शन केन्द्र, उडनगुडी (मद्रास) ।

३. सागू ताड़ गुड़ सम्बन्धी केन्द्रीय अग्रिम आदर्श प्रदर्शन केन्द्र, कुन्नूमकुलम (केरल) ।

४. खर्चिया गांव (सौराष्ट्र), बम्बई राज्य ।

५. बम्बई के अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय का ताड़ गुड़ विभाग ।

६. बम्बई के अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य कार्यालय ।

७. दादर, बम्बई ।

८. मगनवाड़ी वर्धा ।

९. अभ्यंकर हॉल, नागपुर ।

१०. बिहार ताड़ गुड़ सहकारी सम्मेलन, पटना ।

११. गाज़ीपुर ताड़ गुड़ केन्द्र, पंजाब ।

१२. अखिल भारतीय ताड़ गुड़ कार्यकर्ता सम्मेलन, पुश्कर, अजमेर ।

(ग) ३,३४८ रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विमानों के उतरने के मैदान

†**१०७३. श्री गोहेन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अधिकरण क्षेत्रों में अब तक विमानों के उतरने के कितने मैदान बनाये जा चुके हैं;

(ख) क्या यात्री विमान सेवा के लोहित सीमा तथा उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के अन्य डिवीज़नों तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

†**विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) अभी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक विकास

†**१०७४. श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्या आसाम राज्य के विकास के दृष्टिकोण से उस राज्य में छोटे पैमाने के निर्माणकारी उद्योगों के प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगों का विकास किया जायेगा और कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). आसाम में छोटे पैमाने के विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। इस राशि में गोहाटी में २० लाख रुपये (लगभग) के प्राक्कलित खर्च पर स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित औद्योगिक सम्पदा सम्बन्धी उपबन्ध शामिल नहीं है।

डाक-घर (राजस्थान)

१०७५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में राजस्थान में कितने नये डाक घर खोले गये और १९५६ के अन्त तक कितने और डाकघर खोले जाने वाले हैं, और कहां-कहां पर; और

(ख) क्या यह सच है कि जैसलमेर के गांव नाचना और ज़िला श्री गंगानगर के गांव पीर कामड़िया आदि कई स्थानों से नये डाकघर खोलने की मांगें आई हैं और वहां के लोग डाक और तार विभाग की होने वाली क्षति को भी पूरा करने को तैयार हैं फिर भी वहां अभी तक डाकघर खोलने की स्वीकृति नहीं मिली है ?

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५५ में राजस्थान में २९५ डाक-घर खोले गये।

१९५६-५७ में नवम्बर १९५६ के अन्त तक ९२ डाक घर खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दिसम्बर १९५६ के अन्त तक ५ तथा जनवरी से मार्च १९५७ तक ६४ और डाक-घर खोलने का प्रस्ताव है।

एक विवरण, जिसमें खोले गये डाक घरों के नाम दिये हुये हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है।
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८]

---

†मूल अंग्रजी में।

(ख) श्री गंगानगर के जिले में पीर कामड़िया गांव में बिना अनिवर्तनीय[1] रकम लिये हुए एक डाकघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है, और आशा है कि यह डाकघर चालू वित्तीय वर्ष में खुल जायेगा। नचना के बारे में भी, डाकघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी थी, परन्तु वह डाकघर अभी तक इस कारण से न खोला जा सका कि वह नजदीक से नजदीक डाकघर से ४० मील की दूरी पर है। साथ ही कोई ऊंटों का ठेकेदार ७० रुपये महीने पर हर दूसरे दिन डाक ले जाने के लिये नहीं मिलता था। स्थानीय अधिकारियों ने अब एक ठेकेदार की सिफ़ारिश की है, जो कि ७० रुपये महीने पर सप्ताह में दो बार डाक ले जाने के लिये तैयार है। आशा है कि यह डाकघर जल्दी ही खुल जायगा और डाक, सप्ताह में दो बार आया-जाया करेगी।

डाकघर, हनुमानगढ़

१०७६. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हनुमानगढ़ जंक्शन की आबादी से डाकघर को हटा कर कैनाल कालोनी, हनुमानगढ़ में रख दिया गया है जबकि कालोनी की बजाय जंक्शन आबादी की डाक अधिक होती है; और

(ख) क्या उक्त डाकखाने को फिर से हनुमानगढ़ जंक्शन में रखने के लिये जनता द्वारा कोई मांग आई है ?

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सितम्बर १९४४ में हनुमानगढ़ जंक्शन के इलाके में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर[2], जो कि वहां के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के मकान में खुला हुआ था, एक विभागीय शाखा डाकघर में परिवर्तित कर दिया गया। चूंकि विभागीय डाकघरों के लिये जगह का प्रबन्ध विभाग द्वारा ही किया जाता है, अतः इस डाकघर को सिंचन विभाग[3] की कालोनी में एक उपयुक्त भवन में जगह दे दी गयी। यह जगह सिंचन विभान ने बिना किराये के दे दी है। बाद में यह शाखा डाकघर फिर एक अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर[4] में परिवर्तित कर दिया गया और यह उसी कालोनी में बिना-किराये वाले भवन में चल रहा है। जन-साधारण के आग्रह पर इस डाकघर को हनुमानगढ़ जंक्शन के समीप फिर हटाने की कोशिश की गयी, परन्तु उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण यह काम न हो सका। प्रयत्न किया जा रहा है कि कोई उपयुक्त भवन मिल जाय। यह भी देखा जा रहा है कि यदि हो सके तो एक डाकघर किसी स्थानीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के अधिकार में हनुमानगढ़ जंक्शन के इलाके में खोल दिया जाय। ऐसी स्थिति में डाकघर के लिये जगह का प्रबन्ध करना अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी की अपनी ज़िम्मेदारी होगी।

राजस्थान में जमीनों का आवंटन

१०७७. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़िला श्री गंगानगर की तहसील रायसिंह नगर में श्री खानू राम हरिजन के ग्रुप के बत्तीस परिवारों को जो ज़मीनें दी गई थीं उनको स्थानीय तहसीलदार ने किन्हीं अन्य व्यक्तियों को दे दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त परिवारों से और अधिक किश्तें मांगी जा रही हैं जबकि उन्होंने ५५० रुपये की किश्तें सरकार को दे दी हैं; और

---

[1] Non-returnable Contribution.
[2] E. D. Branch Office.
[3] Irrigation Department.
[4] E. D. Sub Office.

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ़ के गांव किकरांवाली के हरिजन शरणार्थियों की जमीनें स्थानीय पदाधिकारियों ने पाकिस्तान से बिना परमिट आये मुसलमानों को उन हरिजनों से छीन कर दे दी हैं और किश्तें हरिजन शरणार्थियों से मांगी जा रही हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

साबुन बनाना

†**१०७८. श्री त० ब० बिट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में ऐसे अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त उत्पादन केन्द्रों की संख्या कितनी है जो कुटीर उद्योग आधार पर साबुन तैयार करते हैं और वे कहां पर (राज्य वार) हैं;

(ख) इस उद्योग के विकास के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्याग बोर्ड को (१) १९५३-५४, (२) १९५४-५५, (३) १९५५-५६ और (४) १९५६-५७ में कितनी रकम की मंजूरी दी गई थी और बोर्ड द्वारा उन रकमों का किस प्रकार उपयोग किया गया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में बोर्ड द्वारा कितने नये उत्पादन के केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है और वे कहां पर (राज्यवार) होंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर तीन विवरण रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]**

लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त

१०७९. श्री खू० च० सोंधिया : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामर्स डिपार्टमेंट, लन्दन में कुल कितने पदाधिकारी और कर्मचारी हैं;

(ख) इन दोनों श्रेणियों में कितने अभारतीय हैं:

(ग) इस विभाग के विशेष कर्त्तव्य क्या हैं और लन्दन स्थित हमारे उच्चायुक्त और इंडियन स्टोर परचेज डिपार्टमेंट के साथ उसका क्या सम्बन्ध है; और

(घ) इस विभाग के वार्षिक व्यय का ब्योरा क्या है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कामर्स विभाग में १ अप्रैल, १९५६ को कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :

पदाधिकारी—२२
कर्मचारी—४३*

*[इसमें टैलीफोन पर काम करने वाले कर्मचारी, संवाद-वाहक, सफ़ाई करने वाले कर्मचारी आदि सम्मिलित नहीं हैं । इनकी नियुक्ति जब जैसी आवश्यकता होती है, तब कर ली जाती है ।]

(ख) इनमें से अभारतीयों की संख्या निम्न है :

पदाधिकारी—४
कर्मचारी—१८

(ग) कामर्स विभाग का मुख्य काम भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना है । वह विशेष रूप से उस देश के साथ भारत का व्यापार बढ़ाता है और इस देश के सामान्य औद्योगिक विकास

†मूल अंग्रेजी में ।

के लिये ब्रिटिश फर्मों तथा भारतीय फर्मों के बीच टैक्नीकल तथा अन्य प्रकार के सहयोग की संभावनायें खोजता है। चूंकि ब्रिटेन पौण्ड-क्षेत्र का एक प्रधान सदस्य है जिसके अंदर भारत भी है, इसलिये कामर्स विभाग ब्रिटिश कोप विभाग, व्यापार तथा राष्ट्र मण्डलीय संपर्क समिति जैसी समितियां से घनिष्ट सम्पर्क रखता है और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सरकार को कराता रहता है। भारतीय उच्च आयोग का इंडिया स्टोर विभाग सरकारी इंडेन्टों का माल खरीदा करता है। सभी विभागों पर लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त का नियंत्रण रहता है।

(घ) १९५५–५६ के वर्ष में कामर्स विभाग का वार्षिक खर्च तनख्वाहों पर ६,५४,४३१ रु० था तथा अन्य आकस्मिक खर्च ८८,१६८ रु० थे।

डाक बचत बैंक में गबन

१०८०. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति को, जिसने ज़िला गंगानगर रायसिंह नगर तहसील के डाकखाने के बचत बैंक के हिसाब में कुछ धन जमा किया था, मृत्यु हो जाने पर वहां के पोस्ट-मास्टर ने खुद उसका धन निकाल लिया; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उस पोस्ट-मास्टर के विरुद्ध गबन के लिये भारतीय पीनल कोड की धारा ४०९ के अधीन मुकदमा भी चलाया गया था ?

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). घटना इस प्रकार है कि गंगानगर ज़िले में रायसिंह नगर का सब पोस्ट-मास्टर बचत-बैंक लेखों से दो मामलों में धोखा देकर रुपया निकालने के अपराध में लिप्त था। पहले मामले में एक जीवित जमाकर्त्ता के बचत-बैंक-हिसाब से २२ फरवरी १९५४ को २०० रुपये निकाले गये और दूसरे में १० अप्रैल १९५४ को ३०० रुपये एक मृत जमा-कर्त्ता के हिसाब में से निकाले गये। दोनों मामलों की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी, जिसमें कि केवल पहले मामले में पुलिस ने चालान किया; परन्तु नीचे की अदालत से अपराधी छट गया। विभाग द्वारा पुनरीक्षण की दरखास्त भी सेशन जज की अदालत से रद्द हो गयी। अब एक अपील हाई कोर्ट में की जा रही है।

दूसरे मामले में पुलिस ने अपराधी का चालान नहीं किया, परन्तु इस विषय में कार्यवाही जारी है।

गंगानगर टेलीफोन एक्सचेंज

१०८१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या यह सच है कि गंगानगर टेलीफोन एक्सचेंज में बहुत गड़बड़ी है और आपरेटर वहां के स्थानीय व्यापारियों के हाथों के खिलौने बने हुए हैं और वे वहां के व्यापारियों को ट्रंक काल पहले देते हैं और जनता को बाद में ?

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस विषय में जांच हो रही है।

निर्यात संवर्धन परिषद्

†१०८२. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित की गई प्रत्येक निर्यात संवर्धन परिषद् ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) निम्न निर्यात संवर्धन परिषदों का कार्यक्रम सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था :

(१) सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्
(२) रेशम और रेचन निर्यात संवर्धन परिषद्
(३) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद्
(४) काजू और काली मिर्च निर्यात संवर्धन परिषद्.
(५) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्
(६) तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद्

अभ्रक और चमड़े के लिये निर्यात संवर्धन परिषदें अभी हाल में बनाई गई हैं। इनके कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किये गये ।

(ख) इन परिषदों के कार्यक्रमों में मोटे तौर पर निम्न बातों की व्यवस्था है :

(१) समुद्र पार कार्यालय खोलना ।
(२) समुद्र पार प्रतिनिधि नियुक्त करना ।
(३) समुद्र पार मंडियों में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये सर्वेक्षकों की सहायता से व्यापार सम्बन्धी गवेषणा ।
(४) विदेशों में सिनेमा, रेडियो और समाचारपत्रों द्वारा प्रचार। देश में विदेशी मंडियों में मांगी जानी वाली वस्तुओं के नमूनों के प्रदर्शन के द्वारा प्रचार ।
(५) प्रदर्शनियों और प्रदर्शन-कक्षों को आयोजित करना और उनमें भाग लेना ।
(६) व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का प्रबन्ध करना ।
(७) समुद्रपार कार्यालयों, प्रतिनिधियों और सर्वेक्षणों से प्राप्त सामग्री और उद्योग सम्बन्धी आंकड़ों को मासिक समाचारपत्रों द्वारा देश में और विदेशों में वितरित करना ।
(८) व्यापार सम्बन्धी झगड़ों की ओर ध्यान देना ।
(९) इस बात को सुनिश्चित करना कि जो माल निर्यात किया जाये, उसकी किस्म तथा पैंकिग उचित प्रमापों के अनुसार हो ।

मंत्री का दौरा

१०८३. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में उन्होंने जो विदेश का दौरा किया था, उसमें वह किस-किस देश में गये और प्रत्येक देश में कितने-कितने दिन ठहरे; और

(ख) उनके विदेशी दौरे में कुल कितना खर्च हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क)

	देश जिन का दौरा किया	जितना समय ठहरे
(१)	सोवियत संघ	७ दिन
(२)	पोलैण्ड ...	१ दिन
(३)	पश्चिमी जर्मनी	३ दिन
(४)	स्विटज़रलैण्ड	२ दिन
(५)	फ्रांस	३ दिन

थोड़े समय के लिये पूर्वी जर्मनी का भी दौरा किया गया ।

(ख) लगभग ११,५०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

चाय का निर्यात

१०८४. डा० ज० न० पारिख : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से विदेशों में चाय की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस भारी मांग के कारण देश में मूल्यों के ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद, जितनी मात्रा बचेगी, वह निर्यात के लिये उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ग) भारत में निर्यात नीलामियों में तथा अन्य स्थानों पर की गई नीलामियों में मूल्य बढ़ने के बाद, सितम्बर, १९५६ से आन्तरिक नीलामी मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है । हाल के इन परिवर्तनों से फुटकर मूल्यों पर अभी कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा ।

डाक

†**१०८५. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितनी प्रतिशत डाक हरकारों द्वारा ले जाई जाती है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उससे उतना लाभ नहीं होगा ।

सार्वजनिक टेलीफोन निमता

†**१०८६. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निमता, पश्चिमी बंगाल में एक सार्वजनिक टेलीफोन खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : यह ११ दिसम्बर, १९५६ को खोल दिया गया था । काम में विलम्ब तारों की कमी के कारण हुआ था ।

पश्चिमी एशियाई मण्डी

†**१०८७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रचार और संगठन के अभाव के कारण भारत पश्चिमी एशियाई मण्डी खो रहा है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : जी, नहीं । पश्चिमी एशियाई देशों को हम काफ़ी निर्यात करते रहे हैं । यद्यपि अप्रैल-सितम्बर, १९५६ की अवधि में आंकड़ों में थोड़ी सी कमी देखी गई है, तथापि व्यापार में कमी होने की कोई प्रवृत्ति नहीं है । छोटी अवधियों में व्यापार के उतार चढ़ाव के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा ।

मंत्रियों के निवास-स्थान

†**१०८८. श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखेंगे जिसमें बताया गया हो कि प्रत्येक मंत्री (चाहे मंत्रिमण्डल का सदस्य हो या नहीं) उपमंत्री और सभा सचिव के निवास स्थान पर अप्रैल, १९५६ से प्रत्येक मास में बिजली के लिये कितनी रकम अदा की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: ऐसे बिलों के सम्बन्ध में अभी पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं हुई और ऐसा होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†**१०८९. श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ सितम्बर, १९५६ के बाद पूर्वी पाकिस्तान से कितने विस्थापित व्यक्तियों ने प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के साथ त्रिपुरा में प्रवेश किया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : सितम्बर १९५६ से नवम्बर, १९५६ तक ९३८ व्यक्ति ।

कमलपुर डाकघर

†**१०९०. श्री दशरथ देब** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य में, कमलपुर शहर के डाकघर में डाक चपड़ासियों की कमी है;

(ख) कमलपुर डाकघर में इस समय कितने चपड़ासी हैं; और

(ग) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) १ डाकिया
१ विभागातिरिक्त पैकर
१ हरकारा
१ चौकीदार

(ग) एक और डाकिये की नियुक्ति के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

लखीपुर में डाकघर का बन्द किया जाना

†**१०९१. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिनाजपुर जिले हस्तांतरण से पूर्व पूर्निया जिले के लखीपुर ग्राम का डाकघर उस समय बन्द कर दिया गया था, जब यह क्षेत्र बिहार से पश्चिमी बंगाल को दे दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या इसके बन्द कर दिये जाने के कारण गांव के और समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों में रोष पाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे पुनः खोलने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का विचार है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). पूर्निया जिले में स्थित डाकघर अभी बिहार से पश्चिमी बंगाल को हस्तातरित नहीं किये गये । लखीमपुर विभाग अतिरिक्त शाखा कार्यालय ६-११-१९५६ से बन्द कर दिया गया था, क्योंकि विभागातिरिक्त अभिकर्ता ने त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सका था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) और (घ). स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता से एक उपयुक्त विभागातरिक्त अभिकर्ता की सेवायें प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और उसके आने पर डाकघर तुरन्त खोल दिया जायेगा ।

सरकारी क्वार्टर

१०९२. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सब क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक किन-किन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है;

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब होने का क्या कारण है; और

(घ) देर से देर कब तक शेष बस्तियां में बिजली की व्यवस्था हो जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). स्थिति वही है जो २०-१२-५५ को अतारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर में बतलाई गई थी। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी और दिल्ली इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड को इन क्वार्टरों में बिजली पहुंचाने के लिये राज़ी करने की कोशिश की जा रही है ।

आकाशवाणी

१०९३. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से हिन्दी की विभिन्न बोलियों में लोक-गीतों और संवादों को प्रसारित करने का कार्यक्रम १९५६-५७ के चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा गया;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक भिन्न-भिन्न बोलियों में कितने कार्यक्रमों को प्रसारित किया जा चुका है; और

(ग) उनका सुधार और उनकी संख्या में वृद्धि करने के बारे में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण मेज़ पर रखा जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीनों में १७३५ कार्यक्रम हो चुके हैं जब कि १९५५-५६ के सारे वर्ष में इनकी संख्या केवल ५१४ थी । कार्यक्रम का सुधार हमेशा जारी रहता है, और इस सम्बन्ध में लगातार कोशिश की जाती है जैसे नये कलाकारों की तलाश करना, स्थान पर रिकार्ड तैयार करवाना तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिये विशेषज्ञों को नियुक्त करना ।

क्षतिग्रस्त डकोटा

१०९४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ दिसम्बर, १९५६ को दोपहर के बाद नागपुर के समीप एक भयंकर पक्षी के आक्रमण के कारण इंडियन एयरलाइन्स का एक डकोटा विमान क्षतिग्रस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर): (क) और (ख). यह सच है कि ३ दिसम्बर, सन् १९५६ को भारतीय समय के अनुसार १० बजकर ५२ मिनट पर भारतीय विमानवाहिनी निगम का डकोटा विमान वी० टी० ए० एक्स० बी० जो दक्षिण की ओर मद्रास को जा रहा था जैसे ही नागपुर से हैदराबाद के लिये उड़ा तो ऊपर उठते समय एक पक्षी से जो सम्भवत: गिद्ध या चील थी, टकरा गया । विमान का एक पंख क्षतिग्रस्त हो गया और इसके परिणामस्वरूप विमान को १० बजकर ५८ मिनट पर नागपुर विमानक्षेत्र पर फिर वापस आ जाना पड़ा । इसलिये सहायक विमान द्वारा सेवा को चलाया गया ।

विस्थापित परिवारों को ऋण

†**१०९५. श्री तुषार चटर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली जिले की नगरीय बस्तियों में शौचालयों के अपर्याप्त संख्या में होने से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने जरूरतमंद विस्थापित परिवारों को अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को इस प्रकार का अतिरिक्त ऋण मिला है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार के लगभग १,००० प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका निबटारा कब किया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) १२०९ परिवारों को ऋण स्वीकृत कर दिये गये हैं और अदायगी हो रही है ।

(ग) जी, नहीं । केवल १४० प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं ।

(घ) राज्य सरकार से इसका शीघ्र निपटारा करने की प्रार्थना की जा रही है ।

हुगली जिले में नगरीय बस्तियां

†**१०९६. श्री तुषार चटर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल की बाढ़ों के परिणामस्वरूप हुगली जिले (पश्चिम बंगाल) की विस्थापित व्यक्तियों की नगरीय बस्तियों की दशा इतनी खराब हो गई है कि अच्छी सड़कों, नलकूपों और इस प्रकार की अन्य बातों की तीव्र आवश्यकता उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस प्रकार की नगरीय बस्तियों के लिये सरकार द्वारा नियोजित विकास योजनाओं की कहां तक पूर्ति हुई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क)सरकार को मालूम है कि भारी वर्षा और बाढ़ के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में व्यापक हानि हुई है । इन भागों में हुगली जिले की नगरीय शरणार्थी बस्तियां भी सम्मिलित हैं ।

(ख) तथा (ग). बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने में विस्थापित और गैर-विस्थापित व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है । बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के लिये राज्य सरकार द्वारा योजनायें बनाई जायेंगी । फिर भी इस प्रकार की पांच नगरीय बस्तियों में सड़कें आदि बनाने के लिये ५ लाख ४० हजार रुपये के लागत की सामान्य विकास योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं । स्वीकृत योजनाओं की क्रियान्विति में बाढ़ के परिणामस्वरूप विलम्ब हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय वैदेशिक सेवा

१०९७. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैदेशिक सेवा के प्रोबेशनर्स के प्रशिक्षण की वर्तमान अवधि और उनके पाठ्य-क्रम की स्थूल रूपरेखा क्या है; और

(ख) इस समय कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) (क) भारतीय वैदेशिक सेवा में नियुक्त होने के बाद आई० एफ़० एस० प्रोबेशनर्स को ६ महीने के लिये आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली में, भारत के संविधान, भारत के इतिहास, आर्थिक प्रायोजना, एशिया के इतिहास और हिंदी की पढ़ाइयों का कोर्स पूरा करने के लिये भेजा जाता है। स्कूल में रह कर ये प्रोबेशनर्स मोटर चलाना और घुड़-सवारी करना भी सीखते हैं ।

उन्हें, ६ महीनों के बाद, पढ़ाये गये विषयों की परीक्षा देनी पड़ती है ।

इसके बाद उनको भारत के विभिन्न राज्यों में, ज़िला प्रशिक्षा (डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग) के लिये भेजा जाता है, जो ४ महीने तक होती है ।

ज़िलों से, प्रोबेशनर विदेश मंत्रालय में भेजे जाते हैं, जहां उनको साढ़े पांच महीने की विभागीय प्रशिक्षा दी जाती है।

सचिवालय-प्रशिक्षा पूरी होने पर, थोड़ी सी छुट्टी मनाने के बाद, प्रोवेशनर बाहर के किसी रेज़ी-डेन्शल विश्वद्यालय में भेजे जाते हैं, जहां वे राजनयिक और विश्व इतिहास , अन्तर्राष्ट्रीय कानून, उच्च अर्थशास्त्र, और निर्धारित की गई अनिवार्य विदेशी भाषाओं का शिक्षण-कोर्स पूरा करते हैं। यह प्रशिक्षा ९ महीने की होती है । उसके बाद वे विदेश-स्थित किसी भारतीय मिशन में वाणिज्य-व्यापार की प्रशिक्षा का एक संक्षिप्त कोर्स पूरा करते हैं। वे, ६ हफ्तों के ब्रिटिश विदेश विभाग कोर्स में भी जाते हैं। इसके बाद प्रोबेशनरों की नियुक्ति बाहर के मिशनों में कर दी जाती है ।

(ख) इस समय २३ आई० एफ० एस० प्रोबेशनर हैं ।

मनीपुर शरणार्थियों को ऋण

†**१०९८. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर शरणार्थियों ने भवन निर्माण, व्यावसायिक और कृषि सम्बन्धी ऋण के लिये बड़ी संख्या में प्रार्थनापत्र दिये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं;

(ग) कितने रद्द किये गये हैं;

(घ) ऋण के रूप में अभी तक कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ङ) किन आधारों पर प्रार्थनापत्र रद्द किये गए हैं; और

(च) मनीपुरी शरणार्थियों को अधिक ऋण देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (च). जानकारी संग्रहीत की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गोरखपुर डिवीजन में डाक सम्बन्धी सुविधायें

†**१०९९. श्री धुसिया** : क्या **संचार** मंत्री गोरखपुर डिवीजन के उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित सुविधाओं का उपबन्ध किया गया है :

(१) डाकघर और अतिरिक्त विभागीय डाकघर;

(२) तारघर

(३) सार्वजनिक टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज; और

(४) अतिरिक्त विभागीय डाकघर जो विभागीय डाकघरों में बदल दिये गये हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सभा-पटल पर रखे गये विवरणों में अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१]**

---

†मूल अंग्रजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१२८५–१३१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७५	नीवेली लिग्नाइट खान	१२८५
१२७६	निम्न आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना	१२८६–८७
१२७७	गोआ	१२८७–८८
१२८०	विस्थापित व्यक्तियों की नगरियां और बस्तियां ...	१२८८–८९
१२८१	श्रीलंका और मलाया से आये भारतीय राष्ट्रजनों का पुनर्वास	१२९०–९१
१२८३	गांव के डाकघर	१२९१–९३
१२८४	थामस किस्म के इस्पात का आयात ...	१२९३–९४
१२८५	पश्चिमी बंगाल डाक परिमण्डल	१२९४–९५
१२८७	चश्मे के कांच बनाने का कारखाना ...	१२९५–९६
१२८८	क्रय तथा विकास बोर्ड	१२९६–९७
१२८९	राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना	१२९७–९८
१२९०	इंजनों का आयात ...	१२९९
१२९१	जापान को भारतीय प्रतिनिधिमण्डल	१२९९–१३०१
१२९३	तेल सम्भरण	१३०१–०२
१२९५	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	१३०२
१२९६	दियासलाई का निर्माण ...	१३०३
१२९७	रासायनिक उद्योग	१३०३–०४
१२९९	हिन्दचीनी में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आयोग	१३०४–०५
१३०१	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	१३०५–०६
१३०२	राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ...	१३०६–०७
१३०३	हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में अमेरिकी वस्त्र विशेषज्ञों की राय	१३०७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१०	जबलपुर प्रशिक्षण केन्द्र के एक पदाधिकारी द्वारा आत्म-हत्या	१३०७–०९
११	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	१३०९–१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१३१०–५०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७४	पोर्बिलिया कोयला खान ...	१३१०–११
१२७८	चंडीगढ़ हवाई अड्डा	१३११

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–[क्रमशः]		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७९	गोआ ...	१३११
१२८२	लद्दाख में चीनी राष्ट्रजन ...	१३११–१२
१२८६	तिहाड़ में विस्थापितों के मकान	१३१२
१२९२	सीमा घटना	१३१२
१२९४	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	१३१२–१३
१२९८	चलचित्र	१३१३
१३००	मैसर्स ओयरलिकन्स लिमिटेड के साथ करार ...	१३१३
१३०४	केन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र, बहरामपुर	१३१३
१३०५	भारतीय फलों का निर्यात...	१३१३–१४
१३०६	यूगोस्लाविया से इस्पात ...	१३१४
१३०७	हुगली जिला नगरीय बस्तियां	१३१४
१३०९	चीन के साथ व्यापार	१३१४–१५
१३१०	भारत पर आक्रमण करने की कथित योजना	१३१५
१३११	खानों का निरीक्षण	१३१५
१३१२	कर्मचारी भविष्य निधि	१३१५
१३१३	ऋतु विज्ञान में प्रशिक्षण...	१३१६
१३१४	भारत-जापान व्यापार करार	१३१६
१३१५	काश्मीर में पाकिस्तान के हमले	१३१६
१३१६	रंग पदार्थ	१३१७
१३१७	औद्योगिक कार्यों के लिये अणुशक्ति ...	१३१७
१३१८	गृह-निर्माण के लिये ऋण...	१३१७
१३१९	सानेकट्टा नमक निर्माणशाला	१३१७–१८
१३२०	मेवे का आयात ...	१३१८
१३२१	मंडी की सेंधा नमक खानें	१३१८
१३२२	नाभिकीय विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण	१३१८
१३२३	भारत पाकिस्तान सीमा का अंकन	१३१९
१३२४	मोटर गाड़ियों आदि का आयात	१३१९
१३२५	रेडियो सेटों का निर्माण ...	१३१९–२०
१३२६	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ...	१३२०
१३२७	चल सम्पत्ति सम्बन्धी भारत पाकिस्तान करार	१३२०
१३२८	लखनऊ के बड़े डाकघर में धन की हानि	१३२०–२१
१३२९	इस्पात का आयात	१३२१
१३३०	गेंदालाल मिल्ज़, जलगांव...	१३२१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०३३	रंग पदार्थ ...	१३२१–२२
१०३४	उद्योगों का विकास	१३२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–[क्रमशः]		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०३५	रांगा	१३२२
१०३६	पांडीचेरी का विकास ...	१३२३
१०३७	चीन के साथ व्यापार ...	१३२३
१०३८	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्कशाप	१३२३
१०३९	खादी और ग्राम उद्योग	१३२३–२४
१०४०	मनीपुर लोक निर्माण विभाग में बुलडोज़रों के ड्राइवर	१३२४
१०४१	मनीपुर में युद्ध हताहत क्षतिपूर्तियां	१३२४–२५
१०४२	सीमेन्ट	१३२५
१०४३	हथकरघे तथा मिल के कपड़े की बिक्री ...	१३२५–२६
१०४५	कमलपुर में उपविभागीय पदाधिकारी का कार्यालय	१२२६
१०४६	आकाशवाणी नागपुर ...	१३२६
१०४७	डाक सुविधायें (मध्य प्रदेश) ...	१३२६–२७
१०४८	शिक्षितों की बेरोजगारी (मध्य भारत)	१३२७
१०४९	अम्बर चरखा कार्यक्रम	१३२८
१०५०	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ...	१३२८–२९
१०५१	श्रम पंचाट ...	१३२९
१०५२	पटसन की मिलें	१३२९
१०५३	काफी के बागान	१३३०
१०५४	कांगड़ा, पंजाब में डाकघर	१५३०
१०५५	नमक का उत्पादन	१३३०–३१
१०५६	भारत का विदेशी व्यापार	१३३१
१०५७	एस्टेट आफिस ...	१३३१
१०५८	एस्टेट आफिस ...	१३३१–३२
१०५९	गोल मार्किट के क्वार्टर ...	१३३२
१०६०	रानीगंज की कोयले की खानें	१३३२–३३
१०६१	वैज्ञानिक उपकरण	१३३३
१०६२	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये सहकारी समितियां ...	१३३३–३४
१०६३	पाकिस्तान में भारतीय जागीरदार	१३३४
१०६४	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	१३३४–३५
१०६५	बाईसिकिलों और सिलाई की मशीनों का निर्माण ...	१३३५
१०६६	डाकघर (केरल राज्य)	१३३५
१०६७	औद्योगिक विवाद	१३३६
१०६८	विदेशी पर्वतारोहण दल	१३३६
१०६९	पारपत्र ...	१३३६
१०७०	मधुमक्खी पालन केन्द्र	१३३६–३७
१०७१	खादी बोर्ड	१३३७–३९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०७२ खादी बोर्ड द्वारा प्रदर्शित चलचित्र १३३६
१०७३ उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विमानों के उतरने के मैदान ... १३४०
१०७४ औद्योगिक विकास १३४०
१०७५ डाकघर (राजस्थान) १३४०–४१
१०७६ डाक-घर, हनुमानगढ़ ... १३४१
१०७७ राजस्थान में जमीनों का आवंटन १३४१–४२
१०७८ साबुन बनाना ... १३४२
१०७९ लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त १३४२–४३
१०८० डाक बचत बैंक में गबन ... १३४३
१०८१ गंगानगर टेलीफोन एक्सचेंज १३४३
१०८२ निर्यात संबर्धन परिषद् ... १३४३–४४
१०८३ मंत्री का दौरा १३४४
१०८४ चाय का निर्यात ... १३४५
१०८५ डाक १३४५
१०८६ सार्वजनिक टेलीफोन, निमता १३४५
१०८७ पश्चिमी एशियाई मंडी १३४५
१०८८ मंत्रियों के निवास स्थान १३४५–४६
१०८९ पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १३४६
१०९० कमलपुर डाकघर ... १३४६
१०९१ लखीपुर में डाकघर का बन्द किया जाना १३४६–४७
१०९२ सरकारी क्वार्टर १३४७
१०९३ आकाशवाणी ... १३४७
१०९४ क्षतिग्रस्त डकोटा ... १३४७–४८
१०९५ विस्थापित परिवारों को ऋण १३४८
१०९६ हुगली जिले में नगरीय बस्तियां १३४८
१०९७ भारतीय वैदेशिक सेवा ... १३४९
१०९८ मनीपुर शरणार्थियों को ऋण ... १३४९
१०९९ गोरखपुर डिवीज़न में डाक सम्बन्धी सुविधायें १३५०

M25LSD—190—17-2-58—GIPF

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

(~~१४ नवम्बर~~ ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-92
Fumigated
On 29/11/83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-१० बजे

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि भारत सरकार और आसाम तेल समवाय के बीच, आसाम के नाहोरकटिया क्षेत्र में अपरिष्कृत[1] तेल की खोज और उसका उत्पादन करने के लिये, एक रुपया समवाय की स्थापना के सम्बन्ध में क़रार किया जा चुका है, जिसके लिये अन्तिम अनुसमर्थन को अभी प्रकट करना होगा।

सभा को स्मरण होगा कि लगभग एक वर्ष से नाहोरकटिया विस्तार, हुगरीजन और मोरेन क्षेत्रों के लिये समवाय को तेल की खोज करने की अनुज्ञप्तियां जारी करने के सम्बन्ध में इस समवाय की स्थापना के लिये वार्ता चल रही थी और इस समवाय को दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों के लिये यह शर्त रखी गई थी कि इसके लिये खनन पट्टे केवल नये रुपया समवाय को ही दिये जायेंगे, और इस नये रूपी समवाय में भारतीय पूंजी का भी सहयोग रहेगा। अब जो करार किया गया है, उसके अनुसार स्थापित होने वाले नये रुपया समवाय में भारत सरकार द्वारा ३३·१/३ प्रतिशत और आसाम तेल समवाय द्वारा ६६·२/३ प्रतिशत अंशपूंजी का अंशदान किया जायेगा। इस नये समवाय के ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियमों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कराना पड़ेगा। उनमें सरकार की ओर से विशेष निदेशकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था भी रहेगी। इन विशेष निदेशकों को यह अधिकार होगा कि वे विदेशों के नागरिकों के साथ किये जाने वाले ठेकों और क़रारों, भारत में तेल और तेल-उत्पादों के विक्रय, विदेशियों की नियुक्ति, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण नीति विषयक मामलों को सरकार द्वारा अनुमोदित कराने के लिये सुरक्षित करलें।

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Crude.

[श्री के० दे० मालवीय]

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस क़रार में एक विशेष बात यह भी की गई है कि नये रुपया समवाय द्वारा उत्पादित अपरिष्कृत तेल के मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा, और मैं यह भी बता दूं कि देश के पूर्वी भाग में स्थापित होने वाली प्रस्तावित परिष्करिणी[1] के लिये आवश्यक अपरिष्कृत तेल उसे रियायती मूल्य पर ही दिया जायेगा। यह रियायती मूल्य भी यथासमय भारत सरकार की सहमति से ही निर्धारित किया जायेगा। इस क़रार की अन्य महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि नया रुपया समवाय प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कुछ सुविधायें भी देगा; और यह भी कि इस परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा आसाम तेल समवाय द्वारा पौंड मुद्रा में दिये गये अंश पूंजी के उसके हिस्से से ही उपलब्ध की जायेगी। इस नये समवाय पर जितना नियन्त्रण रखने का प्रबन्ध सरकार ने किया है, उसके कारण यह उपक्रम सामान्यतः भारत सरकार की पुनरीक्षित औद्योगिक नीति के अनुकूल ही रहता है। भारत सरकार को अभी इस क़रार के कुछ ब्योरों की परीक्षा और उनका अनुमोदन करना बाक़ी है।

†**श्री फीरोज़ गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : क्या सरकार इस प्रस्तावित परिष्करिणी की स्थिति के स्थान के सम्बन्ध में कोई अधिकृत वक्तव्य जारी करेगी ? क्या, इसकी स्थिति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने से पहले, सरकार उस पर सभा में चर्चा करने का अवसर भी देगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी यह मामला विचाराधीन है, और कोई भी स्थिति नहीं बताई जा सकती।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : मैं सरकार द्वारा एक अधिकृत वक्तव्य चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कल वित्त मंत्री ने ही कहा था कि अभी उसकी स्थिति का निर्णय नहीं किया गया है। प्रश्न का यही उत्तर होगा। यह अधिकृत ही है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, हां; मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

†**श्री क० कु० बसु०** (डायमण्ड हार्बर) : करार की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जाये।

†**श्री के० दे० मालवीय** : पूरे तौर पर तैयार हो जाने पर, उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या विचाराधीन ब्योरे इस सत्र के अन्त तक तैयार हो जायेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : एक औचित्य प्रश्न है। प्रश्न-काल समाप्त हो चुका है।

†**श्री बंसल** : (झज्जर-रेवाड़ी) : इन कथित "रियायती मूल्यों" का क्या अर्थ है, और इन्हें कैसे निर्धारित किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य-निधि योजना में संशोधन

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : मैं, श्री खंडूभाई देसाई की ओर से, कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० संख्या २९८१,

†मूल अंग्रेजी में।

१. Refinery.

दिनांक ७ दिसम्बर, १९५६ की एक प्रति, जिसमें कर्मचारी भविष्य-निधि योजना, १९५२ में कुछ संशोधन किये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एस—५७५/५६**]

संघ लोक-सेवा आयोग का प्रतिवेदन, १९५५-५६ और उससे सम्बन्धित सरकारी ज्ञापन

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं, संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) वर्ष १९५५-५६ का लोक-सेवा आयोग का प्रतिवेदन; और

(२) १९५५-५६ में आयोग की राय न मानने के कारणों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन ।

[पुस्कालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—५७७/५६]

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : अब यह एक प्रथा-सी बनती जा रही है कि सरकार संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर तो रख देती है, पर उस पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं देती । १९५४-५५ के प्रतिवेदन के बारे में भी यही हुआ था । आयोग ने स्वयं अनुरोध किया है कि प्रतिवेदन पर संसद् द्वारा चर्चा की जाये । यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है । इस संसद् की अवधि पूरी होने से पहले कम से कम एक प्रतिवेदन पर तो चर्चा हो ही जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य इसकी चर्चा की आवश्यकता की सूचना भेज दें, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

†**श्री कामत** : मैं पिछले दो सत्रों में ऐसी सूचना दे चुका हूं, पर समयाभाव के कारण उसे सम्मिलित नहीं किया गया था । इस सत्र में भी यही होगा ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं बता दूं कि जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मैं प्रसन्न हूंगा यदि इस, और पिछले प्रतिवेदनों पर भी, चर्चा की जाये । उससे प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास हो जायेगा कि सरकार संघ लोग-सेवा आयोग के सम्बन्ध में बहुत ही सराहनीय ढंग से कार्य करती रही है, और प्रत्येक व्यक्ति को यह भी संतोष होना आवश्यक है कि हमने संघ लोक सेवा आयोग की इच्छायें पूरी करने के लिये और उसकी रायों तथा सुझावों को कार्यरूप में परिणत करने के लिये अपनी शक्ति से अधिक प्रयास किया है ।

श्री कामत : कृपया पहले से ही कोई निश्चय न करें ।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से ये सन्देश प्राप्त हुए हैं :—

(१) कि लोक-सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये बाट तथा माप-मान विधेयक, १९५६ पर राज्य-सभा अपनी १४ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[सचिव]

(२) कि लोक-सभा द्वारा २६ नवम्बर, १९५६ को पारित फरीदाबाद विकास निगम विधेयक १९५६ को राज्य-सभा ने अपनी १४ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है :

नया खण्ड ३१क

पृष्ठ ७ में, पंक्ति ३६ के पश्चात्--

यह नया खण्ड ३१क रखा जाये, अर्थात् :

Removal of disqualification for membership of Parliament

31A. It is hereby declared that the office of the member of the Corporation shall not disqualify its holder for being chosen as, or for being a member of either House of Parliament.

संसद् की सदस्यता के लिये अनर्हता का दूर करना

[३१क. यह घोषित किया जाता है कि निगम की सदस्यता के पद पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को संसद् की किसी भी सभा की सदस्यता के चुनाव के लिये अनर्हत नहीं माना जायेगा ।]

उक्त विधेयक के इस संशोधन के प्रति लोक-सभा की सहमति राज्य-सभा द्वारा मांगी गई है ।

फ़रीदाबाद विकास निगम विधेयक

†**सचिव :** मैं फरीदाबाद विकास निगम विधेयक, १९५६ की एक प्रति, राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सूचना प्रश्न

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : सूचना और प्रसारण मंत्री राजनीतिक दलों के लिये आकाशवाणी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य कब देंगे ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : उन्होंने अगले दो या तीन दिनों में वक्तव्य देने का वचन दिया था ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : वक्तव्य लगभग तैयार हो चुका है । मेरा इस वक्तव्य को कल देने का विचार है ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा पुनर्वास मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों और साथ ही शेष मांगों पर विचार करेगी ।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : पहले की चर्चा से हमने कुछ समय बचा भी लिया है।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं सदस्यों के बोलने के बाद ही कुछ कहूंगा।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : क्या आज और कोई भी अनुपूरक मांगों पर चर्चा नहीं होगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो माननीय मंत्री को उसका उत्तर देना ही पड़ेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम्) : इसका अर्थ है कि हम अन्य अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि समय बचा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : कार्य-मंत्रणा समिति में हम इसके लिये एक घण्टा देने पर सहमत हो गये थे।

वर्ष १९५६-१९५७ के लिये, निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
९२	पुनर्वास मंत्रालय	६,१७,०००
९३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	४४,२७,०००
९४	पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	६,०००
२३	वैदेशिक-कार्य	७९,३२,०००
३३	लेखा परीक्षा	१६,५०,०००
३५	टकसाल ...	१,१५,००,०००
४०	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२,००,०००
४१	विभाजन-पूर्व के भुगतान	७,७६,०००
४४	कृषि	१,०००
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	७५,०००
६७	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	३,४५,०००
७७	विधि-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	६१,०००
१०२	सम्भरित वस्तुयें	१३,८७,०००
१०९	लोक-सभा	१,०००
१२१	चल-मुद्रा और टंकण पर पूंजी व्यय	१,३४,३३,०००
१२९	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	४,१९,०१,०००
१४०	पत्तनों पर पूंजी व्यय ...	८५,००,०००
१४१	सड़कों पर पूंजी व्यय	२,५०,००,०००

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** आज से छः महीने पहिले हमने पुनर्वास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों के लिये मांगों पर इस सभा में विचार किया था। उस समय से लेकर आज तक मंत्रालय द्वारा जो कुछ किया गया है, उसे देखते हुए मैं बहुत असन्तुष्ट हूं। आज भी पश्चिम में ग़रीब लोगों के पुनर्वास के लिये इस दृष्टि से कुछ नहीं किया गया है कि उन्हें न तो रहने के लिये कोई आश्रय दिया गया है और न ही उनके नियोजन के सम्बन्ध में कुछ किया गया है।

हमें आंकड़े दिये जाते हैं; वचन दिये जाते हैं; हमें बताया जाता है कि कई सलाहकार और सचिव नियुक्त किये गये हैं। परन्तु यदि आप विभिन्न क्षेत्रों में शरणार्थियों से मिलें तो देखेंगे कि स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है।

मैं सचिवालय के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहती हूं। पुनर्वास मंत्रालय के पास निधियों की कमी नहीं है। किन्तु हम देखते हैं कि किसी योजना की मंजूरी में कितना अधिक समय लगता है। केन्द्रीय सरकार से पूछा जाय तो वह महती है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देती है। तथा उनका कहना होता है कि उपयुक्त अभिकरण पश्चिमी बंगाल सरकार है। यदि हम पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछते हैं तो वे कहते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है।

इसलिये मैं यह अनुभव करती हूं कि चाहे राज्य सरकार स्तर पर या केन्द्र स्तर पर हमें इस निदेशालय का साज-संवार करना होगा। लोग सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं। मैं कहती हूं आकलैण्ड भवन सचिवालय में भ्रष्टाचार से शरणार्थी सब से अधिक दुखी हैं।

मैं एक या दो उदाहरण बताती हूं। तीन वर्ष हुए सरकार द्वारा बालीगंज मैदान शिविर से बासद्रोनी नई बस्ती में लोगों को भेजा गया था। विकास समितियां स्थापित की गई हैं। हमें आज तीन वर्ष बाद बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल के विकास भाग के निर्माण-बोर्ड के मुख्य इंजीनियर ने लगभग २·१५ लाख रुपये का एक प्राक्कलन भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय की मंजूरी के लिये मार्च १९५६ में भेजा था। अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला है और अभी तक मंत्रालय इस पर विचार ही कर रहा है।

उद्योगों का मामला लीजिये। हुगली ज़िले में स्थापित किये जाने वाले कारख़ानों के सम्बन्ध में हमें एक प्रश्न के उत्तर में सूचना दी गई थी। यद्यपि डेढ़ वर्ष बीत चुका है तथापि अभी तक हम एक भी कारख़ाना नहीं देख रहे हैं। रिशरा की लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स में केवल १·२ लाख रुपये ख़र्च किये गये हैं और केवल ५० विस्थापितों को नियोजित किया गया है। फिर रिशरा के जे० के० इस्पात कारख़ाने को लीजिये; केवल ४३ बीघे भूमि अर्जित की गई है। शीशा फूकने वाले कारख़ाने के सम्बन्ध में उन्हें योजनायें ही मालूम नहीं हैं। लोहे तथा इस्पात के कारख़ाने का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

माश्यामग्राम की नवजीवन बस्ती में क्षेप्य रेशम कातने के एक केन्द्र को ८,००० रुपये की राशि दी गई थी ताकि ५० स्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाये। श्री मेहर चन्द खन्ना उस क्षेत्र में गये थे और उन्होंने वचन दिया था कि प्रशिक्षण केन्द्र एक वर्ष के लिये और रहेगा और उनका सुझाव था कि वहां एक उत्पादन केन्द्र भी होना चाहिये। छः महीने बीत गये हैं और इन निर्धन विधवाओं के लिये कुछ नहीं किया गया है। अभी तक उनके लिये निधियों की मंजूरी नहीं दी गई है। उन्हें मालूम नहीं कि उत्पादन केन्द्र या प्रशिक्षण केन्द्र की मंजूरी कब दी जायेगी।

किसी सचिवालय के विस्तार के लिये कितनी ही राशि दी जाय मुझे कोई आपत्ति न होगी, परन्तु जब हम देखते हैं कि स्थिति सुधर नहीं रही है और विभागों में आपस में निरन्तर संघर्ष है तो हमें कोई भी मंजूरी नहीं देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अब मैं भूमि के प्रश्न पर आती हूं अनुदान की मांग के सम्बन्ध में कहा गया है कि भूमि के अभाव के कारण विस्थापित व्यक्तियों को शिविरों से पुनर्वास के स्थानों पर भेजने में प्रगति धीमी रही है। भूमि का अभाव तो पहिले भी रहा है। इसका क़ारण भूमि का अभाव नहीं बल्कि सरकार की ग़लत नीतियां हैं ।

हम मानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से अधिक संख्या में विस्थापित व्यक्ति भारत आये हैं। किन्तु मैं चाहती हूं कि वे ठोस कार्यवाहियों का सुझाव दें। पिछले तीन वर्षों से ११,००० शरणार्थी बोगजोला-हारोआ क्षेत्र में तम्बुओं में रह रहे हैं। वहां पर किसानों की भूमि अर्जित की गई है। मंत्री महोदय ने पहिले तो भूमि वापिस करने से बिल्कुल इन्कार किया था। फिर बाद में कहा था कि केवल ६ बीघे भूमि दी जायेगी क्योंकि शरणार्थियों को भी इससे अधिक भूमि नहीं दी जा रही है। लोग शताब्दियों से उस भूमि पर रह रहे थे। क्या आप ६ बीघे भूमि देकर उन्हें भिखारी बनाना चाहते हैं।

मेरे विचार में आम चुनावों को विचाराधीन रखते हुए, इस समय भूमि अर्जन की इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आप कहते हैं कि भूमि नहीं है लेकिन जब मैं धापा मानपुर से लेकर टौलीगंज क्षेत्र तक हज़ारों एकड़ अर्जित की जा रही भूमि के सम्बन्ध में कुछ पूछती हूं तो आपके पास इसका उत्तर नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उस भूमि के किसी भाग के लिये कोई मांग नहीं की है।

मैं पूछना चाहती हूं कि पुनर्वास मंत्रालय ने इस भूमि के लिये क्यों मांग नहीं की है। हम ढाई वर्ष से इस भूमि को लेने की बात कह रहे हैं। मैं इस प्रश्न का स्पष्ट और सीधा उत्तर चाहती हूं। यदि हमने देखा कि पुनर्वास मंत्रालय स्थानीय किसानों को फिर शरणार्थी बनाने पर तुली हुई है तो हम इसका विरोध करेंगे ।

यही कारण है कि मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार किसानों की भूमि के अर्जन की नीति पर जमी रहेगी और उस भूमि का अधिकतर भाग अपने अधिकार में नहीं लेगी जो अब नमक बनाने की योजना के लिये है और जो अच्छी भूमि है और जिस पर शरणार्थी स्वयं अपने प्रयत्न से बसने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री म० कु० मैत्र :** मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ३४ तथा ३५ हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो प्रश्न पूछा है, मेरा भी वही प्रश्न है कि क्या पुनर्वास मंत्रालय से जिस योग्यता तथा कार्यदक्षता की आशा थी, वह उसमें पूरा उतरा है ।

आजकल तीन लाख शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। उनके सम्बन्ध में पुनर्वास मंत्रालय का निर्णय यह है कि प्रत्येक परिवार को १२ रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिये जाते हैं। जिन परिवारों में पांच सदस्य हैं, उन्हें भी ६० रुपये मिलते हैं और जिसमें सात, आठ या दस सदस्य हैं उन्हें भी ६० रुपये से सन्तुष्ट होना होगा ।

मंत्रालय का कहना है कि वह इस लिये भूमि नहीं दे सकता कि पश्चिमी बंगाल में भूमि की कमी है। वे कृषि-भूमि तो नहीं दे सकते परन्तु घर बनाने के लिये भूमि दे सकते हैं और उनके निकट वे फ़रीदाबाद निगम जैसे निगमों की स्थापना करके दरम्याने पैमाने के उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं। परन्तु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है ।

धीरे-धीरे यह भावना ज़ोर पकड़ती जा रही है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये बहुत कम कार्य किया गया है.....

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पूर्वी पाकिस्तान से ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : और पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये उससे भी कम कार्य किया गया है । हाल में पुनर्वास मंत्रालय ने एक मंत्रणा समिति गठित की है । इसमें उन शरणार्थी संस्थाओं का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया जो कांग्रेस द्वारा पुरस्कृत नहीं हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आप किस मंत्रणा समिति का निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री म० कु० मैत्र** : जो श्री अरबिन्द बोस द्वारा स्थापित की गई है, जिसके वह सदस्य भी हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : श्री अरबिन्द बोस कौन हैं ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : नेताजी के भतीजे ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की, जिसके वह सदस्य हैं । क्या वह केन्द्रीय समिति की ओर निर्देश कर रहे हैं या राज्य समिति की ओर ?

†**श्री म० कु० मैत्र** : राज्य समिति की ओर, क्योंकि राज्य आपका अभिकरण है । बाबूघाट, हावड़ा और सियालदेह के स्टेशनों के प्लैटफ़ार्मों पर आजकल शरणार्थी भटक रहे हैं क्योंकि सरकार यह कहती है कि जब उन्हें राज्य से बाहर भेजा जाता है तो वे वापिस आ जाते हैं ।

वे इसलिये वापिस आते हैं कि राज्य से बाहिर का वातावरण और परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं । क्या सरकार केवल इस आधार पर उनके पुनर्वास का प्रबन्ध नहीं करेगी कि वे पश्चिमी बंगाल के बाहिर से वापिस आ गये हैं या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस नीति के अनुसार उन्हें राज्य से बाहिर भेजा गया था, वह ग़लत सिद्ध हुई है और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है ? सरकार ने इस बात का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम शरणार्थी वापिस आ गये हैं । अब तक उनमें से बहुत से व्यक्तियों की सम्पत्ति और मकान उन्हें वापिस नहीं किये गये हैं । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री म० कु० मैत्र द्वारा निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
९२	सियालदेह स्टेशन पर शरणार्थियों की असन्तोषजनक दशा और इस का समाधान करने में पदाधिकारियों तथा कर्मचारीवर्ग की असफलता	१००
९३	शिविरों से पुनर्वास-स्थानों तक विसर्जन के सम्बन्ध में असन्तोषजनक प्रक्रिया	१००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : श्रीमान ४४,२७,००० रुपये की इतनी बड़ी राशि की मांग का आधार यह बताया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और इनके लिये नये शिविर खोले जाने हैं । मैं वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं । हमें बताया गया था कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का एक पत्र भारतीय प्रधान मंत्री के नाम आया है । क्या उसी का यह

†मूल अंग्रेजी में ।

परिणाम है ? हम श्री सुहरावर्दी को श्री खन्ना और अन्य मंत्रियों से अधिक अच्छी तरह जानते हैं। क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की हाल ही की ढाका यात्रा और विस्थापितों के भारी संख्या में भारत आने के बीच कोई आकस्मिक सम्बन्ध है ? पाकिस्तान के विदेश मंत्री, तथा प्रधान मंत्री के आक्रमणात्मक भाषणों का क्या यह परिणाम है ? मुझे बताया गया है कि आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ कर ३५,००० प्रति मास तक पहुंच गई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है कि जिससे हाल ही की बाढ़ से पीड़ित शरणार्थियों की कोई सहायता की जा सके ? मैंने हुगली तथा नादियाड जिले में स्थिति को देखा है। मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय ने बालागढ़ तथा नादिया ज़िले में स्वयं स्थिति की जांच की है। इन क्षेत्रों में हज़ारों शरणार्थियों को बसाया गया था, परन्तु बाढ़ के कारण वे फिर विस्थापित हो गये हैं। मुझे आशा है कि इनके लिये कुछ किया जायेगा। मैं वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं, अन्तिम आंकड़ें क्या हैं और मंत्री महोदय शिविरों में रहने वाली जनसंख्या की समस्या का समाधान किस प्रकार करने का विचार रखते हैं ? पिछले ८ महीनों में प्रतिमास ३०,००० से अधिक व्यक्ति शिविरों में जमा हो रहे हैं। सियालदेह के स्टेशन के प्लैटफ़ार्म पर जो स्थिति है वह किसी भी प्रशासन के नाम पर काला धब्बा है। वहां स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से कुछ किया जाना चाहिये। इस कार्य में प्रगति के धीमा होने का एक कारण भूमि की कमी बताया गया है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने इस समस्या की विस्तारपूर्वक चर्चा की है। कई बार पुनर्वास मंत्रियों द्वारा संविधान में प्रतिकर खण्ड के कारण उत्पन्न प्रविधिक कठिनाई की शिकायत की जा चुकी है। अब आप संविधान में संशोधन कर चुके हैं। फिर अब क्या कठिनाई है ? इससे पुनर्वास की गति कहां तक तेज़ हुई है। मुझे आशा है कि हमें विश्वास दिलाने के लिये इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य तथा आंकड़े बतायेंगे कि सरकार अपनी ओर से लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है ताकि पहिले जो २१ करोड़ और ४२ लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं, उसके अतिरिक्त अब जो ४४ लाख रुपये मांगे जा रहे हैं वह न्यायसंगत सिद्ध हो सके।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बातयें कि पुनर्वास के मामले में ठोस काम इतना कम क्यों हुआ है। हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि जो कुछ सम्भव है, किया जायेगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनर्वास के मामले में कितनी निर्दयता बरती जाती है। जुलाई के मध्य में मुझे सियालदह स्टेशन पर जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां देखा कि पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थी वहां पड़े थे, जिनमें बच्चे और स्त्रियां भी थीं। बच्चे बिल्कुल हड्डियों के ढांचे थे और स्त्रियां नल से निकलने वाली पानी की धार के लिये भीड़ लगा रहीं थीं, ताकि पीने के लिये थोड़ा-सा पानी, प्राप्त कर सकें। लोग आकाश के नीचे ऐसी सब्जियां पकाने का प्रयत्न कर रहे थे, जो साधारणतया नहीं खाई जातीं। बच्चे निर्जीव से पड़े थे। मैंने वहीं स्टेशन से ही, श्री खन्ना को एक पत्र लिखा, जिसका उत्तर मुझे कुछ देर बाद प्राप्त हुआ। और जिसमें मुझ से कहा गया था कि पश्चिमी बंगाल सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी। किन्तु सितम्बर में भी, सियालदह स्टेशन पर वही हालत देखी। जब नवम्बर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन शुरू होना था, तब इन लोगों को वहां से हटाया गया। हावड़ा और बाबूघाट स्टेशन से भी शरणार्थियों को हटाया गया। ३ दिसम्बर के कलकत्ता **स्टैट्समैन** ने लिखा कि इन में से लगभग २,००० व्यक्तियों को टालीगंज के एक बेकार पड़े स्टूडियोमें भेजा गया है। यह स्थान रहने के बिल्कुल योग्य नहीं था, वहां पानी भी नहीं था और पेचिस और हैज़े का ज़ोर का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में ३० व्यक्ति मर गये, जिनमें बच्चे भी थे। श्री खन्ना के विभाग का काम करने का तरीका यही है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

बताया जाता है कि बहुत से शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल से बाहर भेजा जा सकता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिहार १२,००० एकड़ भूमि दे सकता है और सारे भारत में ३,००,००० एकड़ उपलब्ध हैं। श्री खन्ना ने बताया है कि मध्य प्रदेश में ३०,००० एकड़ भूमि उपलब्ध है किन्तु यह बनों में है और वहां पहुंचने के लिये नदियों पर पुलें बनानी पड़ेगी। उड़ीसा में भी शरणार्थियों ने बसने की कोशिश की थी किन्तु उन्हें वहां से जाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अस्थायी समझा जाता था।

श्रीमती चक्रवर्ती ने कलकत्ता के विकास और सालटलेक कृष्यकरणी योजना का उल्लेख किया है। श्री खन्ना ने इस भूमि को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पश्चिमी बंगाल के बाहर जो भूमि मिलती है, वह ऐसी नहीं है, जहां शरणार्थी बस सकें। इसलिये शरणार्थी बिना किसी सहारे के पड़े हैं। श्री मैत्र के कटौती प्रस्ताव का सदन को समर्थन करना चाहिये।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं प्रतिकर विभाग के काम का उल्लेख करना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इस प्रतिकर का सम्बन्ध किसी मांग से है ?

†**श्री गिडवानी** : प्रतिकर के लिये राशि की व्यवस्था की गई है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह उस अर्जित भूमि के लिये प्रतिकर है, जो मकान बनाने के लिये ली गई है। उन लोगों को प्रतिकर दिया जा रहा है। इसका प्रतिकर विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : माननीय मंत्री ने और अनुदान की मांग की है और इसका कारण यह बताया है कि शरणार्थियों को कैम्पों से पुनर्वास के स्थानों पर भेजने के काम में कम प्रगति हुई है। मैं कह सकता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय, चाहे वह केन्द्र का हो या पश्चिमी बंगाल का, अपना काम करने में बिल्कुल असफल रहा है। माननीय मंत्री और उनके विभाग का रवैया आत्म-संतोष का है और वे इस समस्या के प्रति बिल्कुल उदासीन हैं। उन्हें बताना चाहिये कि इस मन्द प्रगति के कारण क्या हैं। मैं समझता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय केवल अपने कर्मचारियों और अपने दल के सदस्यों और मित्रों का पुनर्वास करना चाहता है।

श्री चटर्जी ने कहा है कि शरणार्थियों की सहायता करने और उनके पुनर्वास-सम्बन्धी स्थिति को विकसित बनाने के लिये संविधान में संशोधन किया गया है। किन्तु टालीगंज और सोनपुर की बस्तियों को, जिनमें हज़ारों शरणार्थी रहते हैं अब तक नियमित नहीं किया गया है सरकार इस विषय में कार्यवाही करना ही नहीं चाहती।

कलकत्ता में शरणार्थियों के लिये बड़े-बड़े मकान बनाये गये हैं, किन्तु अभी तक वहां एक भी शरणार्थी नहीं भेजा गया। कारण यह बताया जाता है कि उनमें पानी नहीं है और सफ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। यदि कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सकता, तो इस मंत्रालय को जारी रखने का लाभ ही क्या है ?

यदि मंत्री महोदय वास्तव में पुनर्वास के काम के लिये उत्सुक हैं, तो उन्हें शरणार्थी संगठनों की सहायता के लिये आगे आना चाहिये और यदि वह यह सिद्ध कर सके कि पुनर्वास के काम में विलम्ब अनिवार्य था, तब उन्हें और अनुदान के लिये प्रार्थना करनी चाहिये।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : उपाध्यक्ष जी, सब समय तो बंगाल वालों ने ले लिया है। हमारे यहां भी तो सताइस हज़ार शरणार्थी आये हुए हैं, इसलिये मुझे भी समय दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, अभी तो मैंने एक और बंगाल वाले साहब को बुलाया है। श्री बी० के० दास।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : मुझे भी चांस मिलना चाहिये ।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : १-१-१९५५ से ३१-३-१९५६ तक की अवधि में, अर्थात १५ महीनों में कैम्पों से केवल १४,४०० विस्थापित व्यक्तियों को हटाया गया । मैं समझता हूं कि यह प्रगति बहुत कम है । कुछ समय पूर्व हमें बताया गया था कि पश्चिमी बंगाल के बाहर ४०,००० एकड़ भूमि पुनर्वास के लिये चुनी गई है किन्तु अभी तक मालूम नहीं हुआ कि इन स्थानों पर शरणार्थियों को क्यों नहीं भेजा गया । यदि उन्हें इन स्थानों पर भेजना है, तो उन्हें शरणार्थियों के रहने के योग्य बनाना पड़ेगा । हमें बताया जाना चाहिये कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है । मालूम होता है कि इस मामले में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार और उन विभिन्न विभागों में जिनका इन योजनाओं से सम्बन्ध है, उचित समन्वय नहीं है । मेरा निर्देश विशेषकर वित्त मंत्रालय की ओर है, क्योंकि योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले उन्हें वित्त-विभाग द्वारा अनुमोदित कराना पड़ता है । मैं पुनर्वास मंत्री और वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे वित्तीय जांच को विलम्ब या बाधा का कारण न बनने दें ।

इस वर्ष के लिये ४४ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गई है । संभवतः यह आवश्यक है, किन्तु यदि शरणार्थियों का कैम्पों में बहुत समय तक रहना अनिवार्य है, तो कैम्पों का पुनर्गठन करना चाहिये और उन्हें अधिक अच्छे आधार पर स्थापित करना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो सके, वे इन कैम्पों में शरणार्थियों को काम दिलाने का प्रयत्न करें ।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, इधर तीन-चार महीनों में हमारे शहर बेतिया में २७,००० रिफ्यूजीज़ आ चुके हैं । शहर की कुल आबादी ३० या ३२ हजार है । आप सोच सकते हैं कि ऐसे शहर में २७,००० रिफ्यूजीज़ को बसा देना कहां तक ठीक है । वहां रिफ्यूजीज़ के एक परिवार को चाहे वह पांच आदिमियों का हो या सात आदमियों का ५० रुपया मिलता है । बरसात के दिनों में जब हमारे यहां जूट की खेती होती थी तो ये लोग जूट की पत्तियां काट-काट कर खाते थे और अब दूसरे पेड़ों की पत्तियां काट काट कर खाते हैं और चारों तरफ भीख मांगते फिरते हैं । सरकार ने इन रिफ्यूजीज़ को बिहार के किसी और जिले में न बसा कर चम्पारन में बसाया है जो कि एक गरीब जिला है और उस जिले के एक ही शहर में २७,००० रिफ्यूजीज़ को बसा दिया गया है । मैं चाहता हूं कि उनको वहां से जल्दी से जल्दी हटा कर किसी दूसरी जगह बसाया जाये । उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है लेकिन वहां उनके खाने-पीने का कोई प्रबन्ध नहीं है । चम्पारन स्वयं एक बाढ़-पीड़ित जिला है और वहां हर साल लोगों को बाढ़ से बहुत तकलीफ होती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन रिफ्यूजीज़ को अभी किसी दूसरी जगह बसा दे क्योंकि अभी सहूलियत का समय है । सुना है कि इनको खेती पर बसाया जायेगा । अगर ऐसा है तो बिहार में जहा बड़े-बड़े जमींदार या किसान हैं उन जगहों पर इनको अभी से बसा दिया जाये । ऐसा न होने से उनको बरसात के समय बड़ा कष्ट होगा ।

बहुत से रिफ्यूजीज़ को बगीचों में बसाया गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि आसपास के गरीब किसान जो कि इन बागों से लकड़ी लेकर अपनी गुजर करते थे, उनको लकड़ी नहीं मिल पाती । गरमी के दिनों में इन बागों में जो फल लगते थे उनको आसपास के गरीब किसान खाकर अपना गुजारा करते थे । अब इन बागों में ये लोग घुस नहीं पाते । इन रिफ्यूजीज़ के कारण इन गरीब लोगों को कष्ट हो रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन रिफ्यूजीज़ को जल्द से जल्द दूसरी जगह बसा दे ।

इन रिफ्यूजीज़ के लिये सरकार को ठीक इन्तिजाम करना चाहिये । उनकी हालत को देखने से पता चलता है कि जो हमारे बंगाल के भाई उनके लिये शोर मचाते हैं वह ठीक ही है । यह जो बजट है उसमें मैं देखता हूं कि यह लिखा गया है·····

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : क्या यह कहना ठीक है कि बिना किसी उद्देश्य के गड़बड़ पैदा की जा रही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ऐसा नहीं कहा । माननीय सदस्य ने समझा नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं चटर्जी साहब से आग्रह करूंगा कि वह थोड़ी हिन्दी पढ़ें ।

उपाध्यक्ष महोदय एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है । लेकिन आप बजट के १२२ पेज पर देख सकते हैं कि स्पेशल सेक्रेटरी की तनख्वाह ४,००० रुपया और अंडर सेक्रेटरी की तनख्वाह ८०० से १,१०० तक दी हुई है । सरकार के पास इन रिफ्यूजीज़ को बसाने के लिये रुपया नहीं है लेकिन वह सेक्रेटरी पर चार हजार खर्च करती है । मैं नहीं समझ सकता कि यह कौन-सा गांधीवादी तरीका है । गांधी जी किस तरह से रहते थे । उन्होंने हम को क्या बतलाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा कि आज सेक्रेटरी की तनख्वाह को घटाने बढ़ाने का सवाल नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : वह तो इसी में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो है । लेकिन जब बाकी सेक्रेटरी एक तनख्वाह ले रहे हैं तो एक सेक्रेटरी कैसे कम ले सकता है ।

श्री विभूति मिश्र : यह डिमांड नम्बर ९२ और ९३ में दिया हुआ है । कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है । लेकिन आप सेक्रेटरियों को इतनी तनख्वाह कहां से देते हैं । मैं चाहता हूं कि इनकी तनख्वाह कम होनी चाहिये । जो रिफ्यूजीज़ का काम करने वाले हों वे नानआफिशियल होने चाहिये जो कि कम पैसा लें ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह सुनने में आ रहा है कि वेतिया स्टेट में जो फार्म है उसकी जमीन रिफ्यूजीज़ को दी जायेगी । इस फार्म पर भूमिहीन मजदूर जो कि आस-पास रहते हैं आकर काम करते हैं और वरसों से काम करते हैं । अगर यह जमीन किसी को दी जानी चाहिये तो इन मजदूरों को दी जानी चाहिये । अगर यह जमीन रिफ्यूजीज़ को दी जायेगी तो आप इन भूमिहीन मजदूरों को रिफ्यूजी बना देंगे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रहेगा । मैं नहीं समझता कि क्यों बाहर से रिफ्यूजीज़ को बुलाकर जो यहां के लोग हैं उनको रिफ्यूजी बनाया जाये ।

हमारे माननीय मिनिस्टर साहब वहां गये थे । उनको चाहिये था कि जो उस इलाके के एम० एल० ए० और एम० पी० हैं उनको बुलाते और उनसे पूछते कि यहां रिफ्यूजीज़ के बारे में तुमको क्या कहना है । पर ऐसा नहीं हुआ । वह हवाई जहाज से गये और हवाई जहाज से वापस आ गये । वहां के किसी मेम्बर को बुलाकर नहीं पूछा कि तुमको रिफ्यूजीज़ के बारे में क्या कहना है । मैं आज से नहीं एक जमाने से कांग्रेस का काम करता आ रहा हूं । हम लोगों से वहां के बारे में जरूर पूछा जाना चाहिये था ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि हमारी इन रिफ्यूजीज़ के साथ पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं चाहता हूं कि इनको बिहार के किसी दूसरे हिस्से में बसाया जाये । उनको केवल चम्पारन में ही क्यों बसाया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं इस आरोप को ठीक नहीं समझता कि पुनर्वास मंत्रालय पुनर्वास के मामले में पक्षपात से काम लेता है। किन्तु मैं यह अवश्य समझता हूं कि नये पदों के लिये मंत्रालय की मांग न्यायोचित है । उदाहरणतया पदाधिकारियों के वेतन के लिये १,२३,००० रुपये की मांग की गई है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

भत्ते और मानदेय की राशि इससे भी अधिक है, जो अत्यन्त आश्चर्यजनक है। फिर मंत्रालय के स्थानांतरण के लिये २,१५,००० रुपये खर्च किये जाने हैं। क्या ऐसी बातों के लिये इतनी राशि खर्च करना उचित है? मेरे विचार में पदाधिकारियों के वेतन, स्थापना-व्यय और भत्तों और मानदेयों का अनुपात निश्चित होना चाहिये।

इस समय पश्चिमी बंगाल में २·८ लाख व्यक्ति कैम्पों में रह रहे हैं। केवल इसी एक बात से पुनर्वास मंत्रालय की कार्य-क्षमता सिद्ध हो जाती है। मेरा सुझाव है कि इन्हें कैम्पों से हटाने का काम पुनर्वास मंत्रालय से लेकर प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंप देना चाहिये, क्योंकि प्रतिरक्षा मंत्रालय ऐसे कामों को अधिक अच्छी तरह कर सकता है।

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय संसद्-कार्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान् आपकी अनुमति से मैं आज के लिये कार्य की पुनर्वर्द्धित सूची में कुछ मामूली परिवर्तन की घोषणा कर रहा हूं। लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन प्रबन्ध तथा निर्वाचन याचिकायें) नियम, १९५६ के सम्बन्ध में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव (सूची का मद संख्या ९) जिस पर आज चर्चा समाप्त हो जाने की आशा है, पर चर्चा के पश्चात् मद संख्या १३, अर्थात् केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्ति प्रत्यायोजन) विधेयक पर विचार आरम्भ किया जायेगा। उसके पश्चात् संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव है। यह कल तक ही संभव है। चूंकि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक महत्वपूर्ण है अतः इस पर कल ढाई बजे विचार एवं पारण सम्बन्धी कार्यवाही होगी। तदन्तर राज्यक्षेत्रीय परिषद् विधेयक की बारी है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यदि कल ढाई बजे कुछ काम बाकी रह गया तो हम उसे बीच में छोड़कर इस विधेयक को लेने का प्रयत्न करेंगे।

†**एक माननीय सदस्य** : इसके लिये कितना समय नियत किया गया है?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक कल १२ बज कर ३० मिनिट पर है।

मैं यह भी घोषित कर दूं कि भारतीय रूई की न्यूनतम और अधिकतम कीमत सम्बन्धी श्री कामत के प्रस्ताव पर कल ६ बजे चर्चा होगी।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** (खम्मम्) : उच्च शक्ति आयोग सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव के लिये कौन-सा समय नियत किया गया है। मेरी प्रार्थना थी कि इस पर शीघ्र विचार किया जाये।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : कार्य-मंत्रणा समिति में इस विषय पर चर्चा की जा सकती है।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : इसके लिये समय भी नियत कर दिया गया है, अब तो केवल प्राथमिकता देने का प्रश्न है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री त० ब० विठ्ठल राव अपने कटौती प्रस्ताव पर भाषण देंगे।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा—पश्चिम) : मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बाद में पूछिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं मांग संख्या १४१ के कटौती प्रस्ताव संख्या ६४ के बारे में बोल रहा हूं। यह कुरनूल में तुंगभद्रा नदी पर शीघ्र पुल बनवाने से सम्बन्धित है। हिंगाली-खण्डवा रेल कड़ी १९५९ में पूरी हो जायेगी। इसके परिणामस्वरूप सिकन्दराबाद से द्रोणाचलम रेल-मार्ग पर अधिक भार पड़ेगा और सामान के आने-जाने में गत्यावरोध पैदा होगा। प्रत्येक स्तर पर गत्यावरोध दूर करने की हमारी विचारधारा को दृष्टिगत करते हुए माननीय मंत्री को कुरनूल के स्थान पर तुंगभद्रा के आर-पार सड़क का पुल शीघ्र बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१४१	श्री त० ब० विट्ठल राव	तुंगभद्रा नदी के पार करनूल में सड़क का पुल बनाने की शीघ्र आवश्यकता ...	१००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री बीरेन दत्त** : मैं माननीय पुनर्वास मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या त्रिपुरा में चकयाघाट कैम्प के बारे में उनकी कोई जानकारी है। इस जंगली क्षेत्र में लगभग २५,००० विस्थापित व्यक्ति रखे गये हैं। उन्हें खैरात नहीं दी गई है। यदि ये व्यक्ति कुछ असन्तोष प्रकट करते हैं तो सुपरिन्टेण्डेण्ट उन्हें पीटता है। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुपरिन्टेण्डेण्ट की ही आज्ञा माननी पड़ती है।

६ सितम्बर को अगरतला में लगभग ६,००० विस्थापित व्यक्तियों की एक सभा में मुख्य आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि उनकी गम्भीर समस्या पर चर्चा करने के लिये वह दिल्ली जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री की मुख्य मंत्री से भेंट हो चुकी है और त्रिपुरा की स्थिति का सामना करने के लिये उन्होंने कोई आश्वासन दिया है।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : पुल के निर्माण की अविलम्बनीयता से सरकार भलीभांति परिचित हैं। इसके लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे और टेंडरदाताओं से बातचीत हुई थी। १८,८५,००० रुपयों का सबसे कम कीमत वाला टेंडर मंजूर करने का निर्णय कर लिया गया है। सामान्य कार्यवाही के अनुसार राज्य सरकार इस टेंडरदाता को यह काम सौंप देगी और मुझे आशा है कि काम शुरू हो जायेगा।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पुनर्वास मंत्रालय में सदस्यों द्वारा गहन रूचि प्रदर्शित करने के लिये मैं उनका आभारी हूं। कुछ आलोचना को छोड़कर मैं यह बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन किये हैं। यह कथन सर्वथा नवीन नहीं है कि पुनर्वास मंत्रालय के कार्य को निर्णय करते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

सर्वप्रथम पूर्वी पाकिस्तान से वृहद् संख्या में हिन्दुओं का आगमन है। इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उस दिन मैंने राज्य सभा में बताया था कि पिछले आठ महीनों में यह संख्या ३५,००० प्रति मास तक पहुंच गई है। पूर्वी प्रदेश में अब तक ४० लाख विस्थापित व्यक्ति आ चुके हैं। बंगाल में ३० लाख से अधिक व्यक्ति आये हैं। त्रिपुरा में पांच लाख विस्थापित व्यक्ति हैं जबकि वहां की पचास प्रतिशत जनसंख्या पहले से ही विस्थापित है। राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या केवल सात या आठ लाख है और इसमें से पांच लाख से अधिक व्यक्ति विस्थापित हैं। आसाम की सूरमा घाटी में और पांच लाख विस्थापित व्यक्ति

†मूल अंग्रेजी में।

हैं। मैंने स्वयं वहां की स्थिति देखी है। बंगाल में लगभग दो वर्षों तक रहने पर मुझे यह अनुभव हो गया है कि इन सब राज्यों में—बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है और अब इन राज्यों में अधिक विस्थापित व्यक्ति नहीं समा सकते हैं।

पूर्वी प्रदेश में कोई स्थान रिक्त नहीं बचा है। प्रारम्भिक स्थिति में थोड़ी-बहुत गुंजायश थी। नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन, पाकिस्तान जाने वाला प्रत्येक भारतीय राष्ट्रजन प्रायः वापस लौट आया। पाकिस्तान में थोड़े-से ही व्यक्ति रुके हैं। इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत से कुछ व्यक्ति पाकिस्तान गये किन्तु वे सब व्यक्ति पुनः लौट आये। मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान में कम व्यक्ति ही रुके हैं।

विपक्षी सदस्य मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति फाजिल्का और अमृतसर से दक्षिण में हैदराबाद और मैसूर जाने के लिये प्रस्तुत रहते हैं; पश्चिम में बम्बई जाने के लिये तैयार हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी उनको आपत्ति नहीं है—जबकि बंगाली बंधु बंगाल, अथवा आसाम या त्रिपुरा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। आप इसे भावना, परम्परा अथवा संस्कृति की संज्ञा दे सकते हैं परन्तु वह बंगाल, आसाम या त्रिपुरा में ही चिपके रहना चाहता है। वह बंगाली भाषी क्षेत्र में ही रहना चाहता है। जब हम इस बात को अनुभव करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि अब वहां और विस्थापित व्यक्ति नहीं खप सकते हैं। समस्या का निदान करने के लिये दो बातों का आधार माना गया—पूर्वी प्रदेश से बाहर उनके लिये भूमि ढूंढना और उद्योगों की स्थापना करना।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है अकेले बंगाल में हमने अभी तक १८ बड़ी-बड़ी योजनायें स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं पर १ करोड़ ९२ लाख रुपये खर्च होंगे। ये आंकड़े जून, १९५६ के अन्त की अवधि से सम्बन्धित हैं। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप ८,६०० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। गृह-उद्योग योजनायें और उत्पादन केन्द्रों के अन्तर्गत इसी अवधि में २० योजनायें स्वीकृत हुईं जिन पर ८,७१,००० रुपये खर्च हुए। केवल इतना ही नहीं किया गया। हमने अनेक प्रशिक्षण योजनाओं की रूपरेखा बनाई और इनमें से ५९ योजनायें मंजूर की गईं। मैं एक जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५६ तक केवल छः माह की अवधि का ही चर्चा कर रहा हूं। मैं छः माही पुनर्विलोकन से उद्धृत कर रहा हूं। यह संसद् सदस्यों को वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक छः माह के पश्चात् इस प्रकार की पुस्तिका जारी की जा रही है जिसमें किये गये कार्यों और समस्याओं को हल करने के लिये जो कुछ किया गया है उनकी चर्चा रहती है। ५९ योजनायें मंजूर की गई हैं। जिन पर ३७ लाख रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं की क्रियान्विति पर लगभग ६,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार मिलेगा।

जहां तक विकास योजनाओं का सम्बन्ध है हमने ५८,९७,००० रूपये के व्यय वाली योजनायें स्वीकृत की हैं। मुझे नहीं मालूम कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती किस कोलोनी का निर्देश कर रही थीं लेकिन गयेशपुर, ताहरपुर, लिलूवाह आदि बस्तियों की २४ योजनायें हमने स्वीकृत की हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बस्तियों की कुल कितनी संख्या है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : तनिक धैर्य रखिये। आपने कहा था कि मैंने जो विकास समिति स्थापित की थी, उसने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके प्रतिगहन सम्मान की भावना रखता हूं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस सीमा तक न जायें। वह मुझे सम्बोधन कर कहें।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमने ३९ लाख रुपयों के खर्च वाली २४ विकास योजनायें मंजूर की थीं। उसी प्रकार २२ लाख रुपयों के अतिरिक्त खर्च वाली छः विविध योजनायें भी मंजूर की थीं। अतएव मैं दोषारोपण स्वीकार नहीं कर सकता कि हम ने कुछ काम नहीं किया है और कुछ नहीं कर रहे हैं।

मेरी दो कठिनाइयां हैं। पहिली भूमि के कृष्यकरण की और दूसरी बंगालियों को बंगाल से पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य प्रान्तों में भेजने की। मुझे केवल ऐसी भूमि ही मिल सकती है जिसमें प्रकृष्ट सिंचाई की आवश्यकता है, घने जंगलों को खेती के योग्य बनाना होगा और सड़कें बनानी पड़ेंगी। देश की वह भूमि का वह प्रत्येक इंच जिस पर खेती हो सकती है, उस पर पहिले से ही खेती हो रही है। अतएव मैं अच्छी भूमि की आशा नहीं कर सकता और मुझे जो भूमि मिलती है उसे खेती के योग्य बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सभा को यह जानकारी दे सकता हूं कि हम अपनी भूमि योजनाओं की कार्यान्वित शुरू कर रहे ह। अनेकों कुटुम्बों को बिहार भेज दिया गया है। पिछले महीने ही मैं बेटिया गया था। उन योजनाओं की जिनके अनुसार पूर्वी बंगाल के लोग बसाये गये हैं, देखने के लिये मैं स्वयं नहीं जा सका। मेरे निजी सचिव गये थे और वापस आने पर उन्होंने बताया कि बसाये गये विस्थापित व्यक्ति वहां बहुत सुखी हैं। मुझे बिहार सरकार से जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिये मैं उसका कृतज्ञ हूं।

परन्तु भूमि का कृष्यकरण एक दिन में नहीं हो सकता। इसमें समय लगेगा। मैं अपने विरोधी मित्रों की जानकारी के लिये यह बताता हूं कि हम इन लोगों को मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार भेज रहे हैं और इसी प्रकार की योजनायें आसाम में शुरू की गई हैं; हमने त्रिपुरा में भी अनेकों योजनायें आरम्भ की हैं। लोग पश्चिम बंगाल से बाहर भी गये हैं और जहां तक मुझे मालूम है, वे काफी सुखी हैं। यद्यपि मैंने हर जगह एक छोटा बंगाल बनाने की कोशिश की—मैंने उनके लिये बंगाली शिक्षक, डाक्टर और सामाजिक कार्यकर्त्ता रखे तथापि हर जगह पश्चिम बंगाल न बन सका और कुछ लोग वापस चले आये। मुझे इसका खेद है कि विकसित बस्तियों और क्षेत्रों से लोग वापिस चले गये हैं। फसलें पकी खड़ी थीं और कुछ बंगाली उन्हें किस्तों पर बेचकर ही बस्तियां छोड़कर चले गये। हमने पश्चिम बंगाल के उन शरणार्थियों को लिखे गये कुछ पत्र रास्ते में ही रोक लिये थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ये कौन से क्षेत्र हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं उसी क्षेत्र—सौराष्ट्र—का उल्लेख कर रहा हूं जिसके विषय में माननीय सदस्या ने अल्पसूचना का प्रश्न पूछा था। मैंने कुछ ऐसे पत्रों को मार्ग में पकड़ा है जिनमें पश्चिमी बंगाल के कुछ दलों और व्यक्तियों ने इन व्यक्तियों में क्षोभ उत्पन्न करने और उन्हें वापस बुलाने के लिये लगातार जोर दिया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह तो वही पुरानी कहानी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री का इन पत्रों को मार्ग में पकड़ना उचित था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं यह बताता हूं कि मैंने किस प्रकार इन पत्रों को मार्ग में पकड़ा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ये बातें अनेक बार दुहराई जा चुकी हैं। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : चूंकि आपने एक विशेष बात पूछी है, मैं यह बताता हूं कि किस प्रकार ये पत्र हमें मिले हैं। पश्चिमी बंगाल के कुछ शरणार्थी सौराष्ट्र में बन्टवा में रखे गये थे। उन्हें कलकत्ता से ये पत्र भेजे गये थे। उनमें से कुछ लोग वापस चले गये अतएव ये पत्र हमारे कब्जे में आ गये। हमें इन पत्रों में भेजने वालों के नाम मिले और इनमें इन व्यक्तियों से वापस आने के लिये कहा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री इन पत्रों को सभा-पटल पर यह सिद्ध करने के लिये रखेंगे कि राजनैतिक दलों ने ऐसा किया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वे इन पत्रों को भेजने की ज़िम्मेवारी अपने पर ही क्यों ले रही हैं ? मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम अब इन सामान्य वक्तव्यों के आदी हो गये हैं अतएव हम यह चाहते हैं कि ये पत्र सभा-पटल पर रखे जायें जिससे श्री अजीत प्रसाद जैन और अब श्री मेहर चन्द खन्ना द्वारा बार-बार दिये गये वक्तव्यों की यथार्थता मालूम हो सके ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहिले मंत्री की बातें सुन लीजिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जब कोई मंत्री किसी दस्तावेज का उल्लेख करता है, सभा के नियमों के अनुसार उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि वह उल्लेख करे तो तब आवश्यक नहीं है, हां जब वह उद्धृत किया जाये, तब रखा जाना जाना चाहिये । मुझे यह जांच करनी है कि उसका सभा-पटल पर रखा जाना उचित है अथवा नहीं । यदि उन्हें रखा जाना है तो उन्हें उसकी विषयवस्तु में यह देखना होगा कि क्या वे सभा-पटल पर रखे जा सकते हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार नहीं हूं ।

कलकत्ता में मेरे कार्यालय और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के निवास स्थान के सामने न केवल एक बार, दो बार वरन् अनेक बार प्रदर्शन किये गये हैं । मैं जानता हूं कि इन प्रदर्शनों में किन व्यक्तियों का हाथ था ।

मैं यह कह रहा था कि मैं स्वयं बाबूघाट, सियालदह, और हावड़ा गया था और वहां की भंयकर परिस्थितियां देखी थीं । मैंने अपने भाइयों और बहिनों को अभी कुछ समय पहिले तक सड़कों पर सोते देखा है । कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसे पसंद नहीं करेगा । मैंने उड़ीसा से वापिस आने वाले कुछ शरणार्थियों को रोक कर उन्हें फिर से उड़ीसा वापस भेज दिया था । हमने उन्हें रेलवे किराया दिया और इसके अलावा हमने उन्हें पुनर्वास अनुदानों के रूप में फिर से आर्थिक सहायता दी । ऐसा फिर से हुआ और हमने उन्हें फिर से बसाया । यह तीसरी बार है जब कलकत्ता से लोगों को सौराष्ट्र भेजा गया है । सौराष्ट्र शिविर में उनके लिये सभी व्यवस्था की गई थी । हमने उनके लिये बंगाली सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षक और डाक्टर रखे, पर फिर भी वे भाग कर हावड़ा या स्यालदेह स्टेशनों पर वापस आ गये । ऐसा कब तक चलेगा ?

इसके विपरीत माननीय सदस्या ने मुझसे कहा कि मुझे कृषियोग्य भूमि पर कब्जा कर उन शरणार्थियों को बसाना चाहिये और उन्हें शिविरों में नहीं रखना चाहिये। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को हम शिविरों में नहीं रखते हम उन्हें भूमि पर बसाते हैं । जब हम भूमि लेते ह तो वे कहती हैं कि वहाँ किसान छोटे-छोटे हैं, उनकी भूमि न ली जाये । यदि हम कलकत्ता की

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

बढ़ती हुई आबादी के कारण उसका विकास करना चाहते हैं तो वे कहती हैं कि उसका विकास न किया जाये और वहां की भूमि शरणार्थियों के लिये लेली जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं ऐसा नहीं कहती, यह तो आपका निर्वचन है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसमें निर्वचन की कोई बात ही नहीं है । पिछले सत्र में जब यही प्रश्न पूछा गया था तो मैंने कहा था कि यह कलकत्ता विकास योजना का एक अंग है और अर्जित की जाने वाली भूमि का एक भाग पुनर्वास मंत्रालय को दिया जा रहा है ।

उस समय मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा था कि चूंकि राज्यों में और अधिक व्यक्ति नहीं बसाये जा सकते थे और शिविरों में रहने वाले व्यक्ति पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा से बाहर जाने के लिये तैयार नहीं थे अतएव परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी । यदि मैं इन लोगों को इन राज्यों से बाहर भेजता हूं और उनके वहां से लौटने पर रोक लगा दी जाती है तो इन राज्यों के बाहर की विकास योजना कोई माने नहीं रखती । भूमि का विकास करना बेकार है । पश्चिमी भाग में हमारे पास काफी निष्क्रांत भूमि हैं । और वह निष्क्रांत सम्पत्ति का एक भाग है । परन्तु पूर्वी भाग में निष्क्रांत सम्पत्ति नहीं है । वहां एक भी इंच भूमि नहीं है । यदि हम एक भी इंच भूमि लेना चाहते हैं तो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे । अब एक एकड़ भूमि के लिये हमें ५०० रुपये खर्च करने पड़ते हैं । यह कथन ठीक नहीं है कि हम केवल ६ बीघा भूमि दे रहे हैं, बिहार में हमारी औसत जोत ५ एकड़ है । केवल भूमि की कीमत २५,०० रुपया है, इसके अतिरिक्त हम उन्हें घर बनाने के लिये ऋण देते हैं । इसके बाद हम उन्हें औजारों और पशुओं के लिये भी कर्ज देते हैं । यह सब मिलाकर प्रति कुटुम्ब लगभग ४,००० से ५,००० रुपये तक होता है । इसके बाद भी यदि लोग वापस आ जाये तो क्या किया जाये । मेरे विरोधी मित्र न बहुत ही ऊंची भावनाओं और विचारों से प्रेरित होकर ही मुझे पत्र लिखा था । परन्तु मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का जिसे बंगाल से बाहर उचित रूप से बसाया जाता है, वापस आने पर एक तरह से शाबाश दी जाये तथा उसे स्यालदेह स्टेशन वापस आने पर दुबारा सहायता दी जाये । त्रिपुरा के मेरे विरोधी मित्र ने त्रिपुरा शिविर का उल्लेख किया है । मैं उस शिविर का नाम नहीं जानता । परन्तु हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से लगभग २५,००० व्यक्ति भारत आये हैं और उनके पास नकली तथा जाली प्रमाणपत्र हैं । उनमें से बहुत से व्यक्ति त्रिपुरा गये हैं और कुछ बंगाल आये हैं । अभी तक हमने उन्हें पुनर्वास की सुविधायें देने की जिम्मेदारी नहीं ली है और इसका कारण स्पष्ट है । यदि भारत सरकार प्रति माह ३५,००० प्रव्रजन प्रमाणपत्र दे सकती है और पिछले दो महीनों से ५०,००० व्यक्तियों को हर माह प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं और इसके बावजूद भी यदि लोग जाली और नकली प्रमाणपत्र ले कर आयें और हम उन्हें भारत में पुनर्वास के लिये सहायता दें तो अच्छा होगा कि हम अपने उप-उच्चायुक्त का ढाका का कार्यालय बंद कर दें ।

प्रव्रजन प्रमाणपत्र जारी करने का तो कोई लाभ नहीं । हरएक इस ढंग से आये कि उसका पुनर्वास से कोई सम्बन्ध न हो । यदि प्रव्रजन से पुनर्वास को सम्बद्ध रखना है तो हम पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पाकिस्तानी प्रमाणपत्रों पर भारत आकर पुनर्वास की सहायता मांगने की अनुमति नहीं दे सकते हैं । और न यह कि वे जाली प्रव्रजन प्रमाणपत्रों पर भारत आयें और भारत सरकार से पुनर्वास सहायता मांगें ।

इस विषय की जांच की जा रही है । कल हम जो निश्चय करेंगे वह पूर्णतः पुनर्वास मंत्रालय पर निर्भर नहीं करता । इस विषय से मेरा सम्बन्ध केवल तब होता है जब एक व्यक्ति को प्रव्रजन प्रमाणपत्र

†मूल अंग्रेजी में ।

दे दिया जाता है और उसे विस्थापित व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। तभी मैं उसका प्रभार लेता हूं। तब तक वह या तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व है या गृह-कार्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। क्योंकि प्रव्रजन प्रमाणपत्र के जारी करने से पुनर्वास मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं।

अतः मुझे कुछ आश्चर्य हुआ जब श्री कामत ने—जिन्होंने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया या उस पर बोले नहीं—पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के आने का उल्लेख किया था, क्योंकि उसका पुनर्वास मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं। परन्तु इस बात के होते हुए कि वे जाली प्रव्रजन प्रमाणपत्रों पर आये हैं, हम उन्हें त्रिपुरा में तदर्थ सहायता दे रहे हैं यद्यपि सामान्यतः मैं उन्हें सहायता न भी देता तो यह न्यायोचित ही था। परन्तु मानवीय आधार पर हम उन्हें त्रिपुरा में सहायता दे रहे हैं।

जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है उन्हें हावड़ा या सियालदह से हटाने से, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक का कोई सम्बन्ध नहीं। मैं अपने विपक्षी मित्र को, जिनके लिये मेरे हृदय में बहुत सम्मान है, याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें कांग्रेस अधिवेशन आरम्भ होने के एक दिन पश्चात् हटाया गया था। यदि उन्हें अधिवेशन शुरू होने से पहले हटाया जाता तो उनके कहने में कुछ औचित्य होता। परन्तु यदि मुझे गलती न हो तो उन्हें प्रधान मंत्री के आने और कांग्रेस प्रधान के आने के पश्चात् और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जब सत्र हो रहा था उस समय वहां से हटाया गया था। अतः इसका अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं। हमें उन्हें हटाने के लिये प्रबन्ध करने थे और हम उन्हें कतिपय स्थानों पर ले गये हैं। परन्तु इस बीच में क्या हुआ है? उन्हें हटाने के पश्चात् उन लोगों का प्रभार लेने के पश्चात जो सौराष्ट्र अथवा उड़ीसा से निकाले गये थे अथवा जाली प्रमाणपत्रों पर आये थे, ये स्टेशन फिर भर गये। दुख की बात तो यह है। एक बार हम उन्हें हटाते हैं, जगह खाली हो जाती है, और अन्य लोग आकर बैठ जाते हैं। वे लोग बाहर से आते हैं और कलकत्ता से भी वापस आ जाते हैं। यदि हम उन्हें नहीं हटाते तो स्वभावतः मंत्रालय कुशल नहीं है, यह कोई काम नहीं कर रहा और उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। मैं इस बात पर और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं पहले ही सभा का बहुत समय ले चुका हूं।

परन्तु जैसा मैं आरम्भ में कह चुका हूं, हमने भरसक प्रयत्न किया है और कर रहे हैं। और जहां तक पश्चिमी बंगाल के सहयोग का सम्बन्ध है हमें शत प्रतिशत मिल रहा है। जहां तक मेरे सहकारी वित्त मंत्री का सम्बन्ध है, उनसे निधि प्राप्त करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही। परन्तु पुनर्वास मंत्री के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि निधि का व्यय उचित प्रकार से हो और बिना लाभ कोई व्यय न हो।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस समय २·८ लाख व्यक्ति शिविरों में हैं जिन्हें पुनर्वास केन्द्रों में भेजना है। सरकार ने पश्चिमी बंगाल अथवा बाहर वस्तुतः स्थायी पुनर्वास केन्द्रों का क्या उपबन्ध किया है? आप अब कितने व्यक्तियों को यहां ले सकते हैं? और यदि आप २·८ लाख लोगों को न ले सकें तो बाकी लोगों का क्या करेंगे?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जैसा मैंने आरम्भ में ही कहा है हम भूमि का विकास कर रहे हैं। हमने पहले ही उन शिविरों से पश्चिमी बंगाल से बाहर के राज्यों को विस्थापित व्यक्ति भेजने आरम्भ कर दिये हैं। हम भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनायें शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को दो शीर्षकों के अधीन बांटा जा सकता है, लगभग ७० प्रतिशत कृषिकार हैं और ३० प्रतिशत

†मूल अंग्रजी में।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

कृषिकार नहीं । हम शहरी अथवा कृषि भिन्न लोगों को या तो उद्योगों में नौकरी देना चाहते हैं या उन्हें प्रशिक्षण दे कर और उत्पादन केन्द्र खोल कर और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करके उनमें उन्हें लगाना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३४, ३५ और ६४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**श्री कामत** : उपाध्यक्ष महोदय ने कार्य-मंत्रणा समिति की इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि रेलवे अनुपूरक मांगों के लिये २½ घंटे का समय दिया जाये । यदि मेरे माननीय सहयोगी सहमत हों तो इसमें से आध घंटा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के लिये नियत किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम पहले ही आध घंटा रेलवे की मांगों पर लगा चुके हैं । खेद है कि अब यह कठिन होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
९२	पुनर्वास मंत्रालय	६,१७,०००
९३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	४४,२७,०००
९४	पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	६,०००
२३	वैदेशिक कार्य	७९,३२,०००
३३	लेखा परीक्षा	१६,५०,०००
३५	टकसाल	१,१५,००,०००
४०	संघ और राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२,००,०००
४१	विभाजन-पूर्व भुगतान	७,७६,०००
४४	कृषि	१,०००
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	७५,०००
६७	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	३,४५,०००
७७	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	६१,०००
१०२	संभरण	१३,८७,०००
१०९	लोक-सभा	१,०००
१२१	चल मुद्रा तथा टंकन पर पूंजी व्यय	१,३४,३३,०००

†मूल अंग्रेजी में ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१२९	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	४,१९,०१,०००
१४०	पत्तनों पर पूंजी व्यय	८५,००,०००
१४१	सड़कों पर पूंजी व्यय ...	२,५०,००,०००

विनियोग (संख्या ५) विधेयक*

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६-५७ और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—(रेलवे) १९५३-५४

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा १९५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की यह मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१	रेलवे बोर्ड	८,६६,०००
४	साधारण कार्यवहन-व्यय-प्रशासन	५०,८३,०००
५	साधारण कार्यवहन व्यय मरम्मत तथा संधारण	१,९०,००,०००
७	साधारण कार्यवहन व्यय संचालन (ईंधन)	३,२०,७३,०००
९	साधारण कार्यवहन व्यय—विधि व्यय	१,३७,७८,०००
१०	साधारण कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण	३८,००,०००

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत सरकार के असाधारण गजट अनुभाग २, भाग २ दिनांक १८-१२-५६ में प्रकाशित हुआ । पृष्ठ ११७७-८०

**राष्ट्रपति की अनुमति से पुरःस्थापित हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा १९५४ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की यह मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
४	राजस्व–कार्यवहन व्यय–प्रशासन	४८,३१,२६३
५	राजस्व–कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण	७४,१७,६१९
६	राजस्व–कार्यवहन व्यय–संचालन कर्मचारी	४६,६८,१९९
७	राजस्व–कार्यवहन व्यय–संचालन (ईंधन)	७८,४७,४९१
८	राजस्व–कार्यवहन व्यय कर्मचारी तथा ईंधन से भिन्न संचालन	२१,५९,६८६
९	राजस्व–कार्यवहन व्यय–विविध व्यय	१६,५६,४२७
१०	राजस्व–भारतीय राज्यों और समवायों को भुगतान	६६,२३६

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : क्या अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदानों को इकट्ठे लिया जा रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मतदान अलग-अलग होगा । चर्चा एक साथ हो सकती है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : चर्चा भी अलग-अलग हो । अनुपूरक अनुदानों के लिये दो घंटे दिये जायें और अतिरिक्त अनुदानों के लिये आध घंटा रखना ठीक रहेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है । श्री त० ब० विट्ठल राव ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १, २, ३, ४, ५, ६, १४ तथा १५ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मांग १ रेलवे बोर्ड में सदस्य बढ़ाने के सम्बन्ध में है । विभाजन से पूर्व रेलवे बोर्ड में चार सदस्य थे तब इसकी आलोचना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप सदस्यों की संख्या घटाई गई थी । विभाजन के पश्चात् रेलों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया । तथा १९५४ में अचानक रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई । तथा इस वृद्धि का कोई कारण भी हमें नहीं बताया गया ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

रेलवे बोर्ड के सदस्य को ४,००० रुपये पारिश्रमिक मिलता है । माननीय रेलवे मंत्री यह कह सकते हैं कि कार्यभार बढ़ गया है । मेरा निवेदन है कि द्वितीय योजना में ९०० करोड़ रूपये व्यय करना चाहते हैं परन्तु काम १५ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा है । हमें यह भी तो बताना चाहिये कि रेलवे बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को कितना काम सौंपा गया है तथा उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

अब मैं महंगाई भत्ते के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपको मालूम है कि १९४७ में केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जीवन निर्वाह देशनांक में २० पायन्ट बढ़ जाने पर ५ रुपये महंगाई भत्ता बढ़ जाना चाहिये । सरकार ने १९४९ तथा १९५१ में तदर्थ वृद्धि तो की परन्तु वेतन आयोग की सिफारिश को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया । १९५२ में श्री गाडगील के सभापतित्व में महंगाई भत्ते के लिये एक समिति नियुक्त की गई जिसने यह सिफारिश की ५० प्रतिशत महंगाई भत्ता, वेतन में मिला देना चाहिये । उनकी महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि सरकार ने जीवन निर्वाह देशनांक ठीक प्रकार से नहीं बनाये हैं तथा अब उन्हें इनको पूर्णतया बनाना चाहिये, जो अब तक नहीं बनाये गये हैं । जब हम महंगाई भत्ते बढ़ाने के लिये कहते हैं तो कहा जाता है कि इनको बढ़ाने से घाटे की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है । १९५३ से १९५६ हो गया है । पूछे जाने पर बताया गया कि देशनांक बनाये जा रहे हैं परन्तु १९५५ में सही तौर पर बताया गया कि एक प्रविधिक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई है । इसके कुछ मास पश्चात् हमको बताया गया कि राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है । तीन वर्ष हो गये हैं तथा यह समय पर्याप्त है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि इसके लिये २½ घंटा निर्धारित किया गया है इसलिये वह मुख्य बातें ही कहें । दस सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । माननीय मंत्री २० मिनट लेंगे । इसलिये प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट दिये जायेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं महंगाई भत्ते के प्रश्न के बारे में बता रहा था । समितियां बनायी गयी हैं और उनकी सिफारिशें मान ली गयी हैं किन्तु वे कार्यान्वित नहीं की गयी हैं । अभी हाल में अहमदाबाद में कर्मचारियों की एक सभा में योजना मंत्री ने बताया कि भारत में केवल ५ प्रतिशत कर्मचारियों को ही निर्वाह मजूरी मिलती है । संविधान के अनुसार, प्रत्येक को निर्वाह मजूरी दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । किन्तु योजना मंत्री कहते हैं कि केवल ५ प्रतिशत कर्मचारियों को निर्वाह मजूरी मिलती है । अधिक उत्पादन से कर्मचारियों को लाभ नहीं हुआ है । कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अधीन, मंहगाई भत्ते पर भी मालिकों का अंशदान होता है । अत: मेरी प्रार्थना है कि रेलवे मंत्रालय इसे स्वीकार कर ले क्योंकि मूल्य स्थिर नहीं हो रहे हैं । अनाज के भाव गतवर्ष की तुलना में ६७ प्रतिशत अधिक बढ़ गये हैं और आज जब कि नयी फसलें आ रही हैं, वह १९५५ की तुलना में २५ प्रतिशत अधिक हैं । अत: मंहगाई भत्ता बढ़ाने और भविष्य निधि तथा उपदान के भुगतान के लिये मंहगाई भत्ते को शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जाये । बम्बई औद्योगिक न्यायाधिकरण ने हाल ही में निर्णय दिया है कि २,२१,००० कर्मचारियों को उपदान दिया जाये । वह यह न कहें कि यह गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये नहीं हैं । हम सिद्धान्तों पर चलें ।

आगे, बिजली पैदा करने के लिये तेल उपभोग का प्रश्न है । जब कोयला बहुतायत से मिलता है तब तेल का उपयोग करने का मैं कोई कारण नहीं देखता । इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाये कि हम तेल के बजाय कोयला काम में लायें ।

महबूबनगर और अर्यालूर के निकट रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे बोर्ड ने अन्त में दोनों मामलों के बारे में न्यायिक जांच कराना मंजूर कर लिया है । किन्तु उसमें एक कमी है कि इन जांच आयोगों में प्रमुख नेता लोग नहीं होते । पिछले तीन साल में भारत में तीन खान-दुर्घटनायें हुई और प्रत्येक मामले की जांच के लिये उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया था । न्यूटन चिकली दुर्घटना में डा० बारलिंगे, अमलाबाद दुर्घटना में श्री श्रीनारायण दास और बरोदमो बाढ़ दुर्घटना में श्री सामन्त नियुक्त किये गये थे । आयोगों में नेतागण रखे जाने चाहियें ताकि उन आयोगों को एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो । ऐसे आयोगों की सिफारिशें बहुत उपयोगी रही हैं ।

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

इसके बाद, कुछ कोयला खानों पर पूंजीगत व्यय लाभप्रद न होने के कारण ४१ लाख रुपये की राशि बट्टे खाते में डाल दी गयी है। इन कोयला खानों का स्वामित्व उत्पादन-मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है और मैं नहीं समझ पाता कि उसका बोझ रेलवे के वित्त पर क्यों रहे।

अगला विषय दक्षिण रेलवे को जहाज़ों से कोयला पहुंचाने का है। रेलवे को कोयला पहुंचाने के लिये आप जहाज़ों का उपयोग करते हैं जिसके लिये अधिक ऊंची दर से भुगतान करना पड़ता है। किन्तु उद्योगपतियों को आप रेल से कोयला पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उद्योगपति रेल से कम भाड़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में हम, रेल मार्ग से कोयला ढोकर और रेलवे के उपयोग के लिये समुद्री मार्ग से ढोकर उद्योगपतियों को सहायता देते हैं। अब उन्हें अधिक सहायता देने की जरूरत नहीं है।

अन्त में मुझे प्रसन्नता है कि संकेत और दूर संचार को दूसरे उन्नतिशील देशों के बराबर बनाने के लिये व्यवस्था की जा रही है। उस पर कोई भी व्यय उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि उससे सुरक्षा के अधिक उपाय हो जायेंगे। आगे मैं फिर यह कहूंगा कि मंहगाई भत्ते के बारे में बात मान ली जाये जिससे कि मध्यम वर्ग के उत्तेजित कर्मचारी संतुष्ट हो जायें।

†**श्री फ्रैंक एंथनी** : मेरे नाम में तीन कटौती प्रस्ताव हैं। वे इस सम्बन्ध में हैं : रेलवे प्रशासन का कार्य, कर्मचारियों की शिकायतों की ओर ध्यान न देना और मरम्मत तथा संधारण के सम्बन्ध में असन्तोषजनक कार्य।

हाल की दुर्घटनाओं से जिनकी चर्चा इस सभा में हो चुकी है, यह स्पष्ट हो जाता है कि रेलवे लाइनों की कितनी असन्तोषजनक दशा है। मेरी राय में, खासकर दक्षिण रेलवे में, रेलवे लाइनें बहुत ही बुरी हालत में हैं। उस सम्बन्ध में मुझे रेलवे कर्मचारियों से अनेक शिकायतें भी मिली हैं। एक रेलवे कर्मचारी के पत्र से मुझे मालूम हुआ है कि अर्कोनम् और बंगलौर के बीच रेलवे लाइन बिलकुल ही खराब है और इस लाइन पर चालकों के लिये रेलगाड़ी ले जाना बिलकुल असंभव हो जाता है। कुछ महीने पहले मैंने विल्लुरम् ज़िले में, जो तिरुचिरापल्ली के निकट हुई दुर्घटना के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, असन्तोषजनक दशा की ओर दक्षिण रेलवे के सामान्य प्रबन्धक तथा रेलवे बोर्ड का ध्यान दिलाया था। यह मैं खासकर इसलिये बता रहा हूं कि स्थानीय कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि वहां की हालत ऐसी खराब होती जा रही है कि ३०० मील से अधिक जाना उनके लिये बिलकुल असंभव हो जाता है। किन्तु मुझे खेद के साथ बताना पड़ता है कि महा प्रबन्धक से मुझे वही पुराना उत्तर मिला कि वहां ऐसी हालत नहीं है और उसके समर्थन में सभी प्रकार के आंकड़े पेश किये। यह दुर्घटना होने के पहले यह स्थिति थी।

अभी हाल में दक्षिण रेलवे के दौरे में मुझे एक कर्मचारी ने बताया इस हालत का कारण यह है कि सामान बहुत पुराना है और हम जो चीजें मांगते हैं वह हमें नहीं मिलतीं। रेलवे प्रशासन के गतिरोध के कारण वे बीच में ही कहीं रुक जाती हैं। रेलवे की अधिकतर लाइनों की यही हालत है और खासकर दक्षिण रेलवे में तो निश्चित ही ऐसी स्थिति है।

कर्मचारियों ने मुझ से एक दूसरी शिकायत यह की है कि पदाधिकारी, यहां तक कि युवक पदाधिकारी भी इंजन के साथ-साथ यात्रा नहीं करते ताकि उन्हें ठीक-ठीक मालूम हो कि रेलवे लाइन कैसी है, इंजन की क्या हालत है। जब आप रेलवे लाइन या इंजन की हालत के बारे में शिकायत करते हैं तो वही पुराना जबाव मिलता है कि वह शिकायत सही नहीं है। किन्तु वरिष्ट कर्मचारियों ने मुझ से कहा है कि ऐसी हालत में वे काम नहीं कर सकते और यदि उन्हें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना हो तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। आज रेलवे में और खासकर दक्षिण रेलवे में इस प्रकार की हालत है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

संधारण के प्रश्न के सम्बन्ध में, मुझे बताया गया है कि आजकल अनुभवहीन व्यक्तियों को चालक नियुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अधिक दुर्घटनाओं का यह भी एक कारण है। निरीक्षक पदाधिकारी निरीक्षण नहीं करते। उन्हें इंजन के साथ-साथ यात्रा करनी चाहिये, कर्मचारियों की क्षमता का अंदाज़ा लगाना चाहिये किन्तु वे कुछ नहीं करते। परिणाम यह होता है कि अनुभवहीन व्यक्तियों को चालक बना दिया जाता है। इस प्रकार वे यात्री जनता के लिये एक खतरे के रूप में हैं।

इस स्थिति को ठीक करने के लिये, जानकार लोगों ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक क्रियाशील शेड में एक ज़िला इंजन-निरीक्षक और चालक शिक्षक हों। किन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है, दक्षिण रेलवे में कोई लोको ट्रेनिंग स्कूल नहीं है जिसके फलस्वरूप कोई निरीक्षक पदाधिकारी नहीं है। इसलिये अनुभवहीन व्यक्तियों से चालक का काम लिया जाता है।

एक दूसरे खतरे की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है और वह है सिग्नल की बढ़ती हुई रुकावट। सम्बन्धित व्यक्तियों का कहना है कि बाहरी सिग्नल कम से कम एक मील की दूरी पर हो। किन्तु आज कुछ रेलों में ऐसी स्थिति नहीं है। पेड़ बढ़ जाने के कारण या इमारतें बन जाने के कारण यह रुकावट है। उनका कहना है कि मंत्रालय इस ओर निश्चय ही ध्यान दे कि वह न्यूनतन दूरी एक मील हो। अतः चालकों ने यह प्रार्थना भेजी है कि जहां कहीं सिग्नल बायीं ओर हो, दायीं ओर रीपीटर सिग्नल्स भी हों।

यह एक सामान्य शिकायत बनती जा रही है कि इंजनों की देखभाल की इस कमी के कारण चालक दोषपूर्ण ब्रेक वाले इंजन ले जाने के लिये बाध्य किये जाते हैं। मैं जानता हूं कि एक चालक के एक्सप्रेस या डाक गाड़ी का इंजन दोषपूर्ण होने के कारण उसे ले जाने से इनकार करने पर उसे धमकी दी गयी और मजबूर किया गया।

आगे मुझे यह भी शिकायतें मिली हैं कि विभागीय पद्धति लागू करने से कुछ गड़बड़ी ही नहीं बल्कि भारी अन्याय भी हुआ है। रेलवे मंत्री संभवतः जानते होंगे कि यद्यपि एकीकरण कई वर्ष पहले किया गया था, फिर भी वरिष्ठता सूचियां अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गयी हैं। अब विभागीय पद्धति लागू करने से वह असन्तोषजनक स्थिति अधिक खराब बनायी जा रही है। एकीकरण के पांच या छः वर्ष के बाद भी लोग ठीक-ठीक नहीं जानते कि उनकी वरिष्ठता कहां पर है। वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये भिन्न-भिन्न रेलों ने भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपनायी हैं। कुछ रेलों में वरिष्ठता क्षेत्रीय आधार पर रखी गयी है। जिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में वह ज़िले के आधार पर रखी गयी हैं मुझे यह सुझाव दिया गया है कि वरिष्ठता निर्धारित करनें में, उस वेतनक्रम में प्रवेश करने की तारीख एकरूप मापदंड समझा जाये।

एक और विषय है जिसके कारण रेल कर्मचारियों में अभी हाल में बड़ी उत्तेजना फैली है। वह यह है कि अतिवयस्क कर्मचारियों की सेवायें बढ़ायी जा रही हैं। इससे स्वाभाविक ही काफी रोष फैला हुआ है क्योंकि अतिवयस्क व्यक्ति की सेवा बढ़ाने से पिछले व्यक्ति की पदवृद्धि रुक जाती है। माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे बताया है कि इस प्रकार उनकी अवधि बढ़ाकर अपने प्रिय व्यक्तियों को उन स्थानों पर रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे हाल में बताया गया है कि कलकत्ते में वहां के महाप्रबन्धक अन्य रेलों से निकाले गये सभी अतिवयस्क व्यक्तियों को वहां इकट्ठा कर रहे हैं। इस प्रकार दक्षिणपूर्व रेलवे में ऐसे लोगों का एक जमघटा बन जाने का खतरा है।

मुझे सुझाव दिया गया है कि यदि रेलवे को उन अतिवयस्क व्यक्तियों की तीव्र आवश्यकता हों तो उन्हें फिर से नियुक्त किया जाये; किन्तु उनकी अवधि बढ़ाकर पिछले व्यक्ति की पदवृद्धि न रोकी जाये। अन्यथा रेलवे वेतन आयोग की इस सिफारिश पर भी विचार कर सकती हैं कि अतिवयस्कता की

[श्री फ्रैंक एंथनी]

आयु ५८ वर्ष कर दी जाये। मैं जानता हूं कि इसमें यह कठिनाई होगी कि रेलवे अकेले उसे नहीं कर सकती किन्तु मेरे विचार से रेलवे का बिल्कुल अलग स्थान है।

फिर आवास की समस्या है जो विभागीय पद्धति लागू किये जाने से अधिक गंभीर हो गयी है। यह स्थिति है कि ५ लाख व्यक्तियों के पास आवास नहीं है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से मेरा सुझाव है कि चालक आदि आवश्यक कर्मचारियों के लिये एक निश्चित कोटा निर्धारित करने पर वे विचार करें। मुझे बताया गया है कि पदाधिकारी अपने प्रिय व्यक्तियों को बिना क्रम के ही आवास दे देते हैं जो सामान्यतया एक स्थान पर रहने वाले कर्मचारी होते हैं। इससे काफी असंतोष फैलता है। वास्तव में जो आवास चालकों को मिलना चाहिये वह उन कर्मचारियों को मिलता है जो एक ही स्थान पर रहने वाले होते हैं।

मेरे पूर्व वक्ता ने मंहगाई भत्ता वेतन के साथ मिला देने का प्रश्न उठाया था। आधा मंहगाई भत्ता वेतन के साथ मिला दिया गया था। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों का कहना है कि यदि मकान किराया काटने के लिये उस आधे मंहगाई भत्ते को वेतन समझा जाता है तो हमारा मील-भत्ता निर्धारित करने में उसे वेतन क्यों नहीं समझा जाता।

उनकी एक और उचित मांग है। वे कहते हैं कि बीमारी की छुट्टी के मामले में, १९३१ के पहले के कर्मचारी और १९३१ के बाद के कर्मचारी एक स्तर पर समझे जायें। छुट्टी के नये नियमों के अनुसार छुट्टी छः महीने तक की अवधि तक इकट्ठी की जा सकती है किन्तु १९३१ के पहले के कर्मचारी एक या दो महीने से अधिक अवधि तक बीमारी की छुट्टी इकट्ठी नहीं कर सकते। परिणाम यह होता है कि वे प्रतिवर्ष बीमारी की छुट्टी ले लेते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि वास्तव में लंबी बीमारी के समय उन्हें वेतन नहीं मिलता।

मेरी एक प्रार्थना यह भी है कि रेलवे में सेवानिवृत्ति वेतन की योजना लागू की जाये। तीन साल पहले भी मैंने यहां यह बात कही थी और अब वह बहुत आवश्यक हो गया है। मैंने आंकड़ों का विश्लेषण किया है और बताया है कि सेवानिवृत्ति वेतन की उदार दशाओं के साथ भविष्यनिधि और उपदान योजना की किसी प्रकार भी तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ, एक चालक को जिसे ६०० रुपये माहवार मिलता हो, संभवतः ४०,००० रुपये भविष्यनिधि मिले किन्तु डाक व तार विभाग में वैसा ही काम करने वाले को २५० रुपये ३०० रुपये माहवार मिलेगा। उसका पूंजीगत मूल्य २ या ३ लाख रुपये के बीच होगा जब कि ४०,००० रुपये उसे ७० रुपये माहवार भी नहीं दिला सकते यदि वह अच्छी से अच्छी प्रतिभूतियों में भी विनियोजित किया जाये। मैंने भविष्यनिधि और सेवानिवृत्ति वेतन की तुलना करके देख लिया है कि सेवानिवृत्ति वेतन का मूल्य भविष्यनिधि के चौगुने के लगभग होता है।

इस विषय में पहले यह उत्तर दिया जाता था कि कुछ लोग इसे नहीं चाहते थे। मैंने अक्तूबर-नवम्बर में २० या ३० रेलवे केन्द्रों का दौरा किया और लोगों को यह योजना समझायी। ज्यों वे इस योजना का अर्थ समझ गये उन्होंने मुझे प्रशासन पर यह दबाव डालने के लिये कहा कि वह कम से कम उसे ऐच्छिक बना दें। जो न चाहें वे सेवानिवृत्ति वेतन न लें। मंत्री महोदय से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी इस अन्तिम प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव रखने की सूची दी है, वह इस प्रकार है :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या
१ ...	१, २, १०, १२
४	३

†मूल अंग्रेजी में।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या
५	१३
७	४, १४, १५
९	५, ८, ९
१० ...	६

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्यों के पांच पद बनाने का प्रश्न ।	१००
१	श्री त० ब० विट्ठल राव	भविष्यनिधि अंशदान और उपदान का हिसाब लगाने के लिये मंहगाई भत्ते को मजूरी समझने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री फ्रैंक एंथनी	रेलवे प्रशासन का कार्य ।	१००
१	श्री फ्रैंक एंथनी	कर्मचारियों की शिकायतों की ओर ध्यान न दिया जाना ।	१००
४	श्री त० ब० विट्ठल राव	विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय पद्धति लागू करने में विलम्ब ।	१००
५	श्री फ्रैंक एंथनी	मरम्मत और संधारण के सम्बन्ध में असन्तोषजनक कार्य ।	१००
७	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयले की जगह अधिक तेल उपयोग करने की आवश्यकता ।	१००
७	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयले की किसी खान पर पूंजीगत व्यय लाभप्रद न होने के कारण ४१ लाख रुपये बट्टे खाते में डाल देना ।	१००
७	श्री त० ब० विट्ठल राव	दक्षिण रेलवे को अपेक्षाकृत समुद्री व रेल मार्ग से कोयला पहुंचाने की आवश्यकता ।	१००
९	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे में महबूबनगर और दक्षिण रेलवे में अर्यालूर के निकट रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति का प्रश्न ।	१००
९	श्री कामत	महबूबनगर और अर्यालूर रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का ब्योरा ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती का आधार	कटौती की राशि (रुपयों में)
९	श्री कामत	विभागीय भोजन व्यवस्था लागू करने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था का ब्योरा ।	१००
१०	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे सहकारी भंडारों को दी गयी सहायता और सिकंदराबाद में उपभोग भंडार सहकारी समिति के लिये उचित भवन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००

†**अध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

†**श्री तेलकीकर** (नान्देड़) : मैं तो केवल वीहलर के पुस्तक भंडारों के अभिकर्ताओं की शिकायतें बताना चाहता हूं । हाल ही में समवाय के एक अभिकर्ता ने बताया कि उन्हें घाटा रहता है, क्योंकि मालिक उन अखबारों का मूल्य भी ले लेते हैं जो कि उन्हें वापिस कर दिये जाते हैं । इसके साथ ही रकम देर से दिये जाने पर उस पर ब्याज आदि लगा दिया जाता है । दस महीने में अभिकर्ता को कमीशन की आय ३८३-१३-३ हुई और उसे ३८९-५-० की राशि देनी पड़ी । अर्थात उसे ५-७-९ जेब से देने पड़े । यदि न बिकने वाले अखबार अभिकर्ता के पास ही रहते तो भी उसके कुछ काम आते परन्तु समवाय ऐसा भी नहीं करने देता । यह तो अत्याचार है । इस कारण अभिकर्ता रात को काम नहीं करते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वहां विभाग के कर्मचारी नहीं होते ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : वे तो सम्बद्ध सार्थ के कर्मचारी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो रेलवे उसके लिये कैसे उत्तरदायी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यह माननीय सदस्य ही बतायेंगे ।

श्री अलगेशन : रेलवे का इससे सीधा कोई सम्बन्ध नहीं ।

†**श्री तेलकीकर** : जब रेलवे प्रशासन उन्हें पुस्तकें बेचने की आज्ञा देता है तो उनका उससे सम्बन्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी रेलवे में काम करता है, वह रेलवे के महान उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आता है । परन्तु उनकी कठिनाइयां बहुत हैं ।

†**श्री तेलकीकर** : यही होना चाहिये ।

†**श्री हो० ना ०मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं अपने मित्र श्री विट्ठल राव के इस सुझाव से सहमत हूं कि रेलवे बोर्ड के जो पांच अतिरिक्त सदस्यों के पदों का निर्माण हुआ उस पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे के सम्बन्ध में कुछ और जानकारी सभा को प्राप्त होनी चाहिये । जिन भी कारणों से भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने त्याग पत्र दिया, उसके कारण रेलवे बोर्ड अब अधिक विनम्रता तथा उत्सर्ग से कार्य करेगा । रेलवे बोर्ड का विस्तार बुरा नहीं, परन्तु हमें इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिये कि अतिरिक्त सदस्य क्या कार्य कर रहे हैं । इसमें यह भी भय है कि बहुत अधिक केन्द्रीयकरण न हो जाये, और सभी बड़े अधिकारी दिल्ली के आकर्षणों के कारण दिल्ली में पड़े रहें और प्रशासन की ओर ध्यान कम हो जाये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

और मैं यह भी कहूंगा कि गत थोड़े काल में जो तीन प्रमुख दुर्घटनायें हुई हैं, उनको देखते हुए रेलवे प्रशासन को वर्तमान क्षेत्रीय ढंग का भी परीक्षण करना चाहिये । यह भी विचार है कि उचित निरीक्षण नहीं हुआ और ६,००० मील की इकाई को सम्भालना कठिन हो रहा है । आज की स्थिति में प्रधान प्रबन्धक की शक्ति और अधिकार तो बहुत हैं परन्तु वास्तविक कार्यस्थल से वे बहुत दूर हो रहे हैं ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व रेलवे मंत्री के बजट भाषण में जिनका इशारा था, उन नवीनताओं को बड़े अजीब ढंग से लागू किया गया है । तीसरे दर्जे की जो वातानुकूलित गाड़ियां बनाई गयी हैं, उसमें मैंने यात्रा की है, परन्तु मैं यह न समझ सका कि वे खाली क्यों थीं । मैंने उस गाड़ी में एक से अधिक बार यात्रा करने वालों से पूछा तो पता चला कि हावड़ा से इस गाड़ी में स्थान प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि दस बजे तक तीसरे दर्जे का टिकट घर ही नहीं खुलता । इस प्रकार लोग दी गयी सुविधाओं का कोई लाभ नहीं उठा सकते । और जो हमारे देश की प्रगति के लिये होना चाहिये वह हो नहीं पाता । इसलिये रेलवे बोर्ड को इन अतिरिक्त सदस्यों और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में सभा को यह बताना चाहिये कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो महान कार्य किया जाना है उसको किस प्रकार किया जायगा ।

मैं मांग संख्या ४ का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें कि रेलवे सुरक्षा दल का उल्लेख है और कुछ अतिरिक्त राशि भी इस उद्देश्य के लिये रखी गयी है । मुझे एक हज़ार व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो कि पूर्वी रेलवे के पहरा और निगरानी वाले कर्मचारियों का है । इसमें उनकी शिकायतों का उल्लेख है । इन शिकायतों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई सूचना नहीं । परन्तु उन्होंने सविस्तार पूर्वी रेलवे के सुरक्षा अधिकारी के नियन्त्रण के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये हैं । मुझे यह भी बताया गया है किं इन आरोपों की प्रतिलिपियां रेलवे मंत्री के पास भी भेजी गयी हैं । उनकी शिकायतों में आरोप पत्र देने में मनमानी कार्यवाही और सफाई के लिये कोई अवसर न देना भी सम्मिलित है । छः मास में लगभग ५०० लोगों को नौकरी से हटाया गया, परन्तु उन्हें इसका कारण नहीं बताया गया । शिकायतों में आवास सम्बन्धी कठिनाइयां और असामयिक बदलियों की भी चर्चा है । साथ ही यह भी कि वे किसी श्रमिक संघ में सम्मिलित नहीं हो सकते और उन्हें वर्दी भी समय पर नहीं मिलती । मेरे विचार में मंत्री महोदय के पास यह दस्तावेज़ पहुंची ही होगी और जो कुछ इस सम्बन्ध में उचित और आवश्यक है उसे कर दिया जायेगा ।

मैं फिर कहता हूं कि रेलवे बोर्ड पर महान कार्यों का उत्तरदायित्व है । उसे नम्रता और उत्सर्ग के साथ-साथ योग्यता और सफलता से कार्य करना है । उसे यह भी ध्यान रखना है कि लोगों को अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकें ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (पूर्णिया सन्थाल परगना) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे बोर्ड सम्बन्धी मांग १ पर ही कहूंगा । इस अवसर पर मेरा मत यह है कि रेलवे बोर्ड ने पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया । गत पांच वर्षों से मैं यह बात कह रहा हूं । और अब तो आगामी मार्च और फरवरी में हमारी परीक्षा होने वाली है और मालूम नहीं मेरे १५ लाख परीक्षक मुझे कितने अंक देंगे । मैं यह कहूंगा कि रेलवे बोर्ड ने आशाजनक कार्य नहीं किया है ।

मेरा इलाका पिछड़ा हुआ सन्थाल परगने का क्षेत्र है । पहाड़ों पर कबाइली लोग रहते हैं और यहां कोई रेलवे लाइन नहीं । नयी दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद के लिये तो नयी-नयी योजनायें बनती हैं । वे भी ठीक हैं, परन्तु हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो विकास और परिवहन सुविधाओं को तरस रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ८ मार्च, १९५४ को विवाद का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आज़ाद]

उत्तर दते हुए कहा था :

"हमने सन्थाल परगना के बारे में अभी तक ध्यान नहीं दिया । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वहां के माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान नहीं दिलाया । लेकिन इस बात की जरूरत है कि वहां की भी जांच-पड़ताल करें । मैं रेलवे बोर्ड से कहूंगा कि इस इलाके के बारे में जो जानकारी है उसे वह हासिल करे और एक रिपोर्ट बोर्ड के सामने और मेरे सामने पेश की जाये ।"

रेलवे बोर्ड ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले का क्या बना ? कुछ नहीं हुआ और इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया । रेलवे बोर्ड ने तब के रेलवे मंत्री के कहने पर भी कुछ न किया ।

७ मार्च, १९५६ को भी रेलवे मंत्री ने कहा था :

"गत सर्वेक्षणों की रिपोर्टों का परीक्षण करके यह देखा जाये कि उनमें क्या तबदीली हुई है । इस व्यवस्था और इसके स्थान में ११० मील लम्बी पीरपैंती से देवगर वाया डूम्का की लाइन के सुझाव में क्या अन्तर है ।"

इन दोनों अवसरों पर रेलवे मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिये उचित ध्यान दिया जायेगा । परन्तु रेलवे बोर्ड की योग्यता और बुद्धि के क्या कहने, कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवहन विकास के लिये रेलवे मंत्रालय की मांगों का मैंने समर्थन किया है । और मुझे उन कठिनाइयों का भी पता है जो कि मांग के एक तिहाई कट जाने से हुई । परन्तु फिर भी नयी-नयी लाइनें चालू की गयीं । इसलिये मेरा कहना है कि हमारा भी कुछ हक है, बल्कि उनसे अधिक है जिनको नयी-नयी लाइनें दी जा रही हैं । सारांश यह कि रेलवे बोर्ड ने मंत्रालय के उच्चतम व्यक्ति के आदेश की भी उपेक्षा ही की ।

अब जो नये पांच व्यक्ति आयेंगे, क्या वे देश को यह बता सकेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मध्य काल में परिवहन सुविधाओं की स्थिति क्या होगी ? क्योंकि दूसरी योजना को सबसे अधिक भय अपेक्षित परिवहन सुविधाओं से ही है । योजना के तीसरे वर्ष में जब उत्पादन खूब बढ़ जायेगा तो भय है कि माल यातायात का समोचित प्रबन्ध न हो सके । इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड सभा और देश को यह नहीं बता रहा कि स्थिति क्या होगी । इसे बताना चाहिये कि भय क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं । दूसरे और तीसरे वर्ष में यह न कह दिया जाये कि सारा माल बम्बई अथवा किसी और स्थान पर एकत्रित है और रेलवे बोर्ड यातायात की आवश्यक व्यवस्था नहीं कर सकता । रेलवे मंत्रालय को यह बात योजना आयोग को बता देनी चाहिये । मेरे विचार में माननीय रेलवे मंत्री को सामूहिक हित में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इस भय को दूर करने के लिये परिवहन सुविधाय प्राप्त करने सम्बन्धी प्रयत्न करने चाहियें । विशेष रूप में सन्थाल परगने के पिछड़े हुए इलाके में पीरपैंटी से देवघर वाया डूम्का की शाखा लाइन पर ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की कुल राशि लगभग आठ करोड़ रुपये है । किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि रेलवे मंत्रालय ने अपनी सभी मांगों की कुल राशि का योग क्यों नहीं किया ।

रेलवे मंत्रालय द्वारा ऐसी मांगों को उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिये और प्रत्येक मद का, जिस पर कि खर्च किया जाना है, स्पष्टीकरण सभा के समक्ष रखा जाना चाहिये । रेलवे का विभाग ऊपर

†मूल अंग्रेजी में ।

से नीचे तक अब दक्षता से कार्य नहीं करता है और इसके कारण हमारी हानि ही होगी। पांच और व्यक्तियों को सेवायुक्त करके अथवा कोई अतिरिक्त राशि व्यय करके यह प्रश्न हल नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब पांच सदस्यों को नियुक्त करने की बात होती है तो उन्हें तुरन्त ही नियुक्त किया जाता है और उन्हें टैलीफोन भी जल्दी ही मिल जाते हैं। हम कई बार यह कह चुके हैं कि जब कभी किसी पोस्ट आफिस में टैलीफोन लगाया जाता है तो कम से कम रेलवे स्टेशन पर एक टैलीफोन एक्सचेंज अवश्य होना चाहिये, किन्तु इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार जनता की सुविधा की उपेक्षा ही की जाती है।

अब मैं एक और पहलू की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिस दिन से रियास्ती रेलों का विलय हुआ है उसी दिन से हम किसी भी प्रकार के कर्मचारियों के उचित एकीकरण की मांग कर रहे हैं। निर्णय करने में लगभग ४½ वर्ष लग गये थे और पिछले आय-व्ययक भाषण में सूत्र को सभा के समक्ष रखा गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा विभिन्न मुख्य प्रबन्धकों को जो सूत्र भेजा गया था, यह उससे भिन्न था। सभा को पूरी बात नहीं बताई गई थी। यद्यपि सूत्र को कार्यान्वित नहीं किया गया है तथापि कई मामलों में संविधान के अनुच्छेद ३११ के सभी उपबन्ध निष्क्रिय बना दिये गये हैं। सूत्र को इस प्रकार क्रियान्वित किया गया है कि किसी व्यक्ति के मांग न करने पर भी उसकी पदोन्नति की गई थी और जब जांच की गई तो उसे यह कह कर पुरानी जगह पर भेज दिया गया कि वह पदोन्नति के योग्य नहीं है। अब जब सूत्र को लागू किया जा रहा है तो यह कहा जा रहा है "क्योंकि तुम्हें एक बार पदोन्नत किया गया था और फिर पदावनति की गई थी इसलिये तुम सूत्र का लाभ नहीं उठा सकते।" इस प्रकार की बातें हो रही हैं।

मुझे एक ऐसे व्यक्ति की बात मालूम हैं। जो रेलवे प्रशासन द्वारा अपनी कुछ कठिनाइयों का समाधान कराना चाहता था। जब उसने सम्बन्धित उच्चतम व्यक्ति से मिलने का प्रबन्ध कर लिया तो एक क्लर्क ने उससे १,००० रुपये की मांग की थी। उस बेचारे को वहां से भागना पड़ा। जब आप रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने जो मांग की है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। निवृत होने पर रेलवे कर्मचारी को भविष्य निधि के रूप में जो राशि मिलती है, वह दो वर्ष में ही समाप्त हो जाती है और वह रंक-सा हो जाता है। इसलिये भविष्य निधि योजना को निवृति वेतन योजना में परिवर्तित करना रेलवे कर्मचारियों के हित में है। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कोई योजना अवश्य बनाई जानी चाहिये।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम ज़िला रायबरेली—पूर्व) : ईमानदार व्यक्ति या बेईमान व्यक्ति ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यदि आप देश के व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊंचा उठायें तो वे सभी ईमानदार बन जायेंगे। उन्हें धार्मिक शिक्षा दीजिय।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : क्या कोई सदस्य इस प्रकार का सामान्यकरण कर सकता है कि सभी रेलवे कर्मचारी और रेलवे पदाधिकारी भ्रष्ट हैं ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैंने "सभी" शब्द कभी नहीं कहा।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : आपने "उनमें से अधिकतर" कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस भाषा में "सभी" का अर्थ है "कुछ"।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्रीमान, आपने उन्हें कठिन स्थिति से बचा लिया है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अब मैं मांग संख्या ४ की चर्चा करता हूं । यह अच्छी बात है कि रेलवे ने लिपिकों तथा सहायक सर्जनों की वेतन-श्रेणी में वृद्धि की है । रेलवे प्रशासन के लिये यह एक अपयश की बात थी कि एक एम० बी० बी० एस० सहायक सर्जन को १०० रुपये वेतन दिया जाता था । परन्तु वेतन में जो वृद्धि की गई है क्या वह पर्याप्त है ?

रेलवे को स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की मांग पर भी विचार करना चाहिये । यही व्यक्ति प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं । वे दिन रात परिश्रम करते हैं । अपने बच्चों को पालने के लिये उन्होंने जिन सुविधाओं की मांग की है, वे उन्हें मिलनी चाहियें ।

मैं विभाजीय व्यवस्था[1] से भी पूर्णत: सहमत नहीं हूं । इससे हमारा खर्च बढ़ गया है और कई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं । कार्यकरण का क्षेत्र तो वही रहा है । पहिले जो कुछ ज़िला यातायात अधीक्षकों द्वारा किया जाता था, अब वही विभाजीय अधीक्षक करते हैं । अन्तर केवल इतना है कि उन्हें विभाजीय अधीक्षक कहा जाता है, अधिक वेतन दिया जाता है परन्तु कार्यकरण का क्षेत्र पहले जितना ही है । मुझे याद है कि एक व्यक्ति मुझ से मिला था जिसे १·५ वर्ष से वेतन नहीं मिला था । उसके पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया जाता । उसे पूर्वोत्तर रेलवे से पूर्व पंजाब रेलवे में भेज दिया गया था; वहां से उत्तर रेलवे में भेजा गया । प्रत्येक रेलवे द्वारा यह कहा जाता है कि रिकार्ड दूसरी रेलवे के पास है । परिणामस्वरूप उसे अब तक वेतन नहीं मिल सका है और यह सब संविलयन के कारण है ।

इस व्यवस्था में कुछ बार राजनीति का हाथ भी रहा है । रतलाम डिवीज़न अचानक ही बना दिया गया था । खंडवा से अजमेर तक ३९३ मील तक मीटर गाज भाग है । रतलाम से २३३ मील की दूरी पर टैलीफ़ोन से बात की जा सकती है । परन्तु गोसुन्दा स्टेशन अजमेर के अन्तर्गत लाया गया है जिससे यद्यपि दूरी केवल १२२ मील ही है, तथापि वहां कोई सन्देश नहीं भेजा जा सकता है । इसी प्रकार आप चित्तौड़गढ़ से गोसुन्दा, ६ मील की दूरी पर टैलीफ़ोन द्वारा बात नहीं कर सकते हैं । यह एक ऐसा प्रबन्ध है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और इस की अवश्य जांच की जानी चाहिये ।

अब मैं नदी से रक्षण कार्य के सम्बन्ध म मांग संख्या ५ को लेता हूं । माननीय मंत्री नये व्यक्ति नहीं हैं । इसलिये उन्हें मालूम होगा कि कुछ बड़े पदाधिकारियों द्वारा किस प्रकार की चालाकियां की जाती हैं । मैं आपको बर्मा रेलवे का एक मामला बताता हूं । वहां 'सितर्ग' नामक नदी में लगभग ५ लाख रुपये के मूल्य के पत्थर डाले जाने थे । बर्मा उस समय भारत का ही एक अंग था । मुश्किल से २,५०० रुपये के मूल्य के पत्थर ही नदी में डाले गये थे, परन्तु ५ लाख रुपये का बिल बना कर दिया गया था । इसलिये नदी से रक्षण कार्य के सम्बन्ध म ऐसा कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिये जो सदैव इस बात को देखता रहे कि कोई विशिष्ट काम किया गया है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि प्रत्येक पुल क पूरा होने पर निर्माण से सम्बन्धित प्रभारी व्यक्तियों की देखरेख की जानी चाहिये और उनके आचरण पर भी निगाह रखनी चाहिये ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मेरा सुझाव यह है कि पुल-निरीक्षण विभाग स्वयं रेलवे बोर्ड के अधीन एक पृथक् विभाग होना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये विशिष्ट कर्मचारीवृन्द को जाकर पुलों का निरीक्षण करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Divisional System.

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रभारी इंजीनियर कहीं और चला जाय तो पुल के टूटने पर क्या उसे तलाश करना होगा ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : श्रीमान, आप जानते हैं कि श्री गोकुल सिंह द्वारा बर्मा रेलवे के मुख्य इंजीनियर श्री हिक्स का किस प्रकार से चालान किया गया था और फिर अन्ततः हुआ क्या था। उस व्यक्ति को काफी धन देकर भगा दिया गया था और उसका कुछ पता नहीं चला था। अन्त में श्री हिक्स किसी न किसी तरह उस मामले से बच निकले। अभी तक नौकरशाही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देश की कोई चिन्ता नहीं की जाती है और नैतिक स्तर ऊंचा नहीं हुआ है। उदाहरण के लिये जब कुछ पदाधिकारी 'सैलून' में सफर करते हैं तो वस्त्रों को धुलाई के लिये अजमेर से बम्बई भेजा जाता है। यह सभी कुछ करदाता के खर्च पर किया जाता है। यही खर्च में वृद्धि का कारण भी है। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि एक पदाधिकारी के सफर करने पर कितने कर्मचारी नियोजित किये जाते हैं।

मांग संख्या ७ के सम्बन्ध में श्री त० ब० विट्ठल राव ने समुद्र एवं रेल-मार्ग से कोयला भेजने की जो बात कही है, मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयले की चोरी को न रोकने से रेलवे का खर्च बढ़ गया है। न केवल रेलवे कर्मचारी बल्कि निकट रहने वाले व्यक्ति भी रेलवे का कोयला ले जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इस चोरी को रोकना चाहिये। यह कहा गया है कि रक्षा-प्रहरी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। इस सभा में अपने प्रथम भाषण के अवसर पर मैंने रक्षा-प्रहरी कर्मचारियों के सम्बन्ध में दोषारोपण किया था। इसे 'रक्षण दल' या किसी और नाम से पुकारा जाना चाहिये। रेलवे द्वारा जिन पुलिस पदाधिकारियों को भर्ती किया जाता है वे अधिक सख्त नहीं हैं। उनके स्थान पर ऐसे पदाधिकारियों को रखना चाहिये जिनमें राष्ट्रीय भावना हो। तभी रेलवे में चोरी की घटनायें बन्द होंगी।

आपको याद होगा कि पिछली बार जब अतिरेक मांगों पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था कि खर्च किये जाने के तुरन्त ही बाद सभा को यह बताया जाना चाहिये था और इसकी स्वीकृति लेनी चाहिये। मंत्रालय को अनुच्छेद ११५ के शब्दों का लाभ नहीं उठाना चाहिये। १९४९ में लोक-लेखा समिति ने भी यह अनुभव किया था कि अतिरेक खर्च के सम्बन्ध में अपनी मांगों को प्रस्तुत करने में सरकार को इतना अधिक समय नहीं लगाना चाहिये। इन मांगों का सम्बन्ध १९५३-५४ वर्ष से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा की जानकारी के लिये बता दूं कि महालेखा-परीक्षक तथा लोक-लेखा समिति से यह प्रार्थना की गई है कि वे पहिले इन अतिरेक खर्चों को छांटें और उन पर अपना प्रतिवेदन दें और उन्हें समिति के सामान्य प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने की प्रतीक्षा न करें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : हाल में लोक-लेखा समिति ने २७ नवम्बर, १९५६ को अपने इक्कीसवें प्रतिवेदन में भी कहा था कि इस सम्बन्ध में कम से कम समय लगना चाहिये।

अनुच्छेद ११५ के उपबन्धों के अधीन वे सौ वर्ष बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। किन्तु अनुच्छद ११५ का यह मंशा नहीं है। अनुच्छेद ११५ का भाव यह है कि खर्च किये जाने से पहिले उसकी मंजूरी ली जाने चाहिये। संसद् सर्वोच्च प्राधिकार होने के कारण सदैव ध्यान में रहनी चाहिये।

†**श्री कामत** : मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या ८ तथा ९ प्रस्तुत किये हैं। प्रथम कटौती प्रस्ताव से सम्बन्धित मांग के सम्बन्ध में पाद-टिप्पण में कहा गया है कि सरकार और १९ लाख रुपये दे रही है।

मुझे आशा है कि नये मंत्री का रवैया उपमंत्री के रवैये की भांति सहानुभूति से रहित न होगा।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कामत]

मुझे त्रिची से कुलीतलाई के ज़िला बोर्ड के सदस्य श्री गोविन्दन का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अरियालूर दुर्घटना के स्थान पर अधिकारियों द्वारा बड़ी बेरहमी का परिचय दिया गया था। मैं इसमें से तत्सम्बन्धी भाग पढ़ने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में जब किसी सदस्य को इस प्रकार का पत्र मिले तो उसे उसकी एक प्रति मंत्री महोदय को देनी चाहिये ताकि वह स्थिति के वास्तविक तथ्यों की पुष्टि कर सकें।

†**श्री कामत** : यह पत्र मुझे आज प्रातःकाल मिला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे पूरा न पढ़ें।

†**श्री कामत** : श्री गोविन्दन जो कुलीतलाई के ज़िला बोर्ड के सदस्य हैं ने दुर्घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। वह लिखते हैं कि स्त्रियां तथा बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए थे। इन घायलों को जब लोगों ने बाहिर निकालना चाहा तो अधिकारियों द्वारा इन्हें रोका गया। मैंने स्वयं देखा कि स्त्रियों के डिब्बे में पैट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाई गई थी। अधिकारियों ने मृतक व्यक्तियों के सम्बन्धियों की इस प्रार्थना पर कुछ ध्यान न दिया कि कम से कम मृतकों को एकबार देख तो लेने दीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक गम्भीर आरोप है। मुझे विश्वास है कि इस बात की ओर विशिष्ट ध्यान दिया जायेगा और इसकी विशिष्ट जांच की जायेगी।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य जो पत्र पढ़ रहे हैं वह मूल पत्र मुझे दे दिया जाय। जो समिति इस मामले की जांच कर रही है, मैं उसके द्वारा इस बात की छानबीन भी कराऊंगा। ये अत्यन्त गम्भीर आरोप हैं और हमें इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

†**श्री कामत** : अन्तिम वाक्य इस प्रकार है कि यदि ज़िला कलक्टर ने आदेश दिया होता तो चार घन्टे के समय में डिब्बों को हटाया जा सकता था और कई और व्यक्तियों को बचाया जा सकता था। बहुत ही कम संख्या में मज़दूरों द्वारा यह काम किया गया और इसलिये प्रत्येक बात में विलम्ब हुआ।

मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस सारी बात की जांच करेंगे और इस क्रूर बात के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मुझे बताया गया है कि ज़िला कलक्टर या ज़िला अधिकारियों द्वारा अरियालूर में एक सहायता समिति गठित की गई है। मेरी सूचना के अनुसार इसमें केवल कांग्रेस के ही व्यक्ति लिये गये हैं। यदि यह सत्य है तो मुझे विश्वास है कि इसमें अन्य दलों के व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जायेगा ताकि जनसाधारण तथा पीड़ित व्यक्तियों को समिति में विश्वास हो सके।

†**श्री जगजीवन राम** : क्या यह सरकारी समिति है या ग़ैर-सरकारी समिति ?

†**श्री कामत** : मेरी सूचना यह है कि यह ज़िला कलक्टर द्वारा स्थापित सहायता समिति है।

महबूबनगर दुर्घटना के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमें बताया था कि उन्होंने उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा वापिस लेने के लिये राज्य-सरकार से कहा है जिसने इस उद्देश्य से गाड़ी की ज़ंजीर खींची थी कि वह पुल को हानि होने की चेतावनी रेलवे अधिकारियों को दे सके। उसने दुर्घटना से २४ घन्टे पूर्व यह चेतावनी दी थी। उसका धन्यवाद करने की अपेक्षा उस पर मुकदमा चलाया गया है और अभी तक इसे वापिस नहीं लिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : ज़ंजीर खींचने जैसे अपराध के लिये जब तक रेलवे प्राधिकारी कोई कार्यवाही न करें, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार स्वयं इस दिशा में कुछ कर सकती है ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : कई स्थानों पर ऐसा हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में यह आरोप लगाया गया था कि किसी व्यक्ति ने ज़ंजीर खींच कर गाड़ी ठहराने का प्रयत्न किया था । गाड़ी को रोका नहीं गया था । तत्कालीन रेलवे मंत्री ने कहा था कि वह इस सम्बन्ध में प्रयत्न करेंगे कि मामला वापिस ले लिया जाय । मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि जब तक रेलवें प्राधिकारी कुछ कार्यवाही न करें, तब तक राज्य सरकार कैसे मुकदमा चला सकती है । प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है जिसने ज़ंजीर खींच कर दुर्घटना को होने से रोकने का प्रयत्न किया था । मुझे वास्तव में इस पर आशंका होती है कि किसी पदाधिकारी को शिकायत करने का साहस किस प्रकार हुआ ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह उप-निरीक्षक के हाथ में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक रेलवे प्राधिकारी कुछ कार्यवाही न करें, उप-निरीक्षक का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यही बात है । एक मामले में हम अभियोजन को चलाना नहीं चाहते थे परन्तु उप-निरीक्षक ऐसा चाहता था और वह सफल हुआ । रेलवे प्राधिकारी अभी तक प्रयत्न कर रहे हैं कि अभियोजन न चलाया जाय ।

†**श्री अलगेशन** : जो कुछ मैं कह रहा हूं, हो सकता है वह ग़लत हो, जब यह बात उठाई गई थी तो उस समय मैं यहां उपस्थित था और श्री लाल बहादुर शास्त्री माननीय सदस्य को या किसी अन्य सदस्य को जिसने यह बात उठाई थी, उत्तर दे रहे थे । उन्होंने कहा है कि उन्होंने सम्बन्धित व्यक्ति से बात की थी और यह भी कि ट्रेन की जंजीर उस दिन नहीं, बल्कि उसके एक दिन पहले खींची गई थी । जंजीर उसी दिन नहीं खींची गई थी । यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यह सज्जन उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जो कि दुर्घटना की शिकार बनी थी और उसने पुल के सम्बन्ध में लोगों को चेतावनी देने के लिये जंज़ीर खींची.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह अर्द्ध-रात्र के ठीक पहले ही हुआ था, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह १२ बजे हुआ था ?

†**श्री अलगेशन** : उन्होंने कहा है कि वह एक दिन पहले हुआ था, उसी दिन नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सूक्ष्मता से, बिल्कुल ही नियम के अनुसार देखा जाये, और यदि वह घटना अर्द्ध-रात्रि के बाद १२ बजकर ५ मिनट पर नहीं बल्कि ११ बजकर ५० मिनट पर ही अर्द्धरात्रि से पहले घटी थी, तो माननीय मंत्री का कथन बिलकुल सही था । इस मामले की जांच-पड़ताल की जानी चाहिये ।

†**श्री अलगेशन** : नहीं, इस प्रकार नहीं हुआ था । मैं बिलकुल ठीक-ठीक समय नहीं बता सकता । इस प्रश्न को बार-बार उठाने पर, उन्होंने कहा था कि इस सज्जन का उस ट्रेन से कोई भी सम्बन्ध नहीं था जो दुर्घटना का शिकार बनी थी । जंजीर एक दिन पहले खींची गई थी । उन्होंने यही कहा है । मुझे उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है । उन्होंने कहा था कि वे उस सम्बन्धित व्यक्ति से मिले थे, और उसका दुर्घटना से कोई सम्बन्ध नहीं था । इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि वे आन्ध्रदेश

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अलगेशन]

की राज्य सरकार से उस अभियोजन को वापस ले लेने के लिये भी कहेंगे। मुझे पता नहीं कि अब इस समय वह मामला किस अवस्था में है।

†**श्री कामत** : इस सभा में रेलवे मंत्री ने दो वक्तव्य दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी जांच के लिये उन्हें कहूंगा।

†**श्री कामत** : मैं श्री त० ब० विठ्ठल राव द्वारा की गई इस मांग का जोरदार समर्थन करता हूं कि अड़ियालूर दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने में संसद् सदस्यों को भी असीसरों के रूप में सम्बद्ध किया जाय।

रघुनाथपल्ली की दुर्घटना के सम्बन्ध में, मैंने प्रधान मंत्री को उपमंत्री से यह कहते हुए सुन लिया था कि दुर्घटना समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

आशा है कि प्रधान मंत्री के अनुदेश पर इसे चालू सत्र के समाप्त होने से पहले सभा-पटल पर रखा जायगा।

मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या ९ विभागीय रूप में की जाने वाली भोजनादि की व्यवस्था के सम्बन्ध में है। तमाम केन्द्रों में इस विभागीय सेवा का स्तर बहुत गिर गया है।

इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैंने इसके सम्बन्ध में कई शिकायतें सुनी हैं कि जबसे भोजनादि की इस व्यवस्था को विभाग के प्रबन्ध में रख दिया गया है, तबसे कर्मचारी यह अनुभव करने लगे हैं कि वे सरकारी सेवक बन गये हैं और अब उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिये वे काम में सुस्ती करने लगे हैं। वे स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखते। मैं मानता हूं कि मैंने जब भी ट्रेन में खाना खाया है, मुझे तो अच्छा ही खाना मिला है। लेकिन, उसमें सुधार किया जा सकता है। तमाम अन्य लोगों ने भोजन के सम्बन्ध में भी शिकायतें की हैं। यह तो अच्छा हुआ है कि निजी ठेकेदारों से इनका प्रबन्ध ले लिया गया है, लेकिन अब उसमें पर्यवेक्षण का अभाव हो गया है। मुझे आशा है कि इसकी ओर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मांग संख्या १० में श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन क्षय-ग्रस्त रोगियों के लिये जिस भी आरोग्य आश्रम में पलंग सुरक्षित किये जाते हैं, उसमें प्रति पलंग कितना खर्च बैठता है? चिकित्सा की आधुनिक पद्धति से तपेदिक के तमाम रोगी निरोग बनाये जा सकते हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि रेलवे प्रशासन को अपने यहां के कर्मचारियों का आमतौर पर एक्स-रे करना चाहिये, जिससे कि रोग का पता उसकी आरम्भिक अवस्था में ही लग सके। क्या आरोग्य आश्रमों में रहने के काल में, रेलवे कर्मचारी रोगियों का वेतन रोक लिया जाता है, या उन्हें उस काल का पूरा वेतन दिया जाता है, और क्या इन आरोग्य आश्रमों में रेलवे कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्य भी रह सकते हैं?

रेलवे वाहनों की दशा, और विशेषकर उंचे दर्जे के वाहनों की दशा बहुत ही खराब हो गई है। उनमें उपकरणों का भी अभाव है। उनके पंखे काम नहीं करते और छतें भी चूने लगती हैं। आप या तो उन्हें बिलकुल ही हटा दें, या उनमें काफ़ी सुधार करें।

मुझे बताया गया है कि शीतोष्ण नियन्त्रित डिब्बों में पूरी सीटें नहीं भर पातीं, अक्सर वे खाली ही चलते हैं। इसका कारण यही है कि उनका किराया बहुत अधिक है। यदि उनके किराये में ५० प्रतिशत कमी कर दी जाये, तो शायद अधिक लोग उनका उपयोग करने लगें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : अन्य बातों की अपेक्षा, मैं इसे अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं कि रेलवे बोर्ड को देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान देना चाहिये । इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से उन्नत बनाना बड़ा आवश्यक है ।

मैं इस मांग से सहमत हूं । रेलवे मंत्रालय की आलोचना करने के साथ-साथ, हमें उसके कार्य का उचित मूल्यांकन भी करना चाहिये । रेलवे मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड में पांच अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करके ठीक ही किया है । रेलवे मंत्रालय ने इसमें प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार ही कार्य किया है । प्राक्कलन समिति की यही सिफारिश थी कि निदेशकों के पदों को इस स्तर तक ऊंचा कर देना चाहिये कि वे रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बन सकें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

रेलवे मंत्रालय एक बहुत विशाल संगठन है । उसकी कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये, रेलों का संचालन उचित रूप से करने के लिये यह आवश्यक है कि हम उसे अधिक दृढ़ बनायें ।

रेलवे की समस्यायें भी अनेक हैं । ये सभी प्रकार की समस्यायें हैं । हम अपने आय-व्ययक का काफ़ी बड़ा भाग रेलवेज़ के लिये रखते हैं । आशा है कि बोर्ड के ये नये अतिरिक्त सदस्य सभा द्वारा उनसे की गई आशाओं को पूरा कर सकेंगे और इस कार्य से रेलवेज़ की कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी ।

रेलवेज़ की कार्य-कुशलता का पता लगाने का केवल यही तरीका नहीं है कि दुर्घटनाओं की संख्या का पता लगाया जाये । उसके दूसरे भी तरीक़े हैं, और आशा है कि रेलवे मंत्रालय या रेलवे बोर्ड पूरी तौर पर मूल्यांकन किये जाने पर कार्य-कुशल ही सिद्ध होगा ।

डिवीज़नें बनाने की योजना के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है । मुझे इसके सम्बन्ध में यही कहना है कि हमें केवल कष्टों की सूची ही नहीं गिना कर रह जाना चाहिये, क्योंकि कष्टों से हीन तो कोई संगठन, बल्कि यह संसार भी, हो ही नहीं सकता । यह दृष्टिकोण उचित नहीं है । हमें संगठन द्वारा होने वाले कष्टों और उसकी सफलताओं, दोनों ही को ध्यान में रख कर अपना निर्णय करना चाहिये । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि डिवीज़न बना देने की इस योजना से रेलवे की कार्य-कुशलता बढ़ी है, मुझे केवल यही शिकायत है कि रेलवे बोर्ड ने इसे सभी रेलों में लागू नहीं किया है । और बोर्ड ने इसे लागू करने में भी काफ़ी विलम्ब कर दिया है । आशा है कि अन्य दो रेलवेज़ में भी इस प्रशासकीय सुधार को लागू करने में अनुचित विलम्ब नहीं किया जायेगा ।

आरम्भ से ही, रेलवेज़ के सभी श्रेणियों के कर्मचारी वेतन-ढांचे के सम्बन्ध में शिक़ायतें करते रहे हैं । अब क्लर्कों और सहायक शल्य-चिकित्सकों की वेतन-श्रेणियों का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, वह तो ठीक है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे प्रशासन के सभी स्तरों पर वेतन-श्रेणियों की जांच करके उनके ढांचे को वैज्ञानीकृत किया जाये । कल वित्त मंत्री ने कहा भी था कि वे राज्य और केन्द्र के स्तरों के वेतन-श्रेणियों में अन्तर नहीं रखना चाहते । मेरा अनुरोध यही है कि समूचे वेतन-ढांचे का पुनरीक्षण किया जाये; और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन उसके काम के ख़तरों तथा श्रम के अनुपात में ही निर्धारित किया जाना चाहिये ।

मंत्रालय द्वारा दी गई पुस्तिका के पृष्ठ ५ पर कहा गया है कि "इंजन-डिब्बों को बनाये रखने के अन्तर्गत जो कमी की गई है वह मुख्यत: हड़तालों इत्यादि, और विशेष मरम्मतें अपेक्षाकृत कम की जाने और इंजन-डिब्बों की मरम्मतों पर आशा से कम व्यय होने के कारण कारख़ानों का उत्पादन घट जाने के फलस्वरूप ही है ।" इन हड़तालों का क्या कारण था ? उत्पादन में कमी क्यों हो गई थी ?

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री दी० चं० शर्मा]

ये रेलवे कारख़ाने ही रेलवे मंत्रालय के सबसे मुख्य भाग हैं, इसलिये इंजन-डिब्बों को बनाये रखने की ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये । आवश्यक होने पर कुछ नये कारख़ाने भी खड़े करने चाहियें ।

मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री ज० रा० मेहता** (जोधपुर) : भूतपूर्व रियासतों के रेलवे अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में एकीकृत करने का प्रश्न पिछले पांच-छः वर्षों से अनिर्णीत पड़ा हुआ है । इस प्रश्न के निर्णय के साथ ही, उन अधिकारियों की वरिष्ठता, प्रतिष्ठता और भावी नौकरी का प्रश्न जुड़ा हुआ है ।

भूतपूर्व रियासतों के रेलवे अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्णय करने वाले सिद्धान्तों को निश्चित करने में ही लगभग चार वर्ष लग गये हैं । इस पर काफ़ी विवाद चल पड़ा था और तबके रेलवे मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा था । उन्होंने गत आय-व्ययक सत्र में ही एक प्रकार से उचित इस सूत्र की घोषणा की थी । इसमें चार वर्ष लग गये थे । मंत्रालय के आश्वासन पर, उन अधिकारियों ने भी इस सूत्र को स्वीकार कर लिया था ।

लेकिन, खेद तो इस बात का है कि भूतपूर्व रियासतों के रेलवे अधिकारियों को एक सीमित रूप में सहायता पहुंचाने वाल इस सूत्र को भी कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया है । इस सूत्र का एक सिद्धान्त यह भी था कि प्रथम श्रेणी में आगे चल कर जितने भी स्थान रिक्त होंगे उनका १६$\frac{2}{3}$ प्रतिशत भाग भूतपूर्व रियासतों के रेलवे अधिकारियों की पदोन्नति के लिये सुरक्षित कर लिया जायेगा, जिन्हें अभी तक दूसरी श्रेणी में ही रखा गया है । आज नौ महीने इसकी घोषणा को हो चुके हैं, फिर भी इस सिद्धान्त को कार्यान्वित नहीं किया गया है । रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करना चाहिये ।

मैं इसके लिये माननीय मंत्री से विशेष तौर पर अनुरोध करता हूं । आशा है कि रेलवे बोर्ड भी इन आदेशों को कार्यान्वित करने की ओर विशेष ध्यान देगा । इसमें अधिक विलम्ब करना उनके प्रति अन्याय होगा ।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम्—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्री उ० मू० त्रिवेदी ने केवल इस आधार पर सुरक्षा बल के अधिकारियों और रेलवे कर्मचारियों की भर्त्सना की है कि वे ब्रिटिश शासन काल में भी नौकरी करते थे । उन्होंने 'वाच एण्ड वार्ड डिपार्टमेंट' को लूटने का विभाग कहा है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैं जानता हूं कि ये कर्मचारी रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिये बहुत अधिक परिश्रम करते हैं । एक-दो अधिकारी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है ।

यह बड़े खेद की बात है कि सभी मंत्रालय कई एक विषयों के सम्बन्ध में अधिक अनुदानों की मांग करते हैं, लेकिन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिक वेतन देने के लिये कोई भी मंत्रालय अधिक अनुदानों की मांग नहीं करता । अधिक वेतन पाने वालों के लिये ही वेतन-वृद्धि और भत्तों की व्यवस्था की जाती है । भारतीय रेलों के कम वेतन पाने वाले, और विशेष कर सुरक्षा बल के कर्मचारियों की वेतन-श्रेणियों का पुनरीक्षण करना चाहिये । 'सुरक्षा बल' का नाम बदल देने से कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, मुख्य बात तो उनको अधिक वेतन, उचित प्रशिक्षण, उचित उपकरण और निवास के लिये अच्छे स्थान देने की ही है । इनके बिना इन कर्मचारियों की कार्य-कुशलता नहीं बढ़ सकेगी ।

गत दो वर्षों में रेलवे की इतनी सारी दुःखद दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यही है कि रेलवे मार्गों और पुलों की उचित सुरक्षा के लिये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है । हैदराबाद की दुर्घटना के बाद ही रेलवे बोर्ड को लाइनों और पुलों पर गश्त लगाने की स्थायी व्यवस्था कर देनी चाहिये थी । आशा है कि अब भी वे उसकी ओर उचित ध्यान देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गश्त लगाने वाला कर्मचारी ६ मील के लिये उत्तरदायी होता है। इतने अधिक क्षेत्र में उचित रूप से गश्त नहीं की जा सकती। इसे घटा कर दो या तीन मील कर देना चाहिये। लाइनों और पुलों की गश्त लगातार होती रहनी चाहिये।

रेलवे बोर्ड को रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये, अन्यथा आप उनसे कड़े परिश्रम की आशा भी नहीं रख सकते।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री, अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

†**श्री पुन्नूस** (आलप्पि) : औचित्य प्रश्न के हेतु, मंत्री महोदय का भाषण सुनने के लिये सभा में गणपूर्ति होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जाये। अब सभा में गणपूर्ति है।

†**श्री अलगेशन** : सर्वप्रथम मैं रेलवे बोर्ड के विस्तार का प्रश्न लेता हूं। यह बात इस सभा में अप्रत्याशित रूप में नहीं आई है। इस बात पर पहले सभा में इससे पहले वाद-विवाद हो चुका है और सभा की यह लगभग सर्वसम्मत राय थी कि रेलवे संघठन पर सामान्य रूप से और उसके उच्चतम कार्यपालकों पर विशेष रूप से काम का बोझ बढ़ गया है, इसलिये रेलवे संघठन को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सभा द्वारा अभिव्यक्त की गई उस इच्छा के अनुसार ही यह कार्यवाही की गई है। केवल इतना ही नहीं। सभा की प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार किया था। उसने भी, इस सभा और रेलवे मंत्रालय के समान ही, यह अनुभव किया है कि रेलवे संघठन के समस्त स्तरों पर, जिनमें रेलवे बोर्ड भी सम्मिलित है, कर्मचारियों तथा सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये। उन्होंने यह बात अपने प्रतिवेदन में बड़े जोरदार शब्दों में कही है, मैं उस प्रतिवेदन में वह बात पढ़ कर तो नहीं सुनाना चाहता, परन्तु उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड के सभी सदस्यों को नीति बनाने, और निरीक्षण आदि के लिये जाने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है और इसलिये उन्हें विभिन्न रेलों के नित्य प्रति के प्रशासन तथा समन्वय कार्यों से मुक्त कराया जाये। बोर्ड के सभी सदस्यों को इन कार्यों से मुक्त कराने और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को दक्षतापूर्वक कार्यान्वित कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही ये नई नौकरियां बनाई गई हैं।

सभा को ज्ञात है कि रेलवे की द्वितीय योजना १·१२५ करोड़ रुपये की है। यह प्रथम योजना की अपेक्षा तीन गुना से अधिक है। अतः इसमें अनेकानेक योजनाओं को कार्यान्वित करना है।

आप वर्कशाप के विस्तार का प्रश्न ही ले लीजिये। हम मरम्मत सम्बन्धी अधिक सुविधायें देना चाहते हैं क्योंकि अब मरम्मत का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। न केवल वर्तमान वर्कशापों का विस्तार ही करना है, अपितु नई वर्कशापें भी स्थापित करनी हैं। इसके लिये बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा पूरा-पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। श्री एन्थनी न इंजन कर्मचारियों क लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की विद्यमानता अथवा अभाव का उल्लेख किया है। प्रशिक्षण सुविधाओं तथा प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों आदि का प्रश्न इतना बड़ा है कि उसकी ओर कार्यपालिका के एक सदस्य को ध्यान देना होगा।

अतः यह अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है कि न केवल प्रवर्तन की दृष्टि से, बल्कि मरम्मत वर्कशाप सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने और सिगनल व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से भी रेलवे बोर्ड का काम बहुत अधिक बढ़ गया है। बोर्ड के समस्त सदस्यों को अन्य कार्यों से मुक्त करके इन विशेष कार्यों में लगाने की दृष्टि से ही ये अतिरिक्त नियुक्ति स्थान उत्पन्न किये गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अलगेशन]

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है। प्राक्कलन समिति ने इस पर विचार किया है। उसने यही अनुभव किया है कि जबकि मध्यम श्रेणी के नियुक्त स्थान बनाये जा रहे हैं, तो उन स्थानों पर जो लोग नियुक्त किये जायें, उनका पद महाप्रबन्धकों का हो जिससे वे महाप्रबन्धकों को आदेश दे सकें। वे इस पद से नीचे न हों। इसलिये, ये अतिरिक्त सदस्य महाप्रबन्धकों के पद पर नियुक्त होंगे और उन्हें उसी पद के मुताबिक वेतन दिये जायेंगे। प्राक्कलन समिति द्वारा भी यही सिफारिश की गई है।

कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इन अतिरिक्त सदस्यों द्वारा वास्तव में क्या क्या काम किया जाता है अथवा उन्हें क्या काम सौंपा गया है। हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया है कि जब मध्यम-श्रेणी की नियुक्तियां की जा रही हैं तो वह केवल एक सहायक के रूप में कार्य न करे, अपितु स्वतन्त्रतापूर्वक अपना एक निश्चित कार्य करे और लाल-फीता शाही को समाप्त करें। अतः इन अतिरिक्त सदस्यों को विशिष्ट विभाग आवंटित कर दिये गये हैं। कई मामलों को तो वे निर्णय के लिये सीधे ही मंत्री जी के पास भेज सकेंगे। इस बात की कोई आवश्यकता न होगी कि वे मामले सम्बन्धित सदस्यों के माध्यम से ही भेजे जायें। और बोर्ड में जब कभी उनसे सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर चर्चा होगी, तो उस समय वे बोर्ड की बैठक में भी उपस्थित हो सकेंगे। एक सदस्य द्वितीय पंच-वर्षीय योजना से सम्बन्ध रखने वाले समस्त सर्वेक्षणों तथा निर्माण कार्यों का इंचार्ज है। वह निर्माण कार्य सम्बन्धी अतिरिक्त सदस्य कहलाता है। इसी प्रकार से यंत्र कार्य सम्बन्धी अतिरिक्त सदस्य यंत्र-विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, वर्कशापों के पुनर्निरूपण[1] तथा विस्तार और उत्पादन केन्द्र आदि खोलने का इंचार्ज है। वाणिज्यिक कार्य की देखभाल करने के लिये भी एक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया गया है। एक अन्य अतिरिक्त सदस्य खातों का और विशेष कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सम्बन्ध रखने वाले खातों का इंचार्ज है। एक अन्य अतिरिक्त सदस्य गज़ेटिड तथा गैर-गज़ेटिड कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण आदि का जिम्मेवार है। वह नियुक्तियों और पदोन्नति आदि से सम्बन्ध रखने वाली शिकायतों की ओर भी ध्यान देगा।

इस प्रकार से इन पांच अतिरिक्त सदस्यों को विशेष-विशेष कार्य सौंपे गये हैं और काम की ज्यादती को घटा दिया गया है, और लाल-फीता शाही समाप्त कर दी गई है। यद्यपि वे वास्तव में रेलवे बोर्ड के पूर्ण सदस्य नहीं हैं तो भी वे व्यावहारिक दृष्टि से बोर्ड के स्वतन्त्र सदस्यों के समान ही काम कर रहे हैं। जैसा कि सदस्यों को परिचालित किये ज्ञापन में बताया गया है, इन पदाधिकारियों पर इस वर्ष २ लाख रुपया खर्च आयेगा; और सम्भव है कि यह खर्च अगले वर्ष बढ़ जाये।

क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें पूछी हैं अतः मैं नहीं समझता कि मैं इतने थोड़े से समय में इन सभी का उत्तर दे सकूंगा। फिर भी मैं अधिक से अधिक बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और छूट गई बातों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा और उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री विट्ठल राव ने यह कहा है कि भविष्य निधि, उपदान आदि के लिये शेष आधे भत्ते को भी सम्मिलित किया जाये। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका सम्बन्ध केवल रेलवे से है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध सारी भारत सरकार और उसके समस्त विभागों से है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि १९५२ में एक समिति ने, जिसका सभापतित्व एक संसद-सदस्य ने किया था, इस प्रश्न पर विचार किया था और उन्होंने अन्त में यही निर्णय दिया है कि भविष्य निधि, और उपदान आदि के लिये वेतन में आधा वर्तमान भत्ता सम्मिलित किया जाये, और शेष आधा भाग केवल भत्ते के रूप में ही

[1] Remodelling.

दिया जाये। प्रतिवेदन आ जाने पर सरकार ने भी इन सभी सिफ़ारिशों को ज्यूं का ज्यूं मान लेने का निर्णय किया। रेलवे विभाग ने भी अन्य विभागों के समान ही सरकार के इस निर्णय को लागू किया है। अतः अब रेलवे के लिये उचित नहीं है कि केवल वही शेष आधे भत्ते को भी इस प्रयोजन के लिये वेतन में सम्मिलित कर ले। यदि यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय है तो इस पर समस्त सरकारी विभागों की दृष्टि से विचार किया जाये और न कि केवल रेलवे विभाग की दृष्टि से विचार किया जाये। अतः श्री विट्ठल राव द्वारा पूछे गये इस प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री कामत ने विभागीय भोजन-व्यवस्था का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि वे विभागीय भोजन व्यवस्था के मुख्य प्रेरक तथा समर्थक रहे हैं। वे विभागीय भोजन-व्यवस्था को शुरू करने और उसके विस्तार का समर्थन करते रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि सेवा के स्तर की ओर कोई ध्यान न दिया जाये। वास्तव में रेलों में विभागीय भोजन-व्यवस्था लागू करने का निर्णय इस उद्देश्य से किया गया था कि गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा जैसा भोजन संभरित किया जाता था उसके स्तर को सुधारा जा सके, क्योंकि वह भोजन संतोषजनक न था और उसी के कारण इस सभा के सदस्यों तथा दूसरी सभा के सदस्यों द्वारा कई प्रकार की शिकायतें आती थीं।

†**श्री कामत** : परन्तु मुझे तो कोई भी व्यक्तिगत शिकायत नहीं करनी है।

†**श्री अलगेशन** : तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्हें अच्छा भोजन मिल गया है। मुझे तो यह सूचना मिली थी कि उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिला था, इसीलिये मैं अधिक चिन्तित था। माननीय सदस्य खराब कॉफ़ी के कारण अप्रसन्न हो गये थे और उन्होंने गाड़ी की जंजीर खींच दी थी जिसके कारण गाड़ी लगभग आधे घण्टे तक खड़ी रही।

†**श्री कामत** : ऐसा केवल एक बार हुआ था तथा गाड़ी आधा घंटा खड़ी नहीं रही थी।

†**श्री अलगेशन** : वैसे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मैं जानता हूं कि सभा के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, परन्तु मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ेल गाड़ी का प्रत्येक यात्री घटिया कॉफ़ी अथवा घटिया भोजन मिलने पर जंजीर खींच कर गाड़ी खड़ी करने लगे, तब तो गाड़ियों के चलने पर बड़ा बुरा प्रभाव होगा। श्री कामत की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये था, परन्तु मुझे बताया गया है कि विशष ध्यान नहीं दिया गया था।

†**श्री कामत** : मैं कोई विशेष कृपा नहीं चाहता। परन्तु मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा और उनके व्यवहार को पसन्द नहीं करता।

†**श्री अलगेशन** : इसमें पसन्द करने या न करने का कोई प्रश्न नहीं। माननीय सदस्य द्वारा प्रयुक्त की गई किसी शब्दावली को यदि मैं पसन्द न भी करूं तो भी मैं उनकी कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता।

†**श्री कामत** : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मंत्री महोदय द्वारा प्रयुक्त किये गये इस वाक्य को आप कैसे सहन कर रहे हैं : "कि श्री कामत विशिष्ट प्रकार के विशेषाधिकार चाहते हैं।" मैं इसका कोई दावा नहीं करता।

†**श्री जगजीवन राम** : तो इसमें औचित्य प्रश्न कैसे पैदा होता है ?

†**श्री कामत** : मैं अपने लिये कोई अलग विशेषाधिकार नहीं चाहता। इसी बात की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति । शांति । माननीय मंत्री के कथन का तात्पर्य यही था कि वे श्री कामत की बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे ।

†**श्री कामत** : मैं उनका विशेष ध्यान नहीं चाहता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति । तब ठीक है । कोई विवाद ही नहीं रह जाता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि एक प्याला कॉफ़ी के लिये ही ट्रेन की जंजीर खींची गई थी ?

†**श्री कामत** : यदि आप मुझे समय दें, तो मैं इसका स्पष्टीकरण कर सकता हूं । हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये कि क्या माननीय सदस्य के लिए कॉफी मंगाने के लिये गाड़ी का खड़ा करना वैध था या नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह निर्णय करना हमारा काम नहीं है ।

†**श्री अलगेशन** : विभागीय रूप में भोजनादि की व्यवस्था के सम्बन्ध में, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, वह यह कि हम भोजनादि की व्यवस्था करने वाले विभाग द्वारा सेवा का उचित मान-दण्ड बनाये रखने के लिये कार्यवाही करेंगे । इस सम्बन्ध में, माननीय सदस्यों के सुझाव और उनका सहयोग बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया जायेगा ।

मैं श्री कामत को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे कोई भी विशेष ध्यान नहीं चाहते । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : उन्होंने जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से ही जंजीर खींची थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसके लिये अब यहां बार-बार जंजीर खींचकर सभा का कार्य नहीं रोकना चाहिये ।

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्यों ने डिवीजनों के बनाने की योजना का उल्लेख किया है । श्री शर्मा ने अनुरोध किया है कि जिन रेलवेज़ में भी डिवीज़न नहीं बने हैं, उनमें डिवीजनों के बनाने की योजना को लागू करने का निर्णय होने के बाद यथासम्भव शीघ्रता से ही उसे लागू कर देना चाहिये । मैं उन्हें बता दूं कि पूरी परिस्थिति की अन्य सभी बातों को यदि ध्यान में रखा जाये, तो उस योजना को काफ़ी शीघ्रता से ही लागू किया जा चुका है । जिन रेलवेज़ में डिवीज़नों की प्रणाली नहीं है, उनका पुनर्गठन करते समय हमें कर्मचारियों के स्थानांतरण, उनके लिये मकानों की व्यवस्था, इत्यादि से सम्बन्धित कई मामलों पर विचार करना पड़ता है; उसमें हमें यह भी देखना पड़ता है कि ऐसे स्थानांतरणों से कर्मचारियों को कम से कम अव्यवस्था और असुविधा महसूस हो । यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाये, तो आप देखेंगे कि हमने सेन्ट्रल रेलवे, दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे में डिवीज़नों के बनाने की इस योजना को काफ़ी शीघ्रता से चालू कर दिया है, और ये रेलवेज़ अब इसी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं । किसी भी नई योजना को आरम्भ करने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव होना स्वाभाविक ही है; और इसमें भी कुछ कठिनाइयां पड़ती होंगी क्योंकि यह भी अभी आरम्भ ही हुई है, लेकिन वे जैसे ही जैसे आगे बढ़ती जायेंगी और कार्य-कुशलता से कार्य-संचालन करने का प्रयास करेंगी, उनको इसका अनुभव होता जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पूर्वोत्तर रेलवे में भी डिवीज़न प्रणाली को चालू करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सम्बन्धित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उनको अगले वर्ष अगस्त में कभी कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी ने क्षय-रोग सम्बन्धी आरोग्य आश्रम में रोगियों के लिये पलंग सुरक्षित करने का उल्लेख किया था और पूछा था कि उसमें प्रति रोगी कितना खर्च आता है। यह खर्च प्रत्येक संस्थान में भिन्न-भिन्न होता है, और मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वह प्रति पलंग २,००० रुपये पड़ता है। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या चिकित्सा के काल में सम्बन्धित रोगी का वेतन रोक लिया जाता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि सम्बन्धित कर्मचारी छुट्टी लेता है और छुट्टियों के नियमों के अनुसार उसका जितना वेतन शेष होता है ले लेता है। लेकिन, विशेष प्रकार के मामलों में, परिस्थितियों को देखते हुए, कर्मचारियों को कर्मचारी लाभ निधि में से विशेष सहायता भी दी जाती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने शीतोष्ण-नियंत्रित ट्रेनों का प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि तीसरे दर्ज़े की गाड़ियां लगभग खाली ही चलती हैं। मैंने भी शीतोष्ण-नियंत्रित गाड़ियों में यात्रा की है, और मैंने देखा था कि उस समय लगभग ५० प्रतिशत स्थान भरे हुए थे। शायद अन्य अवसरों पर ५० प्रतिशत से कुछ कम स्थान ही भरते हों।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : वह वास्तव में तीसरा दर्जा नहीं है, उसका किराया दूसरे दर्जे के लगभग बराबर ही होता ह ।

†**श्री अलगेशन** : मैं पहले भी इसका उत्तर दे चुका हूं। (**अन्तर्बाधा**) उसकी बर्थें गद्देदार होती हैं और सीटें पीछे को फैल सकती हैं। सारा डिब्बा शीतोष्ण-नियंत्रित रहता है। तीसरे दर्ज़े के यात्री को इसके लिये केवल ४ पाई प्रतिमील का एक अधिभार इसके लिये अलग से अदा करना पड़ता है। इतनी सस्ती लागत पर सुलभ, यही शायद सबसे सुविधा है। वास्तव में, यदि इस की पूरी लागत किराये में जोड़ी जाये तो, इसका अधिभार बहुत अधिक बढ़ जायेगा। इस अधिभार को इस वर्तमान स्तर पर निर्धारित करने का कारण यही है कि हम यह नहीं चाहते थे कि अधिभार और तीसरे दर्जे का किराया दोनों मिलकर दूसरे दर्जे के किराये से अधिक हो जायें। इसीलिये, तीसरे दर्ज़े का किराया और ४ पाई प्रतिमील का अधिभार दोनों मिलकर दूसरे दर्जे के वर्तमान किराये से कुछ कम ही बैठते हैं। आशा यही है कि तीसरे दर्जे के यात्री इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठायेंगे। साधारण तौर पर तो मैंने यही देखा है कि इसका लाभ वही लोग उठा रहे हैं जो सामान्यतः पहले या दूसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पहले सामान्यतः तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे। जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा और ये सुविधायें अधिक लोगों को ज्ञात होती जायेंगी, वैसे-वैसे आशा है कि साधारणतया तीसरे दर्जे में ही यात्रा करने वाले यात्री भी इन सुविधाओं से लाभ उठाने लगेंगे।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : अतिरिक्त किराया कौन अदा करेगा ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे मित्र श्री आजाद ने पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर ध्यान देने और नई लाइनों के डालने का प्रश्न उठाया था। हम वास्तव में चाहते हैं कि सभी पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो। सभा में इस प्रश्न पर पूरी तौर से चर्चा की गई थी। रेलवे की मूल योजना १४८० करोड़ रुपयों की थी, और चूंकि अब उसे घटाकर वर्तमान स्तर पर, अर्थात् ११२५ करोड़ रुपयों तक कर देना पड़ा है; इसलिये अब हमारा मूल प्रस्ताव भी ३,००० मील लम्बी बाकी नई रेलवे लाइनों के बनाने का नहीं रह सकेगा, उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल लगभग ८०० से ८५० मील नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा सकेगा, और यह निर्माण भी योजना में दी गई परियोजनाओं को ध्यान में रख कर ही किया जायेगा। यह एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, लेकिन

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अलगेशन]

हमें तथ्यों और कठोर यथार्थ बातों को ध्यान में रखकर चलना ही पड़ेगा । हमें इस समय ऐसे क्षेत्रों तक नई रेलवे लाइनों का विस्तार कर सकने के लिये शायद कुछ और भी रुकना पड़ेगा जहां कि अभी तक रेल सेवा नहीं पहुंच सकी है ।

मेरे माननीय मित्र ने ह्वीलर एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों का प्रश्न भी उठाया था, और उस समय के पीठासीन अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह तो कर्मचारियों और सम्बन्धित सार्थ (फ़र्म) के ही बीच का मामला है । लेकिन, मैं माननीय सदस्य को बताता हूं कि हम उस सार्थ का ध्यान इसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसके तथा कर्मचारियों के बीच के सम्बन्धों में जो भी त्रुटियां हों उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं ।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि अतिरिक्त मांगें सभा के सामने काफ़ी विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं । एक और भी पिछले अवसर पर यही कहा गया था । मैं इसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन जहां तक कि मंत्रालय का सम्बन्ध है, वह संविधान के अनुच्छेद ११५ के अन्तर्गत इन मांगों को तभी प्रस्तुत कर सकता है जब कि पहले विनियोग लेखों का निबटारा हो जाये और लोक-लेखा समिति उनकी जांच करने के बाद अपनी सिफ़ारिशें कर दे । मंत्रालय की ओर से, हमने इन अतिरिक्त मांगों को यथासम्भव शीघ्रता से ही सभा के सन्मुख प्रस्तुत किया है । ये अतिरिक्त मांगें पिछले सत्र में रखी गई थीं । विचार के लिये वे अब सभा के सामने आ सकी हैं । अध्यक्ष महोदय ने एक सुझाव यह दिया था कि लोक-लेखा समिति और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इन अतिरिक्त मांगों को प्राथमिकता देनी चाहिये और काफ़ी पहले उनकी जांच कर लेनी चाहिये, जिससे कि सभा यथासम्भव पहले ही इन पर चर्चा कर सके । सरकार समूचे रूप से इस प्रश्न पर विचार कर रही है, और इस सम्बन्ध में अब जो भी प्रक्रिया निश्चित की जायेगी, रेलवेज़ बड़ी प्रसन्नता से उसका अनुसरण करेगी ।

श्री विट्ठल राव ने एक कोयला खदान विशेष के सम्बन्ध में ४१ लाख रुपयों को बट्टे खाते में डालने का उल्लेख किया था । जहां तक मुझे स्मरण है, यह कोयला खदान वर्ष १९२३–२४ में आरम्भ की गई थी, और उसका उत्पादन कम होने के कारण आशा यह थी कि वह लगभग चार लाख टन कोयले का उत्पादन कर सकेगी, लेकिन उसका उत्पादन एक लाख टन ही रहा । इसलिये, निर्णय किया गया था कि उसमें एक नया स्तर विकसित किया जाये, और उसमें एक बहुत गहरा शैफ्ट खोदा भी गया था । उसकी खुदाई में काफ़ी धन लग गया था । लेकिन, इस पर भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी । वहां तमाम गैसें थीं, जिनके कारण मजदूर वहां काम नहीं कर सकते थे । इसलिये, वर्ष १९३६ में उसे बन्द कर देने का निर्णय किया गया था । उस वर्ष के बाद से ही यह खदान रेलवेज़ के पास है और वह इसकी ऊपरी सतह पर ही कोयले की खुदाई करती रही है । इसमें जो अधिक धन लगा था, उसे 'शैफ्ट' को बन्द करने का निर्णय करने के वर्ष में बट्टे खाते में नहीं डाला गया था । दो वर्ष पहले जब इस कोयला खदान को रेलवेज़ से हस्तांतरित करके उत्पादन मंत्रालय के अधीन रख देने का प्रश्न उठा था, तब नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कहा था कि इस राशि को राजस्व में जोड़ना चाहिये और इसकी हानि का भार रेलवेज़ को उठाना चाहिये । इसीलिये, इसे बट्टे खाते में डाल दिया गया था । लेकिन, यह शैफ्ट वर्ष १९३६ में बन्द किया गया था, और यह राशि भी उसी समय की है, जिसका समायोजन अब किया गया है । इसीलिये, इसे अतिरिक्त मांगों में सम्मिलित किया गया है और अब इस रूप में आप के सामने प्रस्तुत की गई है ।

†**श्री जगजीवन राम** : सभा को विदित है कि किन परिस्थितियों में मेरे पूर्वाधिकारी ने त्याग-पत्र दिया था और रेलवे मंत्रालय का दायित्व मुझे किन असाधारण परिस्थितियों में सौंपा गया था । इस कठिन कार्य में, मैं सभी के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मैं, अपने पूर्वाधिकारी की भांति ही, रेलवेज़ की कार्य-कुशलता को ऊंचे स्तर पर बनाये रखने का प्रयास करूंगा ।

वाद-विवाद की अधिकांश बातों का उत्तर उपमंत्री दे ही चुके हैं ।

श्री कामत ने विभागीय भोजन-व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत की थी । भोजन की व्यवस्था के बारे में, मैं अधिक नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उस मामले की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा कि हम भोजनादि के प्रबन्ध को किस हद तक विभाग के हाथ में लें और किस हद तक उसे निजी ठेकेदारों हाथ में के रहने दें । और, जहां भी भोजनादि की व्यवस्था विभाग की ओर से की जायेगी, वहां इस बात का वास्तविक प्रयास किया जायेगा कि भोजनादि की व्यवस्था का एक उचित स्तर बनाये रखा जाये । यह तो सच है कि रेलों का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की रुचि को सन्तुष्ट करना एक काफ़ी कठिन कार्य होगा ।

हाल ही में कुछ बड़ी गम्भीर दुर्घटनायें हो चुकी हैं । प्रत्येक को उनसे दुःख होगा । श्री फ्रैंक एन्थनी ने रेलवेज़ की दशा का एक बहुत ही निराशाजनक और उत्साहहीन चित्रण किया था ।

परन्तु मैं यह कहने का साहस करता हूं कि स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी कि उन्होंने सभा के समक्ष व्यक्त करने का प्रयत्न किया है । फिर भी मैं उन्हें और सभा को विश्वास दिलाऊंगा कि पथ का अधिक अच्छा पर्यवेक्षण करने और इंजनों की अधिक अच्छी मरम्मत के लिये प्रशासन व्यवस्था में जिन परिवर्तनों और रूपभेदों की आवश्यकता है उन्हें करने का मैं प्रयास करूंगा ।

इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि रेलों का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है कर्मचारियों में वृद्धि गुण प्रकार की दृष्टि से रेलवे के विस्तार के अनुकूल नहीं है, अतः पर्यवेक्षण के कार्य में कुछ ढील आई है । मैं प्रयत्न करूंगा कि व्यवस्था को अधिकाधिक सुदृढ़ बना सकूं, और पर्यवेक्षण कार्य भली प्रकार हो । मैं ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का विचार भी कर रहा हूं जिस से बड़े पुलों का अधिक अच्छा निरीक्षण किया जा सके । मैं इस पर भी विचार कर रहा हूं कि क्या हम वर्षा और बाढ़ों के लिये भी कोई योजना बना सकते हैं अथवा नहीं ।

श्री एन्थनी ने भी कर्मचारियों सम्बन्धी कतिपय प्रश्न उठाए हैं । मैं उनमें से प्रत्येक का उत्तर नहीं दूंगा; मैं उन्हें केवल यह विश्वास दिलाऊंगा कि मैं रेलवे बोर्ड से उन मामलों की जांच के लिये कहूंगा ।

उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के लिये निवृत्ति वेतन की योजना का प्रश्न भी उठाया है । इस उत्तर-दायित्व को लेने से पूर्व मैंने भी इस विषय में सोचा था कि रेलवे में निवृत्ति वेतन की योजनायें क्यों न हों । निस्संदेह वर्तमान कर्मचारियों के लिये यह वैकल्पिक होगा । हम इस पर विचार कर सकते हैं कि केवल नये कर्मचारियों के लिये निवृत्ति वेतन की योजना हो, परन्तु वर्तमान कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना अथवा निवृत्ति वेतन योजना में से चुनने के लिये विकल्प दिया जाये । और मैं यह प्रयत्न करूंगा कि किसी प्रकार की निवृत्ति वेतन योजना यथासंभव शीघ्र पुरःस्थापित की जाये ।

मैं श्री त्रिवेदी की बात को नहीं लेना चाहता परन्तु उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की देश भक्ति और ईमानदारी पर कतिपय सख्त आक्षेप किये हैं । इस देश में हमारी रेल व्यवस्था बहुत बड़ी है । भारतीय रेलवे की कार्य-कुशलता और सुरक्षा विश्व की रेलवे व्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अच्छी है । मैं साहस से यह बात कहूंगा विश्व के कुछ अत्यधिक विकसित देशों में कार्य-कुशलता और दुर्घटनाओं सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास हैं और आंकड़ों की तुलना करने पर मैं देखता हूं कि कार्य-कुशलता और सुरक्षा के सम्बन्ध में भारतीय रेलवे व्यवस्था अपनी सफलताओं पर गर्व कर सकती है । रेलवे के कार्य ऐसे होते हुए यदि उस पर यह आक्षेप किया जाये कि रेलवे के कर्मचारी और पदाधिकारी देश भक्ति की भावनाओं से

[श्री जगजीवन राम]

विहीन हैं और बेईमान व्यक्ति हैं तो नम्र शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं कहूंगा कि ऐसी महान सभा के सदस्य से यह आशा करना अनापेक्षित है। इसे मैं यहीं छोड़ता हूं।

मैंने रेलवे दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है। जो लोग रेलवे संचालन के प्रभारी हैं---रेलवे बोर्ड अथवा मंत्री अथवा उपमंत्री उनसे अधिक किसी को दुःख नहीं है और यह कहना कि जो मूल्यवान जीवन नष्ट हो गये हैं कोई उन के प्रति निर्दयतापूर्वक असहिष्णु है, अन्यायपूर्ण ही है। यदि श्री कामत फिर उन शब्दों पर विचार करें जो उन्होंने जोश में कह दिये हैं तो संभवतः वे स्वयं अनुभव करेंगे कि वे शब्द उचित नहीं थे।

†**श्री कामत** : यदि तथ्य अप्रमाणित हो जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे किसी प्रकार प्रमाणित भी प्रतीत नहीं होते।

†**श्री जगजीवन राम** : श्री एन्थनी ने भी अतिवयस्क कर्मचारियों और पदाधिकारियों को सेवा में लगाये रखने के बारे में प्रश्न उठाया है। न केवल रेलवे में वरन् सारे देश में हमारे पास प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है। अतः जहां तक हम कर सकते हैं हमें रेलवे में प्रविधिक कर्मचारियों की सेवाओं को उपयोग में लाना है। मैं विषय की जांच करूंगा। मैं इस बात से निजी तौर पर सहमत हूं कि जो लोग पदोन्नतियां की आशा कर रहे हैं उन्हें रुष्ट न करना सदा ही अच्छा है। मैं इस विषय की जांच करूंगा।

मेरे मित्र श्री त्रिवेदी ने---वे इस समय बैठे नहीं---प्रतिरक्षा मंत्री के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे जो अनापेक्षित थे। मुझे ज्ञात नहीं कि उन्होंने जो आरोप प्रतिरक्षा मंत्री के विरुद्ध लगाये थे उन्हें प्रमाणित करने के लिये उनके पास क्या सामग्री है। मुझे उसका उत्तर देना ही होगा। निस्संदेह मैं इस बात की जांच करूंगा कि क्या रतलाम में वे आवश्यक बातें विद्यमान हैं अथवा नहीं जिनके आधार पर उसे विभागीय मुख्यालय बनाया जाये। इस सभा के सदस्य के लिये इस आधार पर जिसे मैं सुनी-सुनाई बात समझता हूं, ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है।

दुर्घटना जांच समिति अर्थात् शाहनवाज़ समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। मैं इस की एक प्रति सभा-पटल पर और पुस्तकालय में रखवाने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : कल।

†**श्री जगजीवन राम** : यदि प्रतियां उपलब्ध हुईं तो मैं उन्हें पुस्तकालय में रखवा दूंगा।

मेरे मित्र श्री भागवत झा आजाद ने पिछड़े क्षेत्रों से अपना सम्बन्ध होने के कारण नहीं वरन् राष्ट्र हित के कारण पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाया था। यह आवश्यक है कि यथासंभव अधिकाधिक पिछड़े क्षेत्रों में लाइनें खोली जायें, परन्तु यह सब रेलवे के पास निधियां उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। आनुषंगिकतः उन्होंने पूछा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवहन सुविधाओं की स्थिति क्या होगी और क्या रेलवे बोर्ड ने अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण किया है? रेलवे बोर्ड ने ऐसा किया है। हमने जो लक्ष्य उपबन्धित किये हैं उन्हें पूरा करने के लिये हमें और निधियां चाहियें क्योंकि मूल्य और ठेके की दरें बढ़ गई हैं। अतः उसके लिये भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता है ताकि अधिकाधिक यातायात संचालन की सुविधाओं का प्रबन्ध हो सके। मैं नहीं जानता कि उसके लिये अपेक्षित निधि पाने में रेलवे मंत्रालय कितना सौभाग्यशाली होगा। सभी कुछ निधियों की उपलब्धता और विदेशी

†मूल अंग्रेजी में।

मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। हम स्वयं पिछड़े क्षेत्रों में लाइनें खोलने के लिये उत्सुक हैं परन्तु यह निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सभी कटौती प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई अनुपूरक राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिये दी जाएं जिन का भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा।

मांग संख्या १, ४, ५, ७, ९ और १०।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[जो अनुपूरक मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं, वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक]

अनुपूरक मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१	रेलवे बोर्ड	८,६६,०००
४	साधारण कार्यवहन व्यय–प्रशासन	५०,८३,०००
५	साधारण कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण	१,९०,००,०००
७	साधारण कार्यवहन व्यय–संचालन (ईंधन)	३,२०,७३,०००
९	साधारण कार्यवहन व्यय–विविध व्यय	१,३७,७८,०००
१०	साधारण कार्यवहन व्यय–श्रम कल्याण	३८,००,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के तीसरे स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक अतिरिक्त राशियां दूसरे स्तम्भ में दिये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५४, को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय की की गई राशियों को पूरा करने क लिये दी जायें :
मांग संख्या ४, ५, ६, ७, ८, ९ तथा १०।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[जो अतिरिक्त मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक]

अतिरिक्त मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
४	राजस्व–कार्यवहन व्यय–प्रशासन	४८,३१,२६३
५	राजस्व–कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण	७४,१७,६१९
६	राजस्व–कार्यवहन व्यय–संचालन कर्मचारी ...	४६,६८,१९९
७	राजस्व–कार्यवहन व्यय–संचालन (ईंधन)	७८,४७,४९१

†मूल अंग्रेजी में।

अतिरिक्त मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
८	राजस्व–कार्यवहन व्यय–कर्मचारी तथा ईंधन से भिन्न संचालन	२१,५९,६८६
९	राजस्व–कार्यवहन व्यय–विविध व्यय	१६,५६,४२७
१०	राजस्व–भारतीय राज्यों और समवायों को भुगतान	६६,२३६

विनियोग (रेलवे) संख्या ६* विधेयक**

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिये उस वर्ष के लिये प्राधिकृत अथवा अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के, भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**श्री अलगेशन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित†† करता हूं।

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक**

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**श्री अलगेशन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित†† करता हूं।

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों की सदस्यता और तत्सम्बधी निर्वाचन में मतदान सम्बन्धी अनर्हताएं हटाने के लिये उपबन्ध करने वाले और निर्वाचन सम्बन्धी कतिपय विविध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

*भारत सरकार के असाधारण गज़ट अनुभाग २, भाग २, दिनाँक १८-१२-५६ पृष्ठ ११८१-८३ में प्रकाशित।

††राष्ट्रपति की अनुमति से पुर:स्थापित हुआ।

**भारत सरकार के असाधारण गज़ट अनुभाग २, भाग २, दिनाँक १८-१२-५६ पृष्ठ ११८४-८६ में प्रकाशित।

जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कि अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के आधार पर उत्पन्न अनर्हताओं के सम्बन्ध में निर्वाचन विधि में परिवर्तन किया गया है। उदाहरणार्थ, १९५१ के अधिनियम के अधीन वृहद् भ्रष्टाचार, सामान्य भ्रष्टाचार और अवैध आचरण का उपबन्ध था। इसके पश्चात् निर्वाचन सम्बन्धी जटिलतापूर्ण व्यय का हिसाब लौटाना पड़ता था। और निर्वाचन सम्बन्धी व्यय की समुचित प्रपत्र में पूर्ति न करने पर उम्मीदवार तथा निर्वाचन एजेंट अनर्ह समझे जाते थे। निर्वाचन बहुत नज़दीक हैं। जब अधिनियम संशोधत किया गया था तब हमने उपबन्ध को सरल बनाया था और वृहद् भ्रष्टाचार, सामान्य भ्रष्टाचार तथा अवैध रीति आदि का अन्तर समाप्त कर दिया था। इतना होने पर अनर्हता प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करने पर मालूम होता है निर्वाचन व्यय का ब्योरा न लौटाने के परिणामस्वरूप अनर्ह व्यक्तियों की संख्या ९,५११ है। संभवतः इन व्यक्तियों पर से मतदान सम्बन्धी अनर्हता समाप्त कर दी गई है। लेकिन उम्मीदवार की स्थिति के रूप में वे अभी भी अनर्ह हैं। निर्वाचन आयोग ने इन ९५११ मामलों में से लगभग ३,००० व्यक्तियों की अनर्हताएं हटा दी हैं और ६,००० व्यक्ति अभी भी अनर्ह हैं। कदाचित इनमें से बहुत से व्यक्तियों को तो अभी यह ज्ञात भी नहीं है कि वे अनर्ह हैं। अब हमने निर्वाचन व्यय लौटाने की प्रक्रिया सरल बना दी है तथा इस विषय में अनुकरण किये जाने वाली परिवर्तित प्रक्रिया को दृष्टिगत करते हुए, यह वांछनीय है कि इन व्यक्तियों की अनर्हतायें एकबारगी ही हटा दी जायें। अतः इस विधेयक में इस आशय का उपबन्ध है कि इन व्यक्तियों की अनर्हतायें हटाई हुई मान ली जायें।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): क्या इन ६,००० व्यक्तियों के दलवार आंकड़े मिल सकते हैं।

†**श्री पाटस्कर** : मेरी सम्मति में यह आवश्यक नहीं है। इन सब का आधार निर्वाचन व्यय का ब्यौरा न लौटाना अथवा उचित समय में ऐसा न करना है। इन व्यक्तियों को अनर्ह बनाये रखने की कोई इच्छा नहीं है।

दांडिक न्यायालयों द्वारा रिश्वत तथा अनुचित प्रभाव डालने या भारतीय व्यवहार संहिता की धारा ११७ (ङ) अथवा (च) के अधीन पररूपधारण या लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा १३९ (क) के अन्तर्गत अनर्ह हुए व्यक्तियों की संख्या ५१६ है। यह स्वाभाविक है कि हम इन व्यक्तियों के बारे में अनर्हताएं नहीं हटाना चाहते हैं।

दांडिक न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अनर्हता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या सम्पूर्ण भारत में बीस है। हमें इनकी अनर्हताएं भी नहीं हटाना चाहिये।

दूसरे वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जो भ्रष्टाचार अथवा अवैध आचरण का आश्रय लेने के कारण निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा अनर्ह घोषित कर दिये गये हैं। खण्ड २ का अध्ययन करने पर माननीय सदस्य देखेंगे कि रिश्वत तथा अनुचित प्रभाव डालने के अपराधों की परिभाषा पूर्व अधिनियमों में कर दी गई है। स्वाभाविक है कि इन मामलों में अनर्हताएं हटाना उचित नहीं है। भ्रष्टाचार, अवैध आचरण अथवा अन्य बातों के सम्बन्ध में अनर्हताएं हटा दी जानी चाहियें। उपखण्ड (२) में यही किया गया है।

खण्ड ३ में धारा ७ का संशोधन किया गया है। हमारे समक्ष इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि "वित्तीय हित" शब्द अत्यन्त अस्पष्ट शब्दावली है। उदाहरणार्थ, यह कहा जा सकता है कि एक सहकारी संस्था में सरकार का वित्तीय हित हो सकता है। और भी अनेक प्रकार के निगम

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

हैं । उपबन्ध का मूल उद्देश्य यह था कि उन समवायों अथवा निगमों के सम्बन्ध में, जिन में सरकार का कुछ सारभूत अंश है, इन व्यक्तियों को अनर्हता प्राप्त होगी । आप "वित्तीय हित" शब्दों के सम्बन्ध में हम "कोई समवाय अथवा निगम जिसकी पूंजी में सम्बद्ध सरकार का पच्चीस प्रतिशत से कम अंश न हो" शब्द रखने का विचार कर रहे हैं । माननीय सदस्य पूछेंगे कि पच्चीस प्रतिशत भाग क्यों निर्धारित किया गया है । किसी भी ऐसे समवाय का निदेशक क्यों नहीं अनर्ह समझा जाये जिसमें सरकार की कुछ शेअर पूंजी हो । इस दिशा में मैं यह बता दूं कि कुछ समवायों अथवा निगमों में सरकार द्वारा कुछ शेअर केवल इस प्रयोजन से खरीद लिये गये हैं कि सरकार इन समवायों अथवा निगमों के कार्य-संचालन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके । इन शेअरों को खरीदने का केवल यह दृष्टिकोण है कि सरकार उनकी सामान्य व्यवस्था जान सके अथवा इनका पथ-प्रदर्शन कर सके । केवल इसी दृष्टि से यह निर्धारित किया गया है कि जब तक समवाय में सरकार की कम से कम पच्चीस प्रतिशत पूंजी न हो तब तक अनर्हता पैदा नहीं होगी ।

खण्ड ४ में पुर्तगाल राज्य क्षेत्र के बन्दियों के बारे में नाम-निर्देशन के लिये विशेष उपबन्ध है । सदस्यों को विदित होगा कि इस विचित्र समस्या पर सभा में बहुधा चर्चा हो चुकी है । इस उपबन्ध का तात्पर्य यह है कि देशभक्ति के लिये अपने जीवन की कुर्बानी करने वाले देशवासी उम्मीदवार हो सकें । उदाहरणार्थ सभा के एक सदस्य श्री चौधरी गोआ जेल में हैं । इसी विचार से हमने यह उपबन्ध रखा है । ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसी दृष्टि से यह उपबन्ध रखा गया है ।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि जिन राज्यों में प्रशासन मुख्य आयुक्त के हाथों में हैं वहां परामर्शदाता परिषद् है और केवल परामर्शदाता होने के नाते वे सदस्य बनने के लिये अनर्ह न हों ।

यह विधेयक अत्यन्त सीधा-सादा है तथा इसे बिना विशेष चर्चा के पारित किया जा सकता है । निर्वाचन नज़दीक हैं तथा उसके पूर्व ही यह सब व्यवस्था पूरी हो जानी चाहिये । यह संसद् का अन्तिम सत्र है और सत्र का भी यह अन्तिम सप्ताह है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री क० कु० बसु** : (डायमण्ड हार्बर) : विधेयक के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा कुछ संशोधनों की सूचना दी गई है । उन्हें प्रस्तुत होने दीजिये और फिर उसी समय हम उन पर अपना भाषण देंगे ।

†**श्री कामत** : (होशंगाबाद) : इस विषय के लिये एक घंटे का समय और बढ़ाया जाये । इस विषय में अनेक सदस्यों की दिलचस्पी है ।

मैं मिश्रित भावनाओं के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं । आज पहली बार सरकार ने जनमत के प्रति उत्तरदायी रुख अपनाया है । वर्तमान व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही गोआ में स्वातन्त्र्य संघर्ष के सेनानी निर्वाचन में भाग ले सकेंगे । अच्छा तो यह होता कि सरकार अथवा राष्ट्रपति पुर्तगाली अधिकृत राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक सदस्य का नाम-निर्देशन करते । इसके अतिरिक्त दादरा और नगरहवेली के स्वतन्त्रा प्राप्त राज्य-क्षेत्रों में अस्थायी सरकार के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता ।

अवैध आचरण की सूची से बहुत-सी बातें निकाल दी गई हैं । सरकारी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करना तथा कुछ अन्य कार्य अभी भी उस सूची में हैं । क्या वस्तुतः सरकार की यह इच्छा है कि रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव को छोड़ कर और सब बातें हटा दी जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पाटस्कर** : कुछ ऐसा ही किया जा रहा है।

†**श्री कामत** : यदि ऐसा है तब तो १९६१ या १९६२ के आगामी निर्वाचन तक सभी अनर्हताएं हटा दी जायेंगी। यह उचित नहीं है। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनर्हताएं नहीं हटाई जानी चाहियें।

मैं खण्ड ३ की संक्षिप्त चर्चा करूंगा। यह सरकारी निगमों में भावी उम्मीदवार के शेअर से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य श्री क० कु० बसु द्वारा रखा गया संशोधन पसन्द करता हूं। इस संशोधन में कहा गया है कि केन्द्रीय अथवा राज्य किसी सरकार का कितना ही शेअर क्यों न हो उसे अनर्ह माना जाये।

मेरा यह भी सुझाव है कि पुर्तगाली जेल में बन्दी व्यक्ति से किसी निश्चित प्रलेख के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। बन्दी की ओर से अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का पुष्टिकरण पर्याप्त समझा जाये। यह भी आवश्यक नहीं है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सचिव ही इसे प्रमाणित करें। मंत्रालय का अन्य अधिकारी संयुक्त सचिव अथवा उपसचिव इस कार्य के लिये पर्याप्त समझे जायें।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : गोआ में कैद व्यक्तियों के लिये, सारे सदन को इस विधेयक के खण्ड ४ का स्वागत करना चाहिये। श्री कामत ने बिल्कुल ठीक कहा है कि गोआ की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाले भारत की स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे हैं। जब तक इन विदेशी बस्तियों को समाप्त न कर दिया जाये, हमारी स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं कही जायेगी। हमें हर्ष है कि संसद् के कम से कम दो सदस्यों ने पुर्तगाली तानाशाही का मुकाबला किया है। एक श्री देशपांडे हैं, जिन्हें बर्बरता के व्यवहार के बाद छोड़ दिया गया था। दूसरे श्री त्रि० कु० चौधरी हैं, जो अब भी गोआ में कैद हैं। वह स्वतन्त्रता संग्राम में अपने जीवन के १६ वर्ष जेल में काट चुके हैं और अब गोआ में बलिदान दे रहे हैं। हम सबको उन पर गर्व है, मैंने उन्हें लिखा था कि बंगाल में सब विरोधी दलों ने यह निर्णय किया है कि संसद् के निर्वाचन में उनके विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जायेगा। उन्होंने उत्तर में हमें धन्यवाद दिया है। वह संसद् और भारत के लिये एक रत्न हैं। इस विधेयक में एक खण्ड है, जिसके अनुसार उन्हें नाम-निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने पड़ेंगे, किन्तु उन्हें लिखित रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की इच्छा प्रकट करनी होगी और भारत सरकार के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का यह प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा कि वह गोआ में नज़रबन्द हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वह बिना मुकाबले के संसद् के सदस्य चुने जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि श्री गोरे को भी, जो गोआ में नज़रबन्द हैं, संसद् या स्थानीय विधान सभा का सदस्य चुना जायेगा।

अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में श्री पाटस्कर सदन की बधाई के पात्र हैं। यह विधेयक ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है। मैं जानता हूं कि लोगों को अनर्ह किया गया है। श्री कामत का मामला आप जानते हैं। उसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं थी किन्तु उच्चतम न्यायालय के सामने तीन सप्ताह तक तर्क देने पड़े थे कि निचले न्यायाधिकरण ने उनके साथ अन्याय किया है। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि धारा १२३ के खण्ड ६ या ७ के अन्तर्गत, छोटी-छोटी बातों के लिये उम्मीदवारों को अनर्ह घोषित कर दिया गया था। नियमों की भाषा ऐसी है कि यद्यपि उम्मीदवार वास्तव में भ्रष्टाचार का दोषी नहीं होता, वह ऐसा बन जाता है। हाल में अधिनियम में संशोधन करके आपने भ्रष्टाचार के छोटे-छोटे कार्यों और अवैध कार्यों का उल्लेख हटा दिया है, यह भी युक्तियुक्त है कि प्रविधिक भ्रष्टाचारों का उल्लेख भी हटा दिया जाये। आपको श्रीमती सुचेता कृपालानी का मामला याद होगा। उसमें भ्रष्टाचार की बिल्कुल कोई बात नहीं थी, केवल चुनाव विवरणी में आंकड़े अनभिज्ञता के कारण ठीक तरह से नहीं दिये गये थे। किन्तु उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया गया था। इसी तरह और भी कई मामलों में

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

छोटी-छोटी प्रविधिक बातों के कारण उम्मीदवारों को अनर्ह किया गया है, इसलिये मंत्री महोदय ने ठीक समय पर कदम उठाया है। यह विधेयक अविवादास्पद है और सारे सदन को इसका स्वागत करना चाहिये। प्रविधिक अनर्हताओं को दूर करके सब उम्मीदवारों को समान अवसर देना चाहिये।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा): मैं केवल खण्ड ५ के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बात का निर्णय कर लेने के बाद कि कौन-कौन से पद लाभप्रद हैं, सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था।

†**श्री क० कु० बसु**: इस विधेयक में जो प्रस्थापना की गई है, अर्थात् गोआ जेल में निरुद्ध कोई व्यक्ति नाम-निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर किये बिना उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, वह समर्थनीय है और सारा सदन इस मामले में सरकार के साथ है। जैसा कि श्री चटर्जी ने कहा है, श्री त्रि० कु० चौधरी को जो कि गोआ में निरुद्ध हैं, इस सदन में बिना मुकाबले के निर्वाचित करके भेजना चाहिये।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि खण्ड ४ के अधीन अपेक्षित दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध न हों, तो अवधि को कम से कम जांच के समय तक बढ़ा देना चाहिये। यदि निर्वाचक पदाधिकारी संतुष्ट हों कि केन्द्रीय सरकार का प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त नहीं हो सकता, तो वे इस मामले में भी समय को बढ़ा सकते हैं। चूंकि सरकार सब अड़चनें दूर करना चाहती है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लेगी।

खण्ड ५ का उद्देश्य यह है कि मनीपुर और त्रिपुरा में सलाहकार परिषदों के सदस्यों की अनर्हताएं दूर की जाय। मेरे विचार में इस मामले में जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये सलाहकार कार्यपालिका का काम नहीं करते इसलिये वे साधारण चुनावों से २ या ३ मास पहले त्याग-पत्र दे सकते हैं। उन्हें निःशुल्क मोटर कारें और अन्य विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनका वे चुनाव के समय अनुचित प्रयोग कर सकते हैं। इसलिये जब तक ये विशेष सुविधायें वापस न ली जायें उनकी अनर्हताएं दूर नहीं करनी चाहियें।

खण्ड ३ में "सम्बन्धित सरकार" शब्द निरर्थक हैं इसलिये मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि 'सम्बन्धित' शब्द हटा दिया जाये, ताकि यह राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों पर लागू हो सके। मैं चाहता हूं कि हमारी लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को, जो कि अभी विकसित हो रही हैं, इस तरीके से कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल कर खतरे में न डाला जाये।

खण्ड २ के बारे में मैंने यह संशोधन दिया है जिसमें यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि नैतिक कदाचार के कारण होने वाली दोषसिद्धियों के मामले में, अनर्हताओं को दूर नहीं करना चाहिये। किन्तु ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जिनमें व्यक्तियों को १६५२ में या इसके लगभग, जबकि गड़बड़ हो रही थी राजनैतिक अपराधों के लिये दंडित किया गया है, या श्रमिकों द्वारा अधिक मंजूरी की मांग या किसानों द्वारा भूमि सुधार की मांग के कारण दंडित किया गया है। मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के मामल में भी अनर्हतायें दूर कर देनी चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल हमारे सामने आया है, मुझे खुशी है कि सारे हाउस क मेम्बरान ने इसको पसन्द किया है।

जहां तक इसके क्लाजेज का सवाल है, मुझे कोई भी शुबहा नहीं है कि सिर्फ अपोजीशन की ही यह ख्वाहिश नहीं थी और न उनके अकेलों की यह मूव थी, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद इस बात की कोशिश की कि हमारे आनरेबल मेम्बर श्री त्रिदिव कुमार चौधरी की वहां पर जितनी तकलीफ कम की जा

†मूल अंग्रेजी में।

सकती हैं उतनी कम की जायें। वह वहां देश के वास्ते तकलीफ उठा रहे हैं और इसके पहले भी उन्होंने देश के लिये बहुत काम किया है, वह एक प्रूव्ड पेट्रियट हैं जिनके लिये हर एक देशवासी का सिर इज्जत से झुकना चाहिये। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस कानून में इस किस्म का प्रावीजन रखा है कि जिसके मुताबिक वह फिर इस हाउस में, मुझे उम्मीद है, तशरीफ ला सकेंगे ।

इसी तरह से यह फैसिलिटी एक दूसरे मेम्बर साहब के लिये भी ओपिन है जिनका जिक्र चटर्जी साहब ने किया है। दरअसल बात यह है कि जिस किसी ने भी गोआ की आजादी के लिये काम किया है वह हमारी इज्जत का मुस्तहक है और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो भी कानूनी रियायतें इन हालात में मिल सकती हैं वे सब दी जायें।

इस वास्ते मैं श्री पाटस्कर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सारे देश की आवाज को सुना और इस बारे में एक ऐसी तरमीम की जो कि बहुत ही जरूरी थी।

अब कुछ चीजों के बारे में मेरे लायक दोस्त कामत साहब ने आबजैक्शन किया है कि दफा १२३ के अन्दर जो डिसक्वालिफिकेशंस दी हुई हैं उनमें चन्द एक डिसक्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जिनको कि हटाना मुनासिब नहीं था लेकिन मैं कामत साहब की खिदमत में अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि वे मेरे से ज्यादा जानते हैं कि यह राइट कि एक आदमी वोट दे, एक आदमी खड़ा हो सके और अपने देश की पार्लियामेंट या किसी असेम्बली में जा सके, यह कितना जरूरी राइट है और इस राइट से किसी को महरूम करना किसी टेकनिकल बात पर या किसी ऐसे कसूर पर जो कि काफी सख्त न हो, उसके इस हक को छीन लेना मुनासिब नहीं है। मैं कामत साहब से बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो रिप्रेजेंटेशन आफ़ दी पीपुल बिल हमने पास किया था अगर वे उसकी सारी दफ़ात का मुलाहिजा फरमायेंगे तो उनको रोशन हो जायेगा कि इस ऐक्ट के अन्दर ही हमने ऐसी चीजें रक्खी हैं कि इस किस्म के जरायम के वास्ते जो हमने पैनाल्टी रक्खी है वह सख्त नहीं है और सिर्फ ६ वर्ष की हमने पैनाल्टी रक्खी है। दफा १४०, १४०–क में एलेक्शन कमिश्नर को यह अख्त्यार दिया है कि प्रौपर केसेज़ में रिलीफ दे देवें। मैं यह नहीं कहता कि यह खिलाफ जुर्म नहीं है लेकिन यह टेकनिकल जुर्म है।

कामथ साहब ने बड़े जोर-शोर से इमपरसोनेशन की शिकायत की थी लेकिन शायद उनको मालूम भी नहीं है कि एक भी केस इमपरसोनेशन का इलेक्शन पिटिशन का नहीं हुआ।

इसी तरीके से कामत साहब ने गवर्नमट सर्वेंट्स के बारे में ऐतराज किया है और जिसका कि जवाब श्री एन० सी० चटर्जी ने दे दिया है। मेरा उसकी बाबत सिर्फ यह कहना है कि अगर आप पहले के ऐक्ट को उठा कर देखें तो पायेंगे कि पहले रूल यह था कि एक लम्बरदार या चौकीदार अगर किसी उम्मीदवार की मदद करते थे तो वह भी कानून की ज़द में आ जाते थे। अब वह क्लाज ही दूसरा हो गया, उसको चेंज कर दिया गया और मुनासिब नहीं था कि पुरानी पेनल्टीज़ के असर को कायम रक्खा जाता। बाकी चीजें अगर आप मुलाहिजा फरमायेंगे तो देखेंगे कि बाकी चीजें इस किस्म की हैं कि जिनके ऊपर ज्यादा जोर देना कि वह कायम रक्खी जायें वाजिब नहीं था और खसूसन डिसलाएल्टी टू दी स्टेट एंड डिसमिसल फौर करप्शन के जुर्मों के वास्ते भी एलेक्शन कमिश्नर को अधिकार दिया है कि वह इस पीरियड को रेड्यूस कर सकते हैं। बेसिक पालिसी गवर्नमेंट की यह है कि हर एक आदमी जो एलेक्शन के लिये खड़ा होना चाहता है वह खड़ा हो सके और उसको खड़ा होने से महरूम न किया जाय जब तक कि कोई ऐसे वजूहात न हों जिनसे कि उसे डिबार करने पर मजबूर ही न हो जाय। और इस ख्वाहिश को लेकर हमारे पाटस्कर साहब इस बिल को लाये हैं और जो इसके प्राविजन्स हैं, वे निहायत अच्छे हैं।

जहां तक वोटिंग का सवाल है दफा १४३ की रू से सजा खत्म कर दी गई है। अब चटर्जी साहब ने और दूसरे साहबान ने कई केसेज का जिक्र किया है। मैं अपना एक छोटा-सा वाक्या सुनाता हूं। मैं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जब यहां सन् १९४५ में इस हाउस में आया तो मैंने अपने रिटर्न्स दाखिल करने के वास्ते अपने एक एजेंट को अख्त्यार दे दिया कि वह जाकर मेरे रिटर्न्स दाखिल कर दें। जब मेरा ऐजेंट गया तो हेड क्लर्क ने उसको वापिस कर दिया, उन्होंने उसको नहीं लिया और कुछ उस पर लिखा भी नहीं। आखिर मेरे पास तार पहुंचा कि मैं फौरन अम्बाला पहुंच कर अपना रिटर्न दाखिल करूं। मुझे पता नहीं था कि मेरे रिटर्न्स को वापिस कर दिया गया है। खैर मैं आखिरी दिन शाम को ८ बजे अम्बाला पहुंचा, अगर मैं उसी बक्त रात में ५, ६ मील पर जो किसी मजिस्ट्रेट के पास मेरे रिटर्न पड़े हुए थे, उनसे लेकर उसी रात को दाखिल न कर दूं तो मैं यहां हाउस में बैठने से महरूम हो जाता, चुनांचे मैंने अपने रिटर्न्स को लेकर रात को दस बजे पुलिस सुपरिन्टेंडेंट कमिश्नर को पेश कर दिये। तो इस तरह का रूल था कि अगर मैं उस दिन अपने रिटर्न्स दाखिल न कर दूं तो मैं पार्लियामैंट के अन्दर मेम्बर नहीं रह सकता था। मेरी अदब से गुजारिश है कि करीब ६ हजार केसेज ऐसे हैं जो कि एक जनरल हुक्म के तहत कि फ़लां तारीख तक जिनके रिटर्न्स नहीं आयेंगे वे सब डिसक्वालिफाइड हो जायेंगे, यह एक बिलकुल टेकनिकल चीज थी और इस टेकनिकल चीज को हटा करके मैं समझता हूं कि ६ हजार आदमियों का भला किया है।

वोटिंग के बारे में मुझे कुछ ज्यादा अर्ज करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में बहुत ठीक हुआ है। मेरी अदब से गुजारिश यह है कि यह जो बिल हम पास कर रहे हैं, इसके जरिये डिसएबिलिटीज के रिमूवल का राइट प्रोवाइड कर रहे हैं और यह प्रोवाइड किया जा रहा है कि टेकनिकल ग्राउन्ड्स पर लोगों को चुनाव में खड़ा होने से महरूम न किया जाये और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा कानून हम पास करने जा रहे हैं जिसको कि युनैनिमसली पास करना चाहिये और पाटस्कर साहब को मुबारकबाद देना चाहिये कि वे एक काबिल डाक्टर की मानिन्द नब्ज पर हाथ रख कर इस हाउस के सामने इस किस्म का बिल लाये हैं।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे प्रस्तुत किये हुए विधान का सभा के सदस्यों ने एक मत से समर्थन किया है। मैं सभा के सभी वर्गों को विश्वास दिला सकता हूं कि गोआ के प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। और यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बात की विशेष व्यवस्था कर दी गयी है कि जो लोग गोआ में कैद हैं, वे संसद् अथवा विधान सभाओं का चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार की कार्यवाही के बारे में जो भी मतभेद हो परन्तु यह तो माना ही जायेगा कि गोआ समस्या पर सब एकमत हैं। चाहे जिस समय, ढंग और प्रकार से कार्य किया गया है, उस बारे में मतभेद हो। इसलिये इस सम्बध में मुझे और कुछ नहीं कहना है।

अच्छा होता यदि श्री कामत गोआ सम्बन्धी विश्वासघात इत्यादि का उल्लेख न करते। क्योंकि जो कुछ करने के लिये हम यहां एकत्रित हैं, उसमें हम एकमत हैं। इसलिये अपने दृष्टिकोण के मतभेद पर जोर देने की क्या आवश्यकता है। खैर यह साधारण-सी बात है।

दूसरे विधेयकों के सम्बन्ध में भी हम चाहते हैं कि हमारी चुनाव विधि पूर्ण हो। गत बार इतने बड़े स्तर पर हमारा चुनाव संसार भर में प्रथम था। हमारी चुनाव विधि बहुत सीमा तक सफल रही। परन्तु फिर भी लोकतन्त्रीय होने के कारण हम चाहते हैं कि जो कमी रह गयी है उसे संशोधन विधि द्वारा ठीक कर लिया जाये। और अब भी कोई भूल रह गयी हो तो उससे किसी व्यक्ति को मतदान करने और सदस्य बनने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिये। और हम इन त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस विचार से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि यह ऐसा विधान है कि इस पर सारी सभा एकमत है। इससे पता चलता है कि भारत लोकतन्त्र की प्रगति के लिये उचित स्थान है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् तथा राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता तथा उनके निर्वाचनों में मतदान करने की अनर्हताओं को हटाने और ऐसे निर्वाचनों सम्बन्धी कुछ विविध विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(अनर्हताओं का निवारण)

श्री कामत ने संशोधन संख्या १, २ और श्री क० कु० बसु ने संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत किया।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे यह स्वीकार नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, २ और ९ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३—(धारा ७ का संशोधन)

श्री कामत और श्री क० कु० बसु द्वारा संशोधन संख्या ३ और ७ प्रस्तुत किए गए और उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वे सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(पुर्तगाली राज्य-क्षेत्र में बन्दियों के नाम-निर्देशन के लिये विशेष उपबन्ध)

†**श्री कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या ४, ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं :

'प्राप्त हुए' के स्थान पर 'स्वीकृत हुए' अधिक ठीक रहेगा।

†**श्री पाटस्कर** : श्री चटर्जी बतायेंगे कि 'प्राप्त हुए' अधिक ठीक है।

†**श्री कामत** : संशोधन संख्या ५ और ६ के सम्बन्ध में निवेदन है कि यह जरूरी नहीं कि अनुसमर्थन केवल सचिव द्वारा ही हो। हो सकता है कि किसी समय सचिव दिल्ली से बाहर हो। इसलिये मंत्रालय 'द्वारा अनुसमर्थित' शब्द होना चाहिये। और सचिव के साथ 'अथवा संयुक्त सचिव' जोड़ा जाना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री क० कु० बसु** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं। इसका आशय यह है कि नाम-निर्देशन पत्र देने के समय मंत्रालय का प्रमाण-पत्र जरूरी नहीं होना चाहिये बल्कि यह उस समय होना चाहिये जब चुनाव पदाधिकारी द्वारा दी गयी अवधि समाप्त हो जाये।

†**श्री पाटस्कर** : बात बड़ी सीधी है, 'प्राप्त' शब्द उचित शब्द है। हम कहते हैं कि नाम-निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहियें। हमारा कहना है कि दो शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहियें। वे दो शर्तें क्या हैं ?

पहले मैं (ख) का उल्लेख करता हूं।

"(ख) भारत सरकार के वैदेशिक मंत्रालय के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र कि वह व्यक्ति पुर्तगाली क्षेत्र में कारावास में अथवा किसी अन्य हिरासत में है।"

हमारी सूचना के अनुसार लगभग ४७ ऐस भारतीय राष्ट्रजन हैं और शायद यह बात माननीय सदस्यों को मालूम है। हमने इस बात की पुष्टि पहले ही कर ली है। जहां तक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का सम्बन्ध है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उस पर सचिव हस्ताक्षर कर सकता है। मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार की परेशानी की सम्भावना नहीं है।

(क) के सम्बन्ध में—

"ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित वक्तव्य कि वह उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होने को तैयार है।"

यह अनुभव किया जायेगा कि उस समय यह आवश्यक होगा कि यह लिखित रूप में हो कि वह व्यक्ति गोआ जेल में है और खड़ा होने को तैयार है।

श्री चटर्जी के भाषण से पता चलता है कि जब यह प्रस्ताव गोआ में श्री चौधरी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसका उत्तर भी लिखा। इसलिये लिखित रूप में कुछ प्राप्त करना कुछ कठिन नहीं। मैं अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे संशोधन वापिस ले लें।

†**श्री कामत** : संयुक्त सचिव काफी है तो सचिव के हस्ताक्षरों पर जोर क्यों ?

†**श्री पाटस्कर** : इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कोई कठिनाई न हो। और कोई परेशानी नहीं होगी।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरे संशोधन का क्या बना ?

†**श्री पाटस्कर** : खेद है कि मैंने इससे पूर्व इसका उत्तर न दिया। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, उन्हें पहले ही लिखित रूप में कुछ प्राप्त कर लेना चाहिये। और इस मामले में कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिये। और यह इतना बड़ा मामला भी नहीं कि समय की अवधि बढ़ाई जाये। और यह ऐसी समस्या भी नहीं जिससे कि बहुत बड़ी संख्या का सम्बन्ध हो।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४, ५, ६ और १० सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड ५—(अनर्हताओं को हटाना इत्यादि)

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : श्रीमान्, मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं । इसका आशय यह है कि जो लोग क्षेत्रीय परिषदों की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ना चाहते हों, वे संसद् के लिये भी चुनाव लड़ सकें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री पाटस्कर** : क्या क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम पारित हो गया है ?

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : नहीं, परन्तु वह विधेयक सभा में आ रहा है ।

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : जब तक वह पारित न हो, हम यह संशोधन कैसे मान सकते हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम अभी पारित नहीं हुआ है । और इसकी व्यवस्था यहां सम्भव नहीं । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करूं ?

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : नहीं, श्रीमान् ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री पाटस्कर** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मेरे कुछ मित्रों ने विधेयक के उस भाग का स्वागत किया है जिसमें गोआ में कैद व्यक्तियों को निर्वाचन में खड़े होने के लिये अनुमति दी गयी है । मैं उनका समर्थन करती हूं । लोक-प्रतिनिधित्व विधेयक पर चर्चा के समय हमें पहले आश्वासन दिया गया था कि समय आने पर सरकार विचार करेगी और अब मुझे प्रसन्नता है कि इस आखिरी समय यह विधेयक सभा के समक्ष रखा गया है ।

हम सभी चाहते हैं कि ये लोग बहुत जल्दी ही रिहा किये जायें और वे और किसी की तरह पूरे-पूरे उम्मीदवार की तरह खड़े हो सकें । यद्यपि सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि वह श्री टी० के० चौधरी के विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, फिर भी हम अभी तक नहीं जानते कि श्री गोरे तथा अन्य लोगों का क्या होगा जो संभवत: उम्मीदवार होंगे । आशा है कि सरकार श्री गोरे तथा अन्य लोगों के बारे में वही रवैया अपनायेगी क्योंकि उन लोगों ने भारत के लिये कष्ट सहन किया है और

†मूल अंग्रजी में ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

वे उस सम्मान के योग्य हैं जो भारत की जनता उन नि:स्वार्थ स्वातन्त्र्य-सेनानियों को देना चाहती है, जिन्होंने भारत के उस पराधीन भाग को विदेशी साम्राज्यवादियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयत्न किया है।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे सहमत हूं। दो-तीन खण्डों का यह एक बहुत छोटा विधेयक होने पर भी उसमें निर्वाचनों के सम्बध में बहुत महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। हम जानते हैं कि इस विधेयक के उपबन्धों के कारण कई अनर्ह सदस्य तथा वे देश-भक्त जो अभी गोआ में हैं, बच जायेंगे। मेरा एक सुझाव यह है कि नामज़दगी के पर्चे दाखिल करने की तारीख के कम से कम एक महीने या दो हफ्ते पहले वे सभी नियम, संशोधन और अन्य उप-बन्ध संकलित कर एक प्रकाशन के रूप में हमें दिये जायें। एक जगह के लिये तीन उम्मीदवार के मोटे अनुमान पर लगभग ५,००० उम्मीदवार होंगे और यह बहुत आवश्यक है कि नामज़दगी के पहले हमें उन नियमों, संशोधनों तथा अन्य उपबन्धों की जानकारी हो। यद्यपि हमने ही ये संशोधन पारित किये हैं फिर भी हम अनभिज्ञ हैं। अत: विधि मंत्री स्वत: इसकी ओर ध्यान दें कि वे सभी नियम और संशोधन नाम-निर्देशन के कम से कम दो हफ्ते पहले जनता को प्रकाशित रूप में मिल जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचन और निर्वाचन याचिकाओं का संचालन) नियम, १९५६ के रूपभेद से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार करेगी।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मेरे कई संशोधन हैं; उन्हें कैसे निबटाया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अधिक अच्छा है कि सभी संशोधन एक साथ रखे जायें।

†**श्री कामत** : जो अनुसूचियां हटा दी गयी हैं, क्या उनकी जगह नयी अनुसूचियां रखी जायेंगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब वह यहां नहीं हैं, तो उन्हें संशोधित समझा जाये।

†**श्री कामत** : मैं अपने प्रस्ताव संख्या १ से ८ रखना चाहता हूं। प्रस्ताव संख्या ९ से १२ आज संगत नहीं हैं।

श्री कामत ने अपन प्रस्ताव संख्या १ से ८ प्रस्तुत किये।

†**श्री कामत** : अन्य प्रस्ताव रखने के पहले मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस विषय पर प्रकाश डालें क्योंकि जो अनुसूची हटा दी गयी है वह व्यय की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में है। वह एक महत्व-पूर्ण विषय है।

†**एक माननीय सदस्य** : एक घोषणा की जा चुकी है।

†**श्री कामत** : किन्तु वह सभा के सामने नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर** : कल मैंने सभा-पटल पर उसकी प्रति रखी थी । उससे न्यूनतम और अधिकतम व्यय आदि निर्धारित होता है । वह इस प्रकार है :—

"लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १६९ द्वारा दी गयी शक्तियों के प्रयोग से केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद, एतद् द्वारा निदेश देती है कि लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियम, १९५६ में निम्न संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त नियमों में—

(१) नियम १३५ के स्थान पर, निम्न नियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"135. *Maximum election expenses*—(1) The total of the expenditure of which account is to be kept under section 77 and which is incurred in connection with an election in any one Parliamentary Constituency shall not exceed—

(a) Rs. 35,000, in the case of a two-member constituency in any State;

(b) Rs. 25,000, in the case of a single-member constituency in any State;

(c) Rs. 15,000, in the case of a two-member constituency in any Union Territory; and

(d) Rs. 10,000, in the case of a single-member constituency in any Union Territory.

(2) The total of the expenditure of which account is to be kept under section 77 and which is incurred in connection with an election in any one Assembly Constituency shall not exceed the amount specified in respect of that constituency in the following table:—

State	Single-member constituency	Two-member constituency
	Rs.	Rs.
Andhra Pradesh	7,000	12,000
Assam	6,000	11,000
Bihar	8,000	13,000
Bombay	8,000	13,000"

["**१३५. अधिकतम निर्वाचन व्यय**—(१) वह सम्पूर्ण व्यय जिसका धारा ७७ के अधीन लेखा रखा जाना है और जो किसी एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के सम्बन्ध में किया जा सकता है,

(क) किसी राज्य में के दो सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की अवस्था में, ३५,००० रुपये;

(ख) किसी राज्य में के एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की अवस्था में, २५,००० रुपये;

(ग) किसी संघ राज्य-क्षेत्र में के दो सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की अवस्था में १५,००० रुपये; और

(घ) किसी संघ राज्य में के एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की अवस्था में १०,००० रुपये;

से अधिक नहीं होगा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

(२) वह सम्पूर्ण व्यय जिसका धारा ७७ के अधीन लेखा रखा जाता है और जो किसी एक सभा के निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन सम्बन्ध में किया जा सकता है, उस धनराशि से अधिक नहीं होगा जो निम्नलिखित सारिणी में उस निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में उल्लिखित है :—

राज्य	एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र	दो सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र
	रुपये	रुपये
आंध्र प्रदेश	७,०००	१२,०००
आसाम	६,०००	११,०००
बिहार	८,०००	१३,०००
बम्बई	८,०००	१३,०००"]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सब लोक-सभा समाचार में प्रकाशित हो चुका है और सदस्यों को भेजा जा चुका है ।

†**श्री कामत :** मैं केवल बड़े संशोधन अर्थात् संशोधन संख्या ३, ४, ६ और ७ के बारे में ही कहूंगा । इनमें से कुछ संशोधनों में निर्वाचन में गणना तथा पूर्व-गणना की दशाओं का निर्देश है । मैं निर्वाचन के इन खास पहलुओं पर विस्तार से कुछ कहना चाहता हूं ।

इस नियम में यह उपबन्ध किया गया है कि गणना प्राचीन विधि के अनुसार विभिन्न केन्द्रों में होगी । मेरा यह सुझाव है कि उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में जहां एक से अधिक केन्द्र हों, गणना सम्पूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान पूरा हो जाने के बाद, सभी केन्द्रों में उसी दिन एक ही साथ की जाये । एक केन्द्र में उम्मीदवार उपस्थित रहेगा और अन्य केन्द्रों में उसके अभिकर्ता रहेंगे । अतः गणना एक-एक दिन स्थगित करने की आवश्यकता नहीं ।

मेरे कुछ मित्रों को मतदान और गणना के बीच की दशा के बारे में कुछ कटु अनुभव हुए हैं । अतः मैं चाहता हूं कि सभा कुछ संरक्षणों पर अनुमोदन दे और सरकार इन विषयों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था कर रही है, उसे कोई हानि न पहुंचाते हुए वह आसानी से वे संरक्षण दे सकती है ।

मेरी माननीय मित्र श्रीमती शकुन्तला नायर ने मुझे बताया है कि पिछले निर्वाचनों में उसे पीठासीन पदाधिकारियों से विशेष अनुमति मिली थी कि वह मतदान की अपनी पेटियां खास बोरों में जो उन्होंने बनाये थे, बन्द कर सके और उन पर अपनी निजी मुहर लगा सके । ऐसी अनुमति न दी जाये । यदि कोई उम्मीदवार रास्ते में मतदान की पेटियों पर निगरानी रखने के लिये चौकीदार रखने की व्यवस्था करे तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मध्य प्रदेश में विधान सभा के एक निर्वाचन-क्षेत्र में एक निर्वाचन-पदाधिकारी ने इस व्यवस्था के लिये अनुमति दी थी किन्तु सभी निर्वाचन-पदाधिकारी ऐसा नहीं करेंगे । वास्तव में यह संदेह था कि पिछले निर्वाचनों में कुछ मामलों में गोलमाल किया गया है । एक वरिष्ठ मंत्री ने हमें बताया है कि इस बार मतदान की पेटियों की तोड़-फोड़ नहीं की जा सकेगी । किन्तु मैं समझता हूं कि वह पेटियां ऐसी नहीं बनायी गयी होंगी कि बाद में उनमें मतपत्र न डाले जा सकें ।

इन नियमों में एक उपबन्ध यह है कि निर्वाचन आयोग को कुछ परिस्थितियों में मतपत्रों को मान्यता देने का अधिकार होगा । मैं समझता हूं कि मेरी निर्वाचन याचिका के फलस्वरूप यह उपबन्ध

†मूल अंग्रेजी में ।

किया गया है। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर, १९५४ में निर्णय दिया था कि एक बार मतदान समाप्त होने पर निर्वाचन आयोग को मतपत्रों को मान्यता देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मतदान पूरा हो जाने के बाद केवल न्यायाधिकरण ही मतपत्रों को मान्यता दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। न्यायाधिकरण उन परिस्थितियों की जांच करे और तब निर्णय करे कि कोई मतपत्र मान्य किया जाये या नहीं। मतपत्रों को मान्यता देने का अधिकार न तो निर्वाचन आयुक्त को है और न निर्वाचन पदाधिकारी को। अतः वह उपबन्ध बिलकुल ही असंतोषजनक है और वह विधि अच्छी नहीं है। इसलिये मैंने उस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी रखा है।

आगे, जहां तक संभव हो और वांछनीय हो, भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उसी दिन परिणाम घोषित किये जायें। मैं यह ठीक नहीं समझता कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग परिणाम घोषित किये जायें। यदि सारे भारत में एक ही दिन सारे परिणाम घोषित किये जायें ताकि सारा मामला संतोषजनक रूप से तय हो जायें, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : वह अधिनियम के कुछ भागों के विरुद्ध होगा।

†**श्री कामत :** मैं ऐसा नहीं समझता।

अन्त में, नियम १३१ द्वारा पुराना उपबन्ध बदल दिया गया है ताकि सारी क्रिया सरल बना दी जाये किन्तु वास्तव में उसके पीछे और ही कारण थे जैसा कि निर्वाचन विधि के संशोधनकारी विधेयक पर चर्चा के समय बताया गया था। किसी एक दल या संगठन द्वारा किये गये खर्च के बारे में हमने एक संशोधन रखा था और मंत्री महोदय ने वह संशोधन स्वीकार कर लिया था। किन्तु उसका प्रभाव हमारी आशा के बिलकुल विपरीत पड़ा है। इसलिये मैंने प्रस्ताव ८ में संशोधन रखा है। वह संशोधन यह है कि प्रदत्त धनराशि में वह धनराशि दिखायी जाये जो उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता और दल या संगठन ने निर्वाचन के लिये खर्च की हो और उसके अलग-अलग हिसाब दिखाये जायें। सभा से मेरा आग्रह है कि वह यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले ताकि सभी दल समान स्तर पर हों और निर्वाचन वास्तव में ठीक-ठीक और निष्पक्ष हों।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** (गुना) : मैं अपना प्रस्ताव संख्या २५ प्रस्तुत करता हूं। भार साधक मंत्री और सभा से मेरी अपील है कि वह इन नियमों के एक पहलू की ओर ध्यान दें। नियम ५ और १० में उम्मीदवारों द्वारा प्रतीक[1] चुनने और प्रतीकों के आवंटन का विवेचन है। इन नियमों के अधीन प्रतीक निर्वाचन आयोग के विशेष अथवा सामान्य निर्देशों के अनुसार आवंटित किये जायेंगे। संसद् को यह देखने का अधिकार है कि वे कहां तक उचित निर्देश हैं और वे हमारी इच्छाओं के अनुसार हैं या नहीं तथा वे लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल न हों। कुछ मामले मेरे सामने आये हैं मैं जानता हूं कि निर्वाचन आयोग बहुत निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है किन्तु पूरी जानकारी न रहने पर बहुत-सी बातें हो जाती हैं। कहा जाता है कि बहुत अधिक दल नहीं होने चाहियें किन्तु मेरे विचार से सच्चे लोकतन्त्र में चाहे कितने ही दल हो सकते हैं। एक आदमी भी खड़ा हो सकता है और उसे निर्वाचन लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी एक दल को। मुख्य बात यह है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। हुआ यह है कि जब यह दिखायी पड़ा कि बहुत अधिक दल हैं तो निर्वाचन आयोग को सीमा रखनी पड़ी और उसने कहा कि प्रतीक देने के लिये हम कुछ ही दलों को मान्य करते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसने बहुत कठोर सीमायें नहीं रखी हैं। उसने कहा है कि हम उनके लिये प्रतीक सुरक्षित रखेंगे जिन्हें कम से कम ३ प्रतिशत मत प्राप्त हों, दूसरों को प्रतीक नहीं मिलेगा। यहां तक

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Symbols.

[श्री वि० घ० देशपांडे]

हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यही एक कठिनाई है। प्रतीक आवंटन करने में निर्वाचन आयोग ने कुछ आदेश जारी किये हैं।

पहली हिदायत यह थी कि दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्र में मान्य दल के सामान्य क्षेत्र से खड़े होने वाले सदस्य को दल को प्रतीक दिया जाये तथा सुरक्षित स्थान से खड़े होने वाले सदस्य को चक्र वाला दल का प्रतीक दिया जाये। इससे कुछ मतभेद होता है जो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा।

दतिया में तीन दलों ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस, हिन्दू-महासभा तथा प्रजा समाजवादी दल मैदान में थे। कांग्रेस के सदस्य को बैलों का प्रतीक दिया गया, प्रजा समाजवादी सदस्य को दल का चक्र वाला प्रतीक दिया गया तथा हिन्दू-महासभा के सदस्य को झोंपड़ी का प्रतीक दिया गया। रक्षित स्थान वाले सदस्य को कोई और प्रतीक दिया गया। हिन्दू-महासभा का उम्मीदवार जीता। प्रजा समाजवादी दल के दोनों सदस्यों को समान वोट मिले। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को भी बराबर के वोट मिले। किन्तु रक्षित स्थान से प्रजा समाजवादी दल का सदस्य जीता।

इसलिये युक्तियुक्त बात यह है कि किसी विशेष दल के सदस्य को उसके दल का ही प्रतीक दिया जाये। मैंने निर्वाचन आयोग को कई पत्र लिखे किन्तु उन्होंने लिखा कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसलिये संसद् को निर्वाचन आयोग को कोई ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिये जो प्रजातन्त्र के विरुद्ध जाता हो। मेरे संशोधन का यही अभिप्राय है।

इसके बाद मेरा दूसरा संशोधन है। कई दल कुछ राज्यों में ही मान्य हैं। यदि उन दलों के उम्मीदवार किसी दूसरे राज्य में खड़े हों तो भी जहां तक संभव हो उन्हें वही प्रतीक दिये जाने चाहियें। मैं यह नहीं कहता कि यह जरूरी होना चाहिये किन्तु जहां तक संभव हो यह होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में चाहे हम कितने ही सदस्य खड़े करें हमारे दल को मान्यता नहीं मिलेगी। इसलिये नियम कड़े नहीं होने चाहियें। इसलिये निर्वाचन आयोग की शक्तियों को थोड़ा कम करना आवश्यक है अन्यथा संसद् का कोई नियंत्रण नहीं रहता। यदि माननीय मंत्री चाहें तो मेरे संशोधन के शब्द बदल सकते हैं और जैसे चाहें इसे वह रख सकते हैं। किन्तु छोटे-बड़े दलों के आधार पर मतभेद नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : मेरे प्रस्ताव संख्या १६, १७, १८, १९ और २० हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अनुसरण में जन-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकायें) नियमों के नियम ३४ के उपनियम (१) में "two rupees" (दो रुपये) के स्थान पर "one rupee" (एक रुपया) रखा जाये। और राज्य-सभा भी इस संकल्प से सहमत हो।

नियम ३४ के अनुसार जिस वोट पर आप आपत्ति करते हैं उसके लिये आपको २ रुपये जमा कराने पड़ते हैं। किन्तु इस बार हमने निर्वाचन व्यवस्था को सस्ता बनाने का यत्न किया है। पहले यह रकम १० रुपये थी। किन्तु इसे बाद में २ रुपये किया गया था। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे घटा कर १ रुपया कर दिया जाये, क्योंकि जब तक फीस कम नहीं होती तब तक कोई सच्चा आपत्ति करने वाला भी आपत्ति नहीं कर सकेगा।

यह भी नियमों में व्यवस्था की गई है कि यदि आपत्ति करने वाले की बात ठीक हो तो उसका रुपया वोट पड़ जाने के बाद वापस किया जायेगा। किन्तु होना यह चाहिये कि ज्यों ही वहां के पदाधिकारी मालूम कर लें कि यह बात ठीक है उन्हें तुरन्त ही रुपया लौटा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन लाभदायक होंगे। इनसे निर्वाचनों में आसानी होगी। इस कारण इस सम्बन्ध में मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत

†मूल अंग्रजी में।

करता हूं। प्रस्ताव संख्या १८ नियम ३५ के बारे में है। यह नियम पेटिकायों पर मुहर लगाकर उन्हें बन्द करने से सम्बन्धित है। इस समय उम्मीदवार या उनके अभिकर्त्ताओं को यह हक है कि वह पेटिका के ऊपर जहां से वोट डाला जाता है वहां अपनी मुहर लगायें। किन्तु वास्तव में बात यह है कि प्रत्येक पदाधिकारी वैसा नहीं करता। कोई पदाधिकारी यह कह देता है कि केवल उन्हीं को मुहर लगाने का हक है। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार भ्रष्टाचार या बदमाशियां होती हैं किन्तु जहां चुनाव बराबर की टक्कर का हो वहां वोटों की पूरी हिफाजत होनी चाहिये। इस कारण मैं यह सुझाव देता हूं कि प्रत्येक उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता को मुहर लगाने का हक दिया जाये।

मेरे दूसरे प्रस्ताव इस सम्बन्ध में हैं कि पक्षों को पेटिकाओं के साथ जाने का अधिकार दिया जाये। बहुत से क्षेत्रों में पेटिकायें बैलगाड़ियों में लाई जाती हैं। कई बार मजदूर उठा कर लाते हैं और वह भी अर्ध-रात्रि के समय। कई बार दूसरे उम्मीदवार यह ख्याल करने लगते हैं कि सरकार पेटिकाओं को खुलवा कर वोटों में गड़बड़ करेगी। मेरा यह आशय नहीं कि कहीं ऐसा होता ही है। किन्तु कई ऐसी घटनायें हुई हैं जहां पेटियां रास्तों में गिरी हैं। इसलिये यदि उम्मीदवार का अभिकर्त्ता साथ जाना चाहे तो उसे ले जाना चाहिये। इसे चाहे अनिवार्य न बनाया जाये।

इसके बाद मेरा दूसरा प्रस्ताव है जो टेंडर वोटों के बारे में है। यह वोट कभी गिने नहीं जाते। इसलिये इनके बारे में व्यवस्था रखने की क्या जरूरत है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के नाम का वोट डाल जाये और वास्तविक व्यक्ति बाद में आये तो इस व्यक्ति का वोट नहीं लिया जाता। यहां टेंडर वोट का उपबन्ध तो है किन्तु उसे गिनने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूं कि उन्हें उम्मीदवार की प्रार्थना पर गिना जाये यदि निर्वाचन का परिणाम उनसे निर्धारित होता हो। इस सम्बन्ध में आप बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। कई बार बहुत ही कम वोटों का अन्तर होता है। ऐसे अवसर पर ही उसे कोई लाभ है। अन्यथा उन्हें अवैध माना जाये। इसलिये उन्हें उम्मीदवार की प्रार्थना पर गिना जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभी प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : श्री कामत ने कहा है कि सभी वोट डालने के स्थानों पर एक साथ वोटों की गिनती होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में सभी स्थानों के वोट एक या दो स्थानों पर एकत्रित कर लिये जाते हैं और उन्हें रिटर्निंग पदाधिकारी के सामने गिना जाता है। यदि ज्यादा स्थानों पर वोट गिने जायें तो यह संभव नहीं होगा।

वास्तव में यह हो सकता है कि वोट पड़ने तथा गिनने में जो अन्तर है उसे कम किया जा सकता है। २४ या ४८ घंटे के समय में वोटों की पेटियों को एक स्थान पर लाया जा सकता है। इस कारण सरकार को वोट गिनने के काम में जल्दी करनी चाहिये।

अब जहां तक निर्वाचन व्यय का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि पूरा हिसाब याद नहीं हो सकता। संभवतया जितनी राशि सरकार ने निश्चित की है उसमें कोई व्यक्ति निर्वाचन नहीं लड़ सकता। मैं यह नहीं चाहता कि हिसाब लेना बन्द कर दिया जाये। वास्तव में कांग्रेस ही बहुत रुपया खर्च करती है। बम्बई, कलकत्ता जैसे नगरों में से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता है जो कि निर्वाचनों पर व्यय किया जाता है।

अभी आंध्र में बम्बई के कांग्रेसियों ने लाखों रुपये का व्यय किया है। हो सकता है कि यह संगठन के लिये हो किन्तु यदि यह किसी दूसरे काम के लिये है तो इस बात की जांच होनी चाहिये और

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

सरकार को इन बातों को बढ़ने नहीं देना चाहिये। सरकार अपने दोष नहीं देखती—दूसरे दलों की त्रुटियां दूर से ही नजर आ जाती हैं। इस कारण सरकार को चाहिये कि इस नियम पर आग्रह न करे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : मैं वोटों की गिनती के प्रश्न के बारे में श्री कामत व श्री रेड्डी से सहमत हूं। किन्तु उनसे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं चाहता हूं कि सारे जिले में एक ही दिन गिनती होनी चाहिये। मेरे जिले में एक स्थान पर निर्वाचन २ जनवरी को हुआ और दूसरे में ५ को। पहले निर्वाचन-क्षेत्र में एक व्यक्ति सफल हुआ और उन्होंने दूसरे स्थान पर इस बात का प्रचार किया कि अमुक दल के लोग ही जीत रहे हैं। इस में दलबन्दी का कोई प्रश्न नहीं है। सभी दलों के लिये यह बात समान रूप से रहेगी।

अब व्यय की सीमा के बारे में यह बात है कि दो सदस्यों के निर्वाचन-क्षेत्र के लिये ३५,००० रुपया निर्धारित किया गया है और एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र के लिये २५,००० रुपया रखा गया है। यहां इस सम्बन्ध में कई तथ्य बताये गये हैं। मुझे कई सदस्यों का पता है जो केवल ५,००० रुपया ही व्यय करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। वे चुनाव का हिसाब बड़ी ईमानदारी से देते हैं। किन्तु कई लोग ऐसे हैं जो १ लाख रुपये तक भी खर्च करते हैं। हमें देखना यह चाहिये कि नियमों का उल्लंघन न हो। किन्तु इनसे वे गलत या झूठा हिसाब देंगे। इसलिये इन सब नियमों को हटा देना चाहिये। केवल मान्य दलों को व्यय करने का अधिकार होना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : हर एक प्रस्ताव का अलग-अलग उत्तर देने के बजाय मैं इन पर सामान्य रूप से कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा।

सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह सभी सुझाव विरोधी पक्ष द्वारा किये गए हैं, परन्तु इस उद्देश्य से किये गये हैं कि चुनाव निष्पक्ष रूप से किये जायें। मैं सभा में इसके बारे में प्रोत्साहन को दुर्भावनापूर्ण नहीं समझता हूं।

इस बारे में एक बात याद रखनी चाहिये कि नियम चुनाव आयुक्त के परामर्श से बनाये गए हैं, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद ३२४ अथवा ३२५ के अधीन इसीलिये की गई है कि चुनाव निष्पक्षता से हों। मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक आगामी चुनावों का सम्बध है, चुनाव आयुक्त ने सभी तर्कों तथा आलोचनाओं पर विचार किया है तथा यथासंभव विरोधी पक्ष को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया है। वह विरोधी दल के नेताओं का परामर्श लेते रहे हैं तथा अपनी योग्यतानुसार, जितने सम्भव प्रयत्न हो सकते हैं, वह कर रहे हैं।

कुछ सुझाव दिये गये हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहूंगा। अधिकांशत: इन्हीं बातों की ओर निर्देश किया गया है।

प्रारम्भ में, मैं व्यय के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। हम जब इस विधेयक पर विचार कर रहे थे, तब मेरे विचार से इस विषय की कई बार आलोचना की गई तथा दोनों पक्षों ने कई तर्क प्रस्तुत किये। इन सभी का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति तथा इस सभा ने इस पर विचार किया तथा अन्त में हमने इस धारा को पारित किया और अब व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की। इसलिये मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि सभी दल एक दूसरे का विश्वास करेंगे और हम सब यही प्रयत्न करेंगे, कि चुनाव निष्पक्षता से हों।

मतगणना तथा उससे पहले की स्थिति के बारे में सुझाव दिया गया। हमें बहुत सी चुनाव याचिकायें मिलीं तथा एक बार मैंने चुनाव आयुक्त को यह सुझाव देने का प्रयत्न किया कि क्या अन्य देशों के समान यह सम्भव नहीं है कि जिस दिन मतदान समाप्त हो उसी दिन पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति

†मूल अंग्रेजी में।

में तथा यदि सम्भव हो तो सभी अभिकर्त्ताओं आदि की उपस्थिति में मतों की गणना की जाये। जो कुछ होगा वह नियमानुकूल होगा। चुनाव आयोग ने मुझे बताया कि जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, देश की विशालता तथा मतदाताओं की अधिक संख्या के कारण, ऐसी व्यवस्था करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि उचित व्यक्ति न होने पर ये शिकायतें घटने के स्थान पर और बढ़ेंगी। परन्तु उनको आशा है कि समय बीतने पर अनुभव से सम्भवतया स्थिति सुधर जाये।

समस्त भारत में एक तिथि को मतगणना के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संभव भी है तथा असम्भव भी है। मैं नहीं जानता कि उन तिथियों को निश्चित करना चुनाव आयोग के लिये संभव होगा अथवा नहीं। परन्तु मैंने अभी एक सदस्य को यह कहते सुना है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ भाग में मतदान होने से पहले ही प्रारम्भ हो गया था। यदि कुछ स्थानों पर वास्तव में ऐसा हुआ है तो मेरे विचार से चुनाव आयोग को इसे ध्यान में रखना चाहिये जिससे ऐसा भविष्य में न होने पाये।

पहरा देने आदि के बारे में कई सुझाव दिये गये। मैं नहीं कह सकता कि ऐसी बात भूतकाल में हुई है परन्तु मेरा विश्वास है कि चुनाव के सम्बन्ध में मुख्यतः चुनाव आयोग जिम्मेदार है तथा वह इसका ध्यान रखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें न हों।

मतगणना के आदेश के बारे में एक सुझाव दिया गया। मेरे मित्र श्री कामत ने यह हमें बताया। मैं जानता हूं कि श्री कामत और श्री गिडवानी के मामले में कुछ गड़बड़ हुई। सम्भवतया इस प्रश्न पर अलग-अलग राय हो सकती है। परन्तु मेरे विचार से यह प्रश्न विधि के अन्तर्गत नहीं आता है। संभवतया कार्यपालिका को इस बारे में कुछ करना था तथा उस समय की विधि को चुनाव आयोग ने एक विशेष प्रकार से प्रयोग किया था। मैं नहीं जानता कि चुनाव आयोग इसका किस प्रकार ध्यान रखेगा कि ऐसी बात फिर न हो। परन्तु ऐसी अन्य कठिनाइयां हो सकती हैं जो अन्य विभिन्न मामलों से उठ खड़ी हों। मेरे विचार से चुनाव आयोग, जिसको सभी दलों का विश्वास प्राप्त है, काम करता रहेगा तथा मुझे विश्वास है कि वह इस प्रकार कार्य करेगा जिससे किसी के भी मन में उसके प्रति सन्देह न हो।

आस्तियों की घोषणा का भी यही मामला है। मेरे मित्र श्री देशपांडे ने छोटे दलों के प्रतीकों और इनसे सम्बन्धित अन्य मामलों के बारे में कुछ सुझाव दिये। हम जानते हैं कि कुछ स्वतन्त्र उम्मीदवार होंगे, ऐसे उम्मीदवार, जो बड़े दलों के सदस्य नहीं हैं। मेरे विचार से इस मामले के बारे में, कोई निश्चित नियम बनाने के बजाये, हमें अपने गत अनुभवों से कुछ सीखना चाहिये। मैं फिर माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा-बहुत चुनाव आयोग की निष्पक्षता का विश्वास करें क्योंकि वह वही कार्य कर रहा है जो इस मामले में ठीक है। कौनसा तथा क्या प्रतीक किसको दिया जाना चाहिये तथा किन दलों को मान्यता देनी चाहिये इन सभी मामलों पर उन्होंने विचार किया है। यह सभी दृष्टिकोण उनके सामने थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस अवसर पर वातावरण भिन्न प्रकार का होगा।

और फिर झूठे वोट देने वालों पर आपत्ति करने का प्रश्न है। मान लीजिये कि कोई यह समझता है कि कोई व्यक्ति वह नहीं है तब उसके लिये कुछ फ़ीस देने की व्यवस्था है। मैं नहीं जानता कि एक रुपये अथवा दो रुपये से क्या अन्तर आता है। यदि हम फीस कम कर देते हैं अथवा फीस देने की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो संभवतया इससे अनावश्यक रूप से ही मतों का विरोध किया जाये। सर्वदा उचित कारणों पर ही मतों का विरोध नहीं होगा। यह सभी बातें बड़े नगरों में होती हैं तथा देहाती क्षेत्रों में नहीं होती हैं। मेरे विचार से सम्भवतया, इस बार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के स्थान में मतदान करने को भी कई प्रकार से रोका जा सकता है।

[श्री पाटस्कर]

मतपेटी के बारे में, मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने कोई मतपेटी नहीं देखी है क्योंकि मेरे पास इसको देखने का समय ही नहीं है। मैंने सदस्यों के समान इसके बारे में पढ़ा ही है। परन्तु मुझे बताया गया है कि चुनाव आयोग इसका पूर्ण प्रयत्न करेगा कि जिससे मतपेटी के तोड़ने का कोई मामला दर्ज न हो। चाहे वह ठीक हो अथवा नहीं, चुनाव आयोग यह जानने का पूर्ण प्रयत्न करेगा कि इस प्रकार की शिकायतों का कोई कारण न रहे। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इन नियमों के संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं, आश्वासन देता हूं कि चाहे उन्होंने किसी भी दृष्टिकोण से यह सुझाव दिए हैं, परन्तु फिर भी यह सुझाव विचार किये जाने योग्य हैं। इस समय यह नियम ऐसे ही रहेंगे। जहां तक चुनाव कराने का सम्बन्ध है चुनाव आयोग तथा अन्य प्राधिकारियों, जो संविधान के अधीन बनाये गये हैं, की निष्पक्षता का विश्वास करना चाहिये।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगामी चुनाव इतने निष्पक्ष तथा सुप्रबन्धित होंगे कि संभवतया सभा में इनका विरोध करने की कोई आशंका नहीं रहेगी।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरे प्रस्ताव संख्या १७ में कहा गया है कि यदि विरोध ठीक है तो धनराशि उसी समय लौटा दी जानी चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : धनराशि वापस देने के बारे में यही कहना है कि जो चुनाव का उम्मीदवार है उसको मतदान समाप्त होने तक रुकना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री कामत के प्रस्ताव संख्या १ से ८ तक को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत के संशोधन संख्या १, २, ३, ४, ५, ६, ७, और ८ और श्री क० कु० बसु एवं श्री वें० प० नायर के संशोधन संख्या १६, १७, १८, १९ और २० तथा श्री वि० घ० देशपांडे का संशोधन संख्या २५ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो नियम वैसे ही रहेंगे जैसे कि वे पहले थे।

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक इस संसद् का सम्बन्ध है, मैंने यह अन्तिम विधान प्रस्तुत किया है क्योंकि यह वस्तुतः संसद् का अन्तिम सत्र है। यदि मैं सभा के सभी वर्गों को धन्यवाद न दूं तो मेरा कर्तव्य अधूरा रहेगा.....

श्री कामत : परस्परं भावयन्तः।

†**श्री पाटस्कर** : सभा के सब सदस्यों से मुझे जो सहयोग और शिष्ट व्यवहार प्राप्त हुआ, उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६]

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	१२३९–४०
प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने उस करार के बारे में वक्तव्य दिया जो सरकार और आसाम तेल समवाय के बीच आसाम में तेल निकालने के बारे में हुआ ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र ...	१२४०–४१
निम्न पत्र सभा-पटल पर रखे गये :	
(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० संख्या २९८१, दिनांक ७ दिसम्बर, १९५६ की एक प्रति, जिसमें कर्मचारी भविष्य-निधि योजना, १९५२ में कुछ संशोधन किये गये हैं ।	
(२) संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति :	
(१) संघ लोक-सेवा आयोग का प्रतिवेदन, १९५५-५६ ।	
(२) एक ज्ञापन जिसमें यह बताया गया है कि १९५५-५६ में आयोग की सिफारिशें स्वीकार न करने के क्या कारण थे ।	
राज्य-सभा से सन्देश	१२४१–४२
सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :	
(१) कि लोक-सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये बाट तथा माप-मान विधेयक, १९५६ से राज्य-सभा बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।	
(२) कि लोक-सभा द्वारा २६ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये फरीदाबाद विकास निगम, विधेयक १९५६ को राज्य-सभा ने उसमें एक संशोधन करके पारित कर दिया है और यह प्रार्थना करते हुए विधेयक लौटा दिया है कि उसे लोक-सभा की सहमति से सूचित कर दिया जाये ।	
राज्य-सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाया गया विधेयक	१२४२
सचिव ने फरीदाबाद विकास निगम विधेयक, १९५६, जिसे राज्य-सभा ने एक संशोधन की सिफारिश करते हुए लौटाया था, की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।	

विषय	पृष्ठ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ...	१२४२
उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	१२४२–५६
पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों (सामान्य) की मांगों पर चर्चा की गई और वे सब स्वीकृत कर ली गईं और लोक-सभा तथा वैदेशिक कार्य, वित्त, खाद्य और कृषि, सूचना और प्रसारण, विधि-कार्य और परिवहन मंत्रालयों सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और वे सब स्वीकृत हुईं ।	
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	१२५६, १२८६
(१) विनियोग (संख्या ५) विधेयक ।	
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक ।	
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक ।	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और आधिक्य अनुदान (रेलवे) ...	१२५६–८६
वर्ष १९५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) और १९५३-५४ के आधिक्य अनुदानों (रेलवे) पर चर्चा हुई और सब स्वीकृत हुए।	
पारित किया गया विधेयक	१२८६–९६
विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर) ने प्रस्ताव किया कि लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।	
लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव	१२९६–१३०४
लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों में रूपभेद करने के बारे में सर्वश्री कामत, क० कु० बसु और वि० घ० देशपांडे ने १४ प्रस्ताव प्रस्तुत किये । सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।	
बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि—	
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक, केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक और केन्द्रीय उत्पादन शल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार और उन्हें पारित करना ।	

M55LSD—190—22-4-58—GIPF.